

राष्ट्रीय लेखा मूल्य सांख्यिकी सामाजिक-आर्थिक सांख्यिकी सतत विकास लक्ष्य डेटा सूचना एवं नवाचार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना



भारत सरकार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

www.mospi.gov.in









वार्षिक रिपोर्ट 2019-20



भारत सरकार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001 hthtp://www.mospi.gov.in

विषय सूची

| क्र.सं. | अध्याय | पृष्ठ सं. | |
|------------|---|-----------|--|
| I | प्रस्तावना | 1-6 | |
| II | घटनाक्रम और विशिष्टताएं | 7-15 | |
| III | राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) | 16 | |
| IV | केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय | 17-77 | |
| V | सांख्यिकीय सेवाएं | 78-81 | |
| VI | भारतीय सांख्यिकीय संस्थान | 82-93 | |
| VII | आधारी संरचना तथा परियोजना निगरानी | 94119 | |
| VIII | संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना | 120-127 | |
| IX | राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग | 128-129 | |
| X | अन्य कार्यकलाप | 130-134 | |
| | अनुबंध | | |
| I ক | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का संगठन | 135 | |
| | चार्ट | | |
| । ख | राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का संगठन चार्ट | 136 | |
| । ग | प्रयुक्त संक्षिप्तियां | 137-138 | |
| II | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को आबंटित | 139-141 | |
| | कार्य | | |
| IIIक | वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमान विवरण (एसबीई) | 142 | |
| IIIख | उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए वर्ष 2018-19 (बीई और आरई) | 143 | |
| | हेतु कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) | | |
| ॥ ग | उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए वर्ष 2019-20 (बीई और आरई) | 144 | |
| | हेतु कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) | | |
| IV | अधिसंरचनात्मक क्षेत्र का निष्पादन अप्रैल 2019 से | 145-146 | |
| | सितंबर 2019) | | |

| V | 2019-20 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली | 147-159 |
|-----|---|---------|
| | पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची | |
| VI | सीएसओ/एनएसएसओ के विभिन्न प्रभागों द्वारा लाए जा रहे | 160-162 |
| | प्रकाशनों की सूची | |
| VII | वर्ष 2018-19 के लिए एक्शन टेकन नोट (एटीएन) की | 163 |
| | स्थिति | |

अध्याय-।

प्रस्तावना

- 1.1 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के उपरांत 15 अक्टूबर, 1999 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया । मंत्रालय में दो स्कंध हैं, नामतः सांख्यिकी स्कंध, जिसका नाम बदलकर अब राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) कर दिया गया है, तथा दूसरा कार्यक्रम कार्यान्वयन (पीआई) स्कंध । कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध के दो प्रभाग हैं, नामतः, (i) अवसंरचना और परियोजना अनुवीक्षण और (ii) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना । एक है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) जिसका उत्पत्ति भारत सरकार (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) के संकल्प के माध्यम से की गई है तथा दूसरा एक स्वायत संस्थान है, नामतः भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था । मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध-।क से ।ख में दिया गया है । इस रिपोर्ट में प्रयुक्त संक्षितियां अनुबंध-।ग में दिए गए हैं ।
- 1.2 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश में जारी सांख्यिकी के विस्तार और गुणवत्ता के पहलुओं को पर्याप्त महत्व देता है । जारी की गई सांख्यिकी, प्रशासनिक स्रोतों, सर्वेक्षणों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों और गैर-सरकारी स्रोतों द्वारा संचालित गणना तथा अध्ययनों पर आधारित होती है । मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वेक्षण वैज्ञानिक प्रतिदर्श पद्धित पर आधारित होते हैं और इसका पर्यवेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा किया जाता है । समर्पित क्षेत्रीय स्टाफ के जिरए आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं, मदों की संकल्पनाओं तथा परिभाषाओं और सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र के बारे में नियमित रुप से प्रशिक्षित किए जाते है । मंत्रालय द्वारा जारी सांख्यिकी की गुणवता पर बल देते हुए राष्ट्रीय लेखों के समेकन से संबंधित रीति कार्यप्रणाली संबंधी मुद्दों की जांच राष्ट्रीय लेखा संबंधी सलाहकार समिति, औद्योगिक सांख्यिकी की जांच, औद्योगिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति द्वारा और मूल्य सूचकांकों संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा मौजूदा मूल्य और लागत सूचकांकों की जांच की जाती है । मंत्रालय मानक सांख्यिकीय तकनीकों

को अपनाते हुए और व्यापक जांच तथा निरीक्षण के बाद, मौजूदा आंकड़ों पर आधारित डाटासेटों को संकलित करता है।

- भारत, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष आंकड़ा प्रसार मानक 1.3 (एसडीडीएस) का अभिदाता है और वर्तमान में मानकों को पूरा कर रहा है । मंत्रालय एसडीडीएस के अंतर्गत आने वाली इसकी आंकड़ा श्रेणियों के लिए 'अग्रिम रिलीज कैलेंडर' को अनुरक्षित करता है, जिसका प्रसार मंत्रालय की वेबसाइट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के प्रसार मानक बुलेटिन बोर्ड (डीएसबीबी) पर भी किया जाता है । मंत्रालय एसडीडीएस के वास्तविक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल डाटा सेटों को प्रेस नोट और अपनी वेबसाइट के माध्यम से साथ-साथ जारी करता है । मंत्रालय को भारत में सहस्त्राब्दि विकास संबंधी लक्ष्यों की सांख्यिकीय ट्रैकिंग का कार्य सौंपा गया है । मंत्रालय, प्रणाली में आंकडा-अंतरालों (डाटा गैप्स) का आकलन करने के लिए और वर्तमान में जारी सांख्यिकी की गुणवत्ता के विभिन्न विषयों पर नियमित आधार पर तकनीकी बैठकें आयोजित करता है । केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय का स्टाफ एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) जैसे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों द्वारा सांख्यिकीय समेकन और अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रणाली पर आयोजित बैठकों और सेमिनारों में भाग लेता है । भारत में आधिकारिक सांख्यिकी की मजबूत पद्धति है तथा यह आधिकारिक सांख्यिकी के क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक है । मंत्रालय के अधिकारी कार्य-प्रणाली के विकास, विशेष तौर पर राष्ट्रीय लेखा, अनौपचारिक क्षेत्र सांख्यिकी, बृहद-पैमाने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण, जनगणना का आयोजन, सेवा क्षेत्र सांख्यिकी, परोक्ष अर्थव्यवस्था. सामाजिक क्षेत्र सांख्यिकी, पर्यावरण सांख्यिकी और वर्गीकरण के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ संबद्ध किया गया है । अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में इन विषयों पर मंत्रालय के अधिकारियों के योगदान की अत्यधिक सराहना की गई है।
- 1.4 सांख्यिकी दिवस: आर्थिक नियोजन और सांख्यिकीय विकास के क्षेत्र में स्व. प्रो. प्रशांत चन्द्र महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में, भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष की 29 जून, जो संयोग से उनका जन्मदिन है, को विशेष-दिवस का दर्जा देते हुए, इसे राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सांख्यिकी-दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों, खासकर युवाओं के मध्य,

प्रो .महालनोबिस से प्रेरणा प्राप्त करना है, ताकि वे समाजार्थिक नियोजन और नीति निरूपण में सांख्यिकी के महत्व को समझ सकें ।

1.5 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राज्य सरकारों, पूरे देश में फैले हुए एनएसएसओं के कार्यालयों द्वारा 29 जून 2019 को, 13वां सांख्यिकी दिवस भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, (आईएसआई) विश्वविद्यालयों/विभागों, आदि द्वारा संगोष्ठियां, सम्मेलन, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, व्याख्यानों की श्रंखला, निबंध लेखन प्रतियोगिता आदि करवाकर मनाया गया । मुख्य समारोह 29 जून 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया ।

केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों का सम्मेलन (काक्सो)

- 1.6 विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में सांख्यिकी के क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों के समन्वयन हेतु सरकार द्वारा स्थापित प्रणाली के भाग के रूप में मंत्रालय प्रत्येक वर्ष केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों (काक्सो) का सम्मेलन आयोजित करता है । यह केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय एजेंसियों द्वारा महत्वपूर्ण सांख्यिकीय मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक प्रमुख मंच है जिसका उद्देश्य सूचित निर्णय लेने और सुशासन के उद्देश्य से योजनाकर्ताओं और नीति-निर्माताओं को विश्वसनीय और समयबद्ध सांख्यिकी उपलब्ध करवाने के लिए समन्वित प्रयत्न करना है।
- 1.7 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय निम्नलिखित उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए आज्ञापित है-:
 - (i) देश में सांख्यिकीय प्रणाली के योजनाबद्ध विकास के लिए एक नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना, सांख्यिकी के क्षेत्र में मानदंडों और मानकों का निर्धारण और अनुरक्षण करना जिसमें अवधारणाओं और परिभाषाओं, आंकड़ा संग्रहण की कार्य-प्रणाली, डेटा संसाधन एवं परिणामों का प्रचार शामिल है;
 - (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो (एसएसबी) के संबंध में सांख्यिकीय कार्य का समन्वय करना, सांख्यिकीय कार्य-प्रणाली और

- आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषणों पर भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को सलाह देना:
- (iii) राष्ट्रीय लेखा तैयार करना तथा राष्ट्रीय उत्पाद के वार्षिक आकलनों, सरकारी तथा निजी उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण, बचतों, पूंजी स्टॉक तथा नियत पूंजी के उपभोग के अनुमानों और साथ ही साथ अधि-क्षेत्रीय क्षेत्रों (सुप्रा-रीजनल सैक्टर्स) के राज्य स्तरीय सकल पूंजी निर्माण प्रकाशित करना तथा वर्तमान मूल्यों पर राज्य परिवार उत्पाद (एसडीपी) के तुलनीय अनुमान तैयार करना;
- (iv) अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय प्रभाग (यूएनएसडी), एशिया तथा प्रशान्त के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (एस्केप), एशिया तथा प्रशान्त के लिए सांख्यिकीय संस्थान (सियाप), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)आदि से सम्पर्क बनाए रखना;
- (v) "त्वरित अनुमानों" के रूप में प्रत्येक माह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) संकलित तथा जारी करना, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) का संचालन तथा संगठित विनिर्माण क्षेत्र के विकास, गठन तथा संरचना में परिवर्तनों का आकलन तथा मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकीय सूचना प्रदान करना:
- (vi) अखिल भारतीय आर्थिक गणनाओं का संगठन करना व आविधक आयोजन तथा अनुवर्ती उद्यम सर्वेक्षणों पर कार्रवाई करना, विभिन्न समाजार्थिक सर्वेक्षणों तथा आर्थिक गणनाओं के अनुवर्ती उद्यम सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों का संसाधन करने के लिए इन-हाउस सुविधा प्रदान करना;
- (vii) रोजगार, उपभोक्ता व्यय, आवास स्थिति तथा पर्यावरण, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य, पोषाहार, पिरवार कल्याण आदि जैसे विविध समाजार्थिक क्षेत्रों, विभिन्न जनसंख्या समूहों के लाभ के लिए विशिष्ट समस्याओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आवश्यक आंकड़ा आधार तैयार करने हेतु बड़े पैमाने पर अखिल भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों का आयोजन करना;
- (viii) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा संचालित सर्वेक्षणों के संबंध में सर्वेक्षण सम्भाव्यता अध्ययनों सहित प्रतिदर्श

- अभिकल्प का मूल्यांकन करना; और तकनीकी दृष्टिकोण से सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच करना ।
- (ix) सरकारी, अर्धसरकारी अथवा निजी आंकड़ा प्रयोक्ताओं /एजेंसियों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों जैसे यूएनएसडी, एस्केप, आईएलओ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों की एजेंसियों के लिए प्रकाशनों की संख्या के माध्यम से विभिन्न सामाजिक, पर्यावरणीय और बहु कार्यक्षेत्र सांख्यिकी संबंधी सूचना प्रसारित करना; तथा
- (x) पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों के विशेष अध्ययन तथा सर्वेक्षण आरम्भ करने के लिए प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थानों को सांख्यिकीय रिपोर्टों के मुद्रण हेतु सहायता अनुदान जारी करना तथा शासकीय सांख्यिकी के विभिन्न विषय क्षेत्रों से सम्बन्धित संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का वित्त-पोषण करना ।
- 1.8 मंत्रालय के कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध की जिम्मेदारियां निम्नलिखित अनुसार हैं-:
 - (i) देश के ग्यारह प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों नामतः विद्युत, कोयला, इस्पात, रेलवे, दूरसंचार, बंदरगाह, उर्वरक, सीमेंट, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, सड़क तथा नागरिक विमानन संबंधी कार्य निष्पादन का अनुवीक्षण;
 - (ii) 150 करोड़ रु. तथा इससे अधिक की लागत की सभी केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी; और
 - (iii) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैडस) का कार्यान्वयन ।
- 1.9 मंत्रालय का प्रशासन प्रभाग: भारतीय सांख्यिकीय सेवा और अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा संवर्गों के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के साथ-साथ उनके प्रशिक्षण, जीविका में प्रगति तथा जनशक्ति नियोजन संबंधी मामले भी देखता है।
- 1.10 गृह मंत्रालय भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में भी कार्य करता है तथा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 (1959 का 57) के उपबंधों के अनुसार इसकी कार्य प्रणाली सुनिश्चित करता है।

- 1.11 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को कार्यों का आबंटन अनुबंध-॥ में दिया गया है । मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.mospi.gov.in) बना ली गई है और इसका रख-रखाव मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के डेटा सूचना और नवाचार प्रभाग द्वारा किया जा रहा है । मंत्रालय की अधिकतर रिपोर्ट प्रयोक्ताओं तक पहुंच बनाने/विभिन्न हितधारकों द्वारा उपयोग करने हेतु वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं । रिपोर्ट डाउनलोड करने/देखने के लिए ऑन-लाइन पंजीकरण प्रणाली भी शुरू कर दी गई है।
- 1.12 मंत्रालय को वर्ष 2018-19 के लिए कुल 4859.00 करोड़ रु. (योजना और गैर-योजना) का बजट आबंटित किया गया था, जिसमें से 3950.00 करोड़ रु. एमपीलैडस, 4158.00 करोड़ रु. योजना (एमपीलैड्स सहित) और 701.00 करोड़ रु. गैर-योजना के लिए थे। मंत्रालय द्वारा अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों का बजटीय आबंटन करते समय उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं का ध्यान रखा गया।

अध्याय -।। घटनाक्रम एवं विशिष्टताएं

मंत्रालय की वर्ष 2019-20 के दौरान तक (30 नवम्बर 2019 तक) की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

2.1 राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (एनएडी)

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (एनएडी) पर राष्ट्रीय लेखे तैयार करने का दायित्व है । राष्ट्रीय लेखा प्रभाग "राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी" नाम से एक वार्षिक पत्रिका प्रकाशित करता है ।
- राष्ट्रीय लेखा प्रभाग अग्रिम रूप से जारी कैलेंडर में पूर्व निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के वार्षिक और तिमाही अनुमान जारी करता है।
- राष्ट्रीय लेखा प्रभाग ने राष्ट्रीय लेखा आधार 2011-12 की पिछली श्रृंखला जारी की ।
- वर्ष 2019-20 के दौरान (नवम्बर 2019 तक) राष्ट्रीय लेखा प्रभाग द्वारा (भारत में वेतनपत्रक प्रतिवेदन) को शामिल करते हुए आठ मासिक प्रकाशनों, पंद्रह प्रकाशनों/डेटा रिलीज और रिपोर्टों को प्रकाशित किया गया ।
- 2.2 मूल्य सांख्यिकी प्रभाग (पीएसडी)
 - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण, शहरी, संयुक्त)ः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ने जनवरी 2011 से अखिल भारत तथा राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए आधार वर्ष (2010=100) सिहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संकलित करना आरंभ किया । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को, अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणालियों के अनुरूप, उसमें कई कार्यप्रणाली संबंधी सुधार शामिल करते हुए, 2010=100 से बदलकर 2012=100 कर दिया गया है । नवम्बर 2018 से नवम्बर 2019 (अनंतिम) की अविध के दौरान संयुक्त क्षेत्र (अर्थात पिछले वर्ष के उसी माह की तुलना में वर्तमान माह) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) पर आधारित

अखिल भारत वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दरें सबसे अधिक नवम्बर 2019 में 5.54% तथा जनवरी 2019 में सबसे कम 1.97% रही ।

• अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम (आईसीपी): भारत वर्ष 1970 से अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम में भाग लेता आ रहा है । वर्तमान आईसीपी दौर, आईसीपी-2017 को अप्रैल-2017 में आरंभ किया गया जिसके लिए परिवार क्षेत्र हेतु मूल्य संग्रहण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा और मशीनरी तथा उपकरण और निर्माण क्षेत्र के लिए संग्रहण मूल्य सांख्यिकी प्रभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया । इन मूल्यों को आईसीपी-2017 के अंतर्गत क्रय शक्ति अनुरूपता (पीपीपी) के संकलन हेतु अंतर-देशीय मान्यकरण के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया । इस संकेतक ने दुनिया-भर में विभिन्न देशों/अर्थव्यवस्थाओं के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की तुलना करने में मदद की है।

2.3 आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग (ईएसडी)

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांकः औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) जो फैक्ट्रियों के निर्धारित पैनल से निर्धारित मदों के आंकड़ों पर आधारित ऐसी यूनिट-मुक्त संख्या है जो विनिर्माण क्षेत्र में अल्पाविध परिवर्तनों को दर्शाता है और यह 6 सप्ताह के समय अंतराल पर मासिक आधार पर जारी किया गया ।
- वर्ष के दौरान, आधार वर्ष (2011-12=100) के साथ अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) प्रत्येक माह में नियत तिथि को जारी किया जाता है । अखिल भारत आईआईपी का नियमित रूप से जारी करने के अलावा राज्य स्तर पर आईआईपी जारी करना सुकर बनाने के लिए नवंबर 2019 को महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संबंधी प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई । इसके अतिरिक्त, ऐसे राज्य जिन्हें अभी अपने

संबंधित राज्यों की आईआईपी को समेकित और जारी करना है, के संबंध में पुणे, महाराष्ट्र में नवंबर, 2019 में आईआईपी राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की गई ।

मेटाडेटा और उसकी कार्य प्रणाली के ब्योरों के साथ अखिल भारत आईआईपी डेटा (क्षेत्रवार तथा उपयोग आधारित श्रेणी) आम लोगों की पहुंच के लिए मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.mospi.gov.in//iip-2011-12-series) पर उपलब्ध है।

सातवीं आर्थिक गणना: वर्ष 2019-20 के दौरान पहली बार आईटी आधारित प्लेटफॉर्म पर सातवीं आर्थिक गणना संचालित की जा रही है। इस संबंध में केंद्रीय सांख्यिकीय आयोग ई-गवर्नेंस सर्विसेस लिमिटेड, भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक विशेष प्रयोजन साधन, को एक कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर शामिल किया गया है।

2.4 सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग (एसएसडी)

• वर्ष 2019-20 दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रम:- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से कई परामशीं के उपरांत चिन्हित किए गए डेटा स्रोतों और आवधिकता के साथ 306 राष्ट्रीय संकेतकों सहित (सतत विकास लक्ष्य) राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) का विकास किया ।

सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में, राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क की आविधक समीक्षा और उसमें संशोधन करने के लिए, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद (सीएसआई) और सचिव सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अध्यक्षता और नीति आयोग, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सदस्यों सिहत एक उच्च स्तरीय संचालन सिमिति का गठन किया गया । गठित की गई उच्च स्तरीय संचालन सिमिति को अधिसूचित कर उसे 4 जनवरी 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया । अब तक उच्च स्तरीय संचालन सिमिति की 20 जून 2019, और 7 नवंबर, 2019 को क्रमशः दो बैठकें बुलाई जा चुकी हैं 🛘 उच्च

स्तरीय संचालन समिति की सिफ़ारिशें इसकी पहली बैठक के दौरान राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क में उपयुक्त रूप से सिम्मिलित की गई और इसके आधार पर 29 जून 2019 को एसडीजी एनआईएफ़ बेसलाइन रिपोर्ट 2015-16 जारी की गई । उच्च स्तरीय संचालन सिमिति द्वारा अनुशंसित राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क में संशोधन/सुधार/विलोपन को इसकी दूसरी बैठक के दौरान एसडीजी एनआईएफ़ संबंधी प्रथम प्रगति रिपोर्ट में सिम्मिलित किया जाएगा ।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एसडीजी पर छह खंडीय समितियों का गठन किया है जो भारतीय संदर्भ में टीयर । और टीयर ॥ वैश्विक संकेतकों की जांच, टीयर ॥ वैश्विक संकेतकों हेतु कार्यप्रणाली तैयार करना, ताकि अनुसंधान संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य किया जा सके और राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के अनुवीक्षण में डेटा संबंधी कमियों की पहचान की जा सके ।

उप-राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों की एसडीजी को न्यून प्रशासनिक स्तर पर कार्यान्वित करना प्रथम उत्तरदायित्व है। विपुंजन के संबंध में उनकी डेटा मांग बिल्कुल भिन्न है। उनकी अवसंरचना और संसाधन उपलब्धता भी सभी राज्यों में भिन्न- भिन्न है, अतः इस संबंध में हुई प्रगति पर नजर रखने के लिए और एसडीजी कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी हेतु राज्य भी अपनी स्वयं के राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (एसआईएफ़) विकसित कर रहे है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राज्यों की उनको स्वयं के एसआईएफ़ विकसित करने में सहायता कर रहा हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एसआईएफ़ की विकास संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करके परिचालित किया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एसआईएफ़ पर राज्य पदाधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठन (कॉक्सो) का आयोजन 11-12 नवंबर 2019 को कोलकाता में किया गया, तथा उनके एसआईएफ़ संबंधी मसौदा तैयार करने में राज्यों की सहायता ली गई।

एसडीजी पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एसडीजी पर हिंदी में डॉक्युमेंट्री फिल्म बनाई और इसे अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में डब करने की प्रक्रिया जारी हैं । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जनवरी-दिसंबर 2020 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 78वें दौर के एक भाग के रूप में एक नया बहु संकेतक सर्वेक्षण (एमआईएस) आरंभ करने की संभावना है, जो एसडीजी राष्ट्रीय तथा वैश्विक संकेतकों की संख्या के लिए डेटा आवश्यकता को ध्यान रखने के लिए प्रत्येक तीन वर्ष पर पुनरावृत्ति की जाएगी।

- वर्ष 2019-20 के दौरान सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा निम्निलिखित प्रकाशन निकाले गए: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की गतिविधियों में से एक गतिविधि यह है कि उसे सामाजिक, पर्यावरण तथा बहु-कार्यक्षेत्र संबंधी आंकड़ों पर सांख्यिकीय सूचना प्रसारित करनी होती है। वर्ष 2019 के दौरान प्रभाग द्वारा प्रकाशित की गई सूची निम्नानुसार है:
- सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क बेसलाइन रिपोर्ट 2015-16 का विमोचन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस (29 जून, 2019) के अवसर पर किया गया । यह रिपोर्ट राष्ट्रीय संकेतकों पर आधारित है और आगामी वर्षों में विभिन्न विकासात्मक पहलुओं के संबंध में हुई प्रगति के मूल्यांकन के लिए यह एक निर्णायक के रूप में कार्य करेगी । बेसलाइन रिपोर्ट में मुख्य रूप से चार खंड सम्मिलित हैं डेटा स्नैपशॉट, चैपटर्स, मेटाडेटा, और डेटा सारणी । यह रिपोर्ट मंत्रालय की बेवसाइट पर उपलब्ध है ।
- दो अन्य प्रकाशन नामतः 'राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ़)' संबंधी एक विवरण पुस्तिका और 'एसडीजी राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क बेसलाइन रिपोर्ट 2015-16 संबंधी एक डेटा स्नैपशॉट' का विमोचन 29 जून 2019 को किया गया ।
- एसडीजी डैशबोर्ड को 29 जून 2019 को प्रकाशित किया गया और मंत्रालय की बेवसाइट पर अपलोड किया गया । एसडीजी डैशबोर्ड को यूएन रेजीडेंट कोओर्डिनेटर (यूएनआरसी) कार्यालय के सहयोग से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया, यह राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के अनुसार एसडीजी केतकों पर एक एकीकृत डेटा संग्रह है । इसे http://www.sdgindia2030.mospi.gov.in/. लिंक पर देखा जा सकता है ।

- पर्यावरण सांख्यिकी संबंधी वार्षिक प्रकाशन, 'एन्वीस्टैटस इंडिया 2019; अंक I: पर्यावरण सांख्यिकी' नामक पत्रिका का विमोचन मार्च 2019 में किया गया । यह प्रकाशन एफडीईएस-2013 पर आधारित है जो पर्यावरण सांख्यिकी के संकलन के लिए यूएनएसडी द्वारा निर्धारित किया गया है । प्रकाशन की सारणी को छह अध्यायों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, उनमें से प्रत्येक एफडीईएस 2013 की निम्नलिखित छह मौलिक घटकों में से प्रत्येक को केंद्रित कर रहा है:
 - (i.) पर्यावरणीय स्थिति और गुणवत्ता
 - (ii.) पर्यावरणीय स्रोत और उनके उपयोग
 - (iii.) अवशिष्ट
 - (İV.) भयावह घटनाएं और आपदा
 - (V.) मानव बस्ती और पर्यावरणीय स्वास्थ्य
 - (Ni.) पर्यावरण की सुरक्षा, प्रबंधन और संलग्नता
- पर्यावरण लेखाओं संबंधी वार्षिक प्रकाशन "एन्वीस्टैटस इंडिया 2019; अंक ॥: पर्यावरण लेखाओं" नामक पत्रिका को सितम्बर 2019 में प्रकाशित किया गया । यह प्रकाशन पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन की पद्धति (एसईईए) पर आधारित है । पिछले वर्ष के प्रकाशन में जमीन की आस्ति लेखाओं को जोड़ते हुए, जल, वन और खिनजों को प्रकाशित किया गया, यह विषय मिट्टी और जल की गुणवत्ता के मूल्यांकन के साथ- साथ फ़सली जमीन और प्रकृति आधारित पर्यटन द्वारा प्रदत्त पारिस्थितिक सेवाओं के मूल्य निर्धारण पर फोकस करता है ।
- "भारत में महिला और पुरुष वर्ष 2018" का वार्षिक प्रकाशन मार्च 2019 में जारी किया गया । यह प्रकाशन स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था में भागीदारी, निर्णय लेना, महिला सशक्तिकरण संबंधी सामाजिक व्यवधानों को शामिल करते हुए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर जेंडर असमानता संबंधी आकड़ें प्रस्तुत करती है और इन अंतरालों को कम करने हेतु उपयुक्त हस्तक्षेप करने के लिए नीति-निर्माताओं को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करने पर विचार करता है ।

- ७ "सार्क सोशल चार्टर ─ इंडिया कंट्री रिपोर्ट 2018" का प्रकाशन मार्च 2019 को जारी किया गया था । सार्क सोशल चार्टर, सामाजिक क्षेत्र विकास को संबोधित करते हुए अपने नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सार्क देशों की परिकल्पना को दुहराता है तथा गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन विकास, महिलाओं की स्थिति, बच्चों के अधिकार और कल्याण, जनसंख्या स्थिरीकरण, और मादक पदार्थों का व्यसन, पुनर्वास और पुनः एकत्रीकरण के लिए उच्च प्राथमिकता प्रदान करता है । "सार्क सोशल चार्टर ─ इंडिया कंट्री रिपोर्ट 2018" ऐसी सातवीं कंट्री रिपोर्ट है जो देश में सार्क सोशल चार्टर के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में लिक्षित भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं संबंधी खाका तैयार करती है ।
- ७ "खाद्य और पोषण सुरक्षा विश्लेषण, भारत 2019" नामक प्रकाशन जून 2019 में प्रकाशित किया गया । यह प्रकाशन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और डबल्यूएफ़पी का प्रयास है जो कि भारत में खाद्य उपलब्धता, खाद्य सुलभता और उसके उपयोगिता की प्रचलित स्थितियों को चिन्हांकित करेगा और उसे सरल तरीके से प्रस्तुत करेगा जिससे उसे समझने में आसानी होगी और अपेक्षित कार्रवाई ∕कदम उठाए जा सकेंगे ।

2.5 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

- राष्ट्रव्यापी श्रम बल सर्वेक्षण, नामतः 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' (पीएलएफएस) 1 अप्रैल 2017 से आरंभ किया गया था । पीएलएफएस का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में श्रम बाजार के विभिन्न संकेतकों के तिमाही परिवर्तनों को मापना तथा ग्रामीण एवं शहरी, दोनो क्षेत्रों में विभिन्न श्रम बल संकेतकों के वार्षिक अनुमानों को तैयार करना है । पीएलएफएस (जुलाई 2017 जून 2018) की वार्षिक रिपोर्ट और 2018 के लिए अक्टूबर-दिसंबर तिमाही बुलेटिन 31 मई 2019 को जारी किया था । जनवरी-मार्च 2019 तिमाही के लिए पीएलएफएस संबंधी तिमाही बुलेटिन 23 नवम्बर 2019 को जारी किया गया था ।
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का 75वें दौर (जुलाई 2017-जून 2018) के मुख्य संकेतकों और इकाई स्तरीय डेटा के तदनुरूप स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी पारिवारिक सामाजिक उपभोग 23 नवंबर 2019 को जारी किया गया ।

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का 76वें दौर (जुलाई-दिसंबर 2018) की रिपोर्टें और इकाई स्तरीय डेटा (i) दिव्यांगता और (ii) पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्यकर दशा, तथा आवासीय स्थिति के विषयों के लिए समर्पित हैं, जिसे 23 नवम्बर 2019 को जारी किया गया।
- समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस), जो पारिवारिक सदस्यों के समयपूर्वक व्ययन संबंधी संग्रहित डेटा के अभिप्रेत है, को जनवरी से दिसंबर 2019 की अविध के दौरान पहली बार संचालित किया गया था। समय उपयोग सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य सवैतिनक और अवैतिनक गतिविधियों में पुरुषों, महिलाओं और अन्य समूहों के सदस्यों की भागीदारी का आकलन करना है। समय उपयोग सर्वेक्षण के लिए अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 10,000 प्रथम चरण इकाई (एफ़एसयू) का सर्वेक्षण किया जाएगा। यह सर्वेक्षण पारिवारिक सदस्यों द्वारा अध्ययन, समाजिकता, कार्यनिवृत्ति गतिविधियों, स्वयं की देख-भाल गतिविधियां आदि संबंधी सूचना भी प्रदान करेगा।
- अनिगमित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई), प्रारम्भ में छह महीने के लिए, 01 अक्टूबर 2019 को आरंभ किया गया, जो निगमित क्षेत्र डेटा अनुपूरक के लिए विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्र में अनिगमित गैर-कृषि उद्यम के आर्थिक और परिचालन संबंधी विशेषताओं पर समेकित सर्वेक्षण के लिए पूरी तरह से समर्पित है । प्रारम्भिक छह महीनों के सर्वेक्षण परिणाम और अनुभव पर आधारित एक संपूर्ण सर्वेक्षण 1 जनवरी 2020 से आरंभ किया जाएगा ।
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का 78वां दौर (जनवरी-दिसंबर 2020) (i) घरेलू पर्यटन व्यय और (ii) बहु-संकेतक सर्वेक्षण संबंधी विषयों को समर्पित है । पहली बार बहु संकेतक सर्वेक्षण (एमआईएस) का संचालन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जा रहा है ताकि सतत विकास लक्ष्य 2030 के कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों से संबंधित अनुमानों को उपलब्ध कराया जा सके । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण में पहली बार, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण में प्रयुक्त पारंपरिक सूची प्रारूप के बजाय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 78वें दौर में डेटा के संग्रहण के लिए प्रश्नावली प्रारूप को प्रयुक्त किया जाएगा । केंद्रीय प्रतिदर्श के लिए डेटा का संग्रहण कम्प्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूविंग (सीएपीआई) पद्धित के माध्यम से किया जाएगा । यह सर्वेक्षण 1 जनवरी 2020 को आरंभ किया गया ।

• एएसआई 2017-18 का अनंतिम परिणामों को सितम्बर 2019 में ई-मीडिया में जारी किया गया ।

2.6 संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड्स) योजना

- इस योजना के आरंभ में 52,904.75 करोड़ रूपए जारी किये गए हैं।
- इस योजना के आरंभ से 50,604.12 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया गया है।
- इस योजना के आरंभ से, 30 नवम्बर 2019 की स्थिति के अनुसार राशि जारी किये जाने और व्यय किये जाने का प्रतिशत 95.65% है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में, 3950 करोड़ रुपए की आवंटित निधि पर, 1607.05
 करोड़ रुपए की लागत का व्यय (पिछले वर्ष की खर्च न की गई राशि सिहत)
 उपगत किया गया है ।

अध्याय-॥।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी)

- 3.1 भारत सरकार ने दिनांक 1 जून, 2005 के एक संकल्प के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) का गठन करने का निर्णय लिया । राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना वर्ष 2001 में रंगराजन आयोग द्वारा भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करने तथा मंत्रिमंडल द्वारा इस सिफारिश को स्वीकार करने के उपरांत की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का गठन 12 जुलाई, 2006 को किया गया था और यह तब से कार्य कर रहा है । राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष तथा चार अंशकालिक सदस्य हैं जो विशिष्ट सांख्यिकीय क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले तथा अनुभवी व्यक्ति हैं । इसके अलावा, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएससी के पदेन सदस्य हैं । अंशकालिक अध्यक्ष/सदस्य का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष का होता है । भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के सचिव हैं। वे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव भी हैं ।
- 3.2 इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान 15 जुलाई 2019 से राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्यों के नाम निम्नानुसार है:
 - प्रो. बिमल कुमार रॉय, अध्यक्ष
 - ॥. डॉ. किरण पाण्ड्या, सदस्य
 - III. श्री पुलक घोष, सदस्य
 - IV. डॉ. गुरुचरण मन्ना, सदस्य
- 3.3 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के कार्यों का ब्यौरा दिनांक 5 नवम्बर, 2005 को प्रकाशित भारत सरकार के संकल्प में दिया गया है । संकल्प में आयोग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने कार्यकलापों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा इसमें निहित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों अथवा संबंधित राज्य की विधानसभा में, जैसा भी मामला हो, रखने का प्रावधान है । तदनुसार, आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी जाएगी ।

अध्याय-IV

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

4.1 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय देश में सांख्यिकीय गतिविधियों में सहयोग करने के साथ-साथ सांख्यिकीय मानकों का विकास करता है। एनएसओ सरकार द्वारा निर्णय लेने में सहायता करने तथा उपयुक्त सामाजिक-आर्थिक नीतियां/कार्यक्रम तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकांकों यथा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), औद्योगिक उत्पाद सूचकांक (आईआईपी), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और अन्य सरकारी आंकड़े जारी करता है। एनएसओ के पास देशभर में कोने-कोने में फैले क्षेत्रीय कार्यालयों का एक व्यापक नेटवर्क है, जो देशभर में बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों को नियमित रूप से आयोजित करने के लिए अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न पहलुओं पर परिज्ञान प्रदान करता है। सरकारी सांख्यिकी के लिए देश में नोडल एजेंसी होने के कारण एनएसओ भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों में सांख्यिकीय कार्यकलापों में सहयोग करता है।

राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (एनएडी)

- 4.2 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (एनएडी) राष्ट्रीय लेखा को तैयार करता है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय, सरकारी/निजी अंतिम उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण तथा संस्थागत क्षेत्र के लेन-देन के विस्तृत ब्योरों के साथ बचत के अनुमान शामिल हैं। यह प्रभाग इन आंकड़ों को शामिल कर "राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी" शीर्षक से एक वार्षिक प्रकाशन प्रकाशित करता है । एनएडी समय-समय पर आपूर्ति-उपयोग तालिकाएं तथा इनपुट-आउटपुट लेन-देन तालिकाएं तैयार करने तथा जारी करने के लिए भी उत्तरदायी है । एनएडी सांख्यिकी मामलों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क बनाए रखता है ।
- 4.3 एनएडी राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमानों सिहत राज्य की आय और संबंधित समुच्चयों के अनुमानों के समेकन पर राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है । इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय लेखा प्रभाग द्वारा बड़े क्षेत्रीय सेक्टरों अर्थात रेलवे, संचार, प्रसारण से संबंधित

सेवाओं, वितीय सेवाओं और केंद्रीय सरकार प्रशासन के संबंध में सकल मूल्यवर्धन और सकल नियत पूंजी सृजन के राज्य स्तरीय अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं।

- 4.4 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अनुमानों में तुलनात्मकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एनएडी अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के परामर्श से आर्थिक क्रियाकलाप और प्रति व्यक्ति आय के अनुमानों द्वारा सकल और निवल राज्य परिवार उत्पाद के तुलनात्मक अनुमानों का संकलन करता है।
- 4.5 अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के विशेष आंकड़ा प्रचार-प्रसार मानकों के अनुपालनार्थ तथा इसकी अपनी नीति के अनुसार, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग अग्रिम रिलीज कैलेण्डर में दी गई पूर्व निर्दिष्ट सूची के अनुसार समय-समय पर जीडीपी के वार्षिक और तिमाही अनुमान जारी करता है। वर्ष 2020 के ब्योरे नीचे दिए गए हैं:-

जीडीपी के तिमाही अनुमानों का कैलेण्डर

 (1)
 वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही
 :
 28 फरवरी 2020

 (2)
 वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही
 :
 31 मई 2020

(3) वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही : 31 अगस्त 2020

(4) वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही : 30 नवंबर 2020

प्रथम तिमाही: अप्रैल-जून, दूसरी तिमाही: जुलाई-सितम्बर, तीसरी तिमाही: अक्तूबर-दिसम्बर, चौथी तिमाही: जनवरी-मार्च

जीडीपी के वार्षिक अनुमानों का कैलेण्डर

(1) वर्ष 2019-20 के प्रथम अग्रिम अनुमान : 07 जनवरी 2020

(2) वर्ष 2018-19 के प्रथम संशोधित अनुमान : 31 जनवरी 2020

(3) वर्ष 2019-20 के दूसरे अग्रिम अनुमान : 28 फरवरी 2020

(4) वर्ष 2019-20 के अनंतिम अनुमान : 29 मई 2020

4.6 वर्ष 2019-20 (30 नवंबर, 2019 तक) के लिए जारी एनएडी प्रकाशनों, आंकड़ा रिलीज और रिपोर्टें, जो सरकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, नीचे दी गई हैं:

तालिका-4.1

| क्र.सं. | प्रकाशन/डेटा रिलीज/रिपोर्ट का विवरण | जारी करने की | जारी करने का |
|---------|--|----------------|--------------|
| | | तिथि | तरीका |
| 1 | भारत में पेरोल रिपोर्टिंग: रोजगार | 25 अप्रैल 2019 | प्रेस नोट |
| | परिपेक्ष्-य* | | |
| 2 | वार्षिक राष्ट्रीय आय 2018-19 के अनंतिम | 31 मई 2019 | प्रेस नोट |
| | अनुमान तथा वर्ष २०१८-१९ की चौथी | | |
| | तिमाही (क्यू4) के सकल घरेलू उत्पाद | | |
| | (जीडीपी) के तिमाही अनुमान | | |
| 3 | वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 | 15 जुलाई 2019 | ई-प्रकाशन |
| | के लिए आपूर्ति उपयोग सारणी | | |
| 4 | राष्ट्रीय लेखा आधार 2011-12 की पिछली | अगस्त २०१९ | ई-प्रकाशन |
| | श्रृंखलाएं | | |
| 5 | वर्ष २०१९-२० की प्रथम तिमाही (अप्रैल- | 30 अगस्त | प्रेस नोट |
| | जून) के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान | 2019 | |
| 6 | नए आधार वर्ष 2011-2012 (2011-12 से | सितंबर 2019 | ई-प्रकाशन |
| | 2016-17) के साथ कृषि और सहायक | | |
| | क्षेत्रों से आउटपुट के मूल्य के राज्यवार | | |
| | और मदवार अनुमान | | |
| 7 | राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी - 2019 | सितंबर 2019 | ई-प्रकाशन |
| 8 | वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही (जुलाई- | 30 नवंबर 2019 | प्रेस नोट |
| | सितंबर) के लिए सकल घरेलू उत्पाद के | | |
| | अनुमान | | |

^{*} प्रत्येक माह की दिनांक 25 वीं को जारी और यदि 25 वीं को अवकाश है तो उससे पहले की तारीख को जारी

4.7 वर्ष 2019-20 (नवंबर, 2019 तक) के दौरान आयोजित बैठकों/सम्मेलनों/ कार्यशालाओं के ब्योरे नीचे दिए गए हैं:

- वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों पर डीईएस के प्रतिनिधियों के साथ 13 मई, 2019 से 7 जून, 2019 के दौरान वार्षिक विचार-विमर्श किए गए ।
- राज्य घरेलू उत्पाद तथा अन्य संबंधित समाहारों के संकलन पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सांख्यिकी कार्मिकों की दो क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं बैंगलौर, कर्नाटक में 19 से 23 अगस्त 2019 के दौरान तथा चंडीगढ़, पंजाब में 23 से 27 सितंबर 2019 के दौरान आयोजित की गई थी ।
- उप-राष्ट्रीय लेखा समिति की चार बैठकें (4 से 7) प्रोफेसर आर. ढोलकिया की अध्यक्षता में 9 अगस्त, 4 सितंबर, 20 सितंबर, 23 अक्तूबर क्रमशः को आयोजित की गई।
- राष्ट्रीय लेखा के नये आधार वर्ष पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी
 पर परामर्श समिति (एसीएनएएस) की एक बैठक 30 अक्तूबर, 2019 को
 आयोजित की गई ।

मूल्य सांख्यिकी

4.8 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी 2011 से अखिल भारत तथा सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या हेतु पृथक रूप से आधार वर्ष (2010=100) के साथ मासिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित करना आरंभ किया । सीएसओ ने अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के सामंजस्य से कार्यप्रणाली में बहुत से सुधारों को समाहित करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2010=100 से 2012=100 में संशोधित किया है । संशोधित शृंखला के लिए मदों तथा अधिमान रेखाचित्रों को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 68वें दौर के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (सीईएस) 2011-12 के मिश्रित संदर्भ अवधि (एमएमआरपी) आंकड़ों का उपयोग करके तैयार किया गया है । इसके अलावा, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) दस उप-समूहों नामतः 'अनाज तथा उत्पाद; 'मांस तथा मछली'; 'अंडा'; 'दूध तथा उत्पाद'; 'तेल एवं वसा'; 'फल'; 'वनस्पित'; 'दलहन तथा उत्पाद'; 'चीनी एवं मिष्ठान' का पृष्ठ 2 और 6; तथा 'मसाले' के अधिमान औसत सूचकांकों के रूप में भी जारी किए जा रहे हैं । इसमें 'गैर-एल्कोहलिक पेय' तथा 'तैयार भोजन, स्नैक्स, मिठाइयां आदि' शामिल नहीं हैं ।

सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति रूझान

4.9 तालिका 4.2 में दिए गए अनुसार, संयुक्त क्षेत्र के लिए सीपीआई (सामान्य) पर आधारित अखिल भारत वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें प्रतिशत में नवंबर, 2018 से अक्तूबर, 2019 की अविध के दौरान (अर्थात पिछले वर्ष के उसी माह की तुलना में वर्तमान माह में) 5.00% से नीचे रहीं । उक्त दर नवंबर 2019 में उच्चतम 5.54% रही है और न्यूनतम दर उपर्युक्त अविध के दौरान जनवरी 2019 में 1.97% पंजीकृत की गई थी ।


संयुक्त क्षेत्र के लिए सीपीआई (सामान्य) पर आधारित अखिल भारतीय वर्ष दर मुद्रास्फीति दर (%)

तालिका 4.2

| महीना और | नवं | दिस. | जन. | फर. | मार्च | अप्रै. | मई- | जून | जुलाई | अग | सित. | अक्तू | नवं |
|--------------------|------|------|------|------|-------|--------|------|------|-------|------|------|-------|-------------------|
| वर्ष | 18 | -18 | -19 | -19 | -19 | -19 | 19 | -19 | -19 | 19 | -19 | 19 | 19 |
| मुद्रास्फीति दर | 2.33 | 2.11 | 1.97 | 2.57 | 2.86 | 2.99 | 3.05 | 3.18 | 3.15 | 3.28 | 3.99 | 4.62 | 5.54 पी |

संयुक्त क्षेत्र के लिए सीपीआई (सामान्य) पर आधारित अखिल भारतीय वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दरें (%)

चित्र-1



4.10 तालिका 4.3 में दिए गए अनुसार, संयुक्त क्षेत्र के लिए सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारत वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर दर्शाती हैं कि नवंबर 2018 से नवंबर 2019 (अनंतिम) के दौरान खाय मदों की औसत मुद्रास्फीति दर 1.97% थी । सीएफपीआई मुद्रास्फीति ने नवंबर 2019 में 10.01% के उच्चतम स्तर को और अक्तूबर 2018 के न्यूनतम स्तर को छुआ है।


संयुक्त क्षेत्र के लिए सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दरें (%)।

तालिका 4.3

| - | महीना और वर्ष | नवं 18 | दिस. -18 | जन. -19 | फर. -19 | मार्च -19 | अप्रै. -19 | मई- 19 | जून -19 | जुलाई -19 | अग 19 | सित. -19 | अक्तू 19 | नवं19 |
|---|--------------------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|----------|-------------|-------------|-------|
| | मुद्रास्फीति दर | -2.61 | -2.65 | -2.24 | -0.73 | 0.30 | 1.10 | 1.83 | 2.25 | 2.36 | 2.99 | 5.11 | 7.89 | 10.01 |

पी-अनंतिम

सीएफपीआई (संयुक्त) पर आधारित अखिल भारत वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें (% में)
चित्र-2



4.11 सीएसओ समूह और उप-समूह स्तरों पर भी ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। उल्लेखनीय है कि यह परिपूर्ण रूप में 'खाद्य और पेय पदार्थ' का 45.86% शेयर है जिसमें संयुक्त क्षेत्र के सीपीआई बॉस्केट में सीएफपीआई का 39.06% शेयर शामिल है। अतः, आमतौर पर खाद्य मदें सीपीआई आधारित समग्र मुद्रास्फीति दर की प्रमुख संचालक होती हैं। पिछले एक वर्ष में समग्र मुद्रास्फीति दर के ऐसे उतार-चढ़ाव के कारणों को जानने के लिए, उप-समूह स्तरीय

मुद्रास्फीति का विश्लेषण अपेक्षित है । उप-समूह/समूहवार मुद्रास्फीति दर और उनके संबंधित शेयर (अधिभार के संबंध में) को नवंबर 2018 से नवंबर 2019 (अनंतिम) के दौरान प्रत्येक माह समग्र मुद्रास्फीति दर में उनका योगदान जानने के लिए एक साथ जोड़ा गया है । ये योगदान तालिका 4.4 में दिए गए हैं ।

संयुक्त क्षेत्रों के लिए सीपीआई (सामान्य) पर आधारित समूह/उप-समूह-वार मुद्रास्फीति दरों में समग्र मुद्रास्फीति का ब्योरा

तालिका 4.4

| समूह कोड | उप समूह कोड | भार | नवं 18 | दिस. -18 | जन. -19 | फर. -19 | मार्च -19 | अप्रै. -19 | मई- 19 | जून -19 | जुलाई -19 | अग 19 | सित. -19 | अक्तू 19 | नवं 19 (पी) |
|-------------|---------------------------------|------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------------------|
| 1 | अनाज और उत्पाद | 9.67 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.35 |
| 2 | मांस व मछली | 3.61 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.35 |
| 3 | अंडा | 0.43 | - 0.02 | - 0.02 | -0.01 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.40 | 0.36 | 0.36 |
| 4 | दूध और उत्पाद | 6.61 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 5 | तेल और वसा | 3.56 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.23 |
| 6 | फल | 2.89 | 0.01 | - 0.04 | -0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 7 | सब्जियां | 6.04 | -1.19 | -1.14 | - 0.88 | -0.14 | -0.18 | -0.16 | -0.17 | -0.13 | - 0.03 | -0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.10 |
| 8 | दालें और उत्पाद | 2.38 | -0.21 | -0.16 | -0.12 | -0.48 | - 0.09 | 0.17 | 0.32 | 0.30 | 0.19 | 0.47 | 1.03 | 1.65 | 2.29 |
| 9 | चीनी और मिष्टान | 1.36 | -0.11 | -0.11 | - 0.09 | - 0.08 | -0.05 | - 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.28 |
| 10 | मसाले | 2.5 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | - 0.08 | - 0.07 | - 0.05 | 0.00 | 0.00 | - 0.02 | - 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 11 | गैर- अल्कोहलिक पेय पदार्थ | 1.26 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| 12 | तैयार भोजन, स्नैक्स, | 5.55 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |

| | मिठाईयां | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| | ामठाइया आदि | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | खाद्य और | | _ | | | | | | | | | | | | |
| 13 | पेय पदार्थ | 45.86 | 0.78 | -0.61 | -0.61 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| 14 | पान, तंबाकू, | | | | | | | | | | | | | | |
| | और मादक पदार्थ | 2.38 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | -0.02 | 0.33 | 0.64 | 0.90 | 1.08 | 1.12 | 1.37 | 2.21 | 3.13 | 3.99 |
| 15 | कपड़े | 5.58 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| 16 | जूते-चप्पल | 0.95 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| 17 | कपड़े और जूते-चप्पल | 6.53 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.09 |
| 18 | हाउसिंग | 10.07 | 0.61 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.48 |
| 19 | ईंधन और प्रकाश | 6.84 | 0.49 | 0.30 | 0.14 | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | -0.02 | -0.02 | -0.16 | 0.14 | -0.14 |
| 20 | परिवार | | | | | | | | | | | | | | |
| | वस्तुएं और सेवाएं | 3.8 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.08 |
| 21 | स्वास्थ्य | 5.89 | 0.41 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.33 | 0.33 |
| 22 | परिवहन और संचार | 8.59 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| 23 | मनोरंजन | | | | | | | | | | | | | | |
| | और मनोविनोद | 1.68 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 24 | शिक्षा | 4.46 | 0.30 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.25 |
| 25 | व्यक्तिगत | | | | | | | | | | | | | | |
| | देखभाल और सामान | 3.89 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.23 |
| 26 | विविध | 28.32 | 1.62 | 1.65 | 1.58 | 1.63 | 1.55 | 1.41 | 1.25 | 1.22 | 1.30 | 1.30 | 1.23 | 0.94 | 1.03 |
| 27 | सामान्य | | | | | | | | | | | | | | |
| | सूचकांक (सभी | 100.00 | 2.33 | 2.11 | 1.97 | 2.57 | 2.86 | 2.99 | 3.05 | 3.18 | 3.15 | 3.28 | 3.99 | 4.62 | 5.54 |
| | समूह) | | | | | | | | | | | | | | |

4.12 चित्र 3 में महत्वपूर्ण उप-समूहों के योगदान को पृथक रूप से दर्शाया गया है तथा अन्य के योगदान को 'अन्य उप-समूहों' के रूप में साथ-साथ मिलाया गया है । रेखाचित्र से स्पष्ट है कि आवास का अपने अधिमान की वजह से सर्वाधिक योगदान रहा है। दूसरी तरफ नवंबर 2018 से मार्च 2019 तक वनस्पतियों ने नकारात्मक योगदान किया। तत्पश्चात धीरे-धीरे इनका योगदान बढ़ना शुरू हुआ। अगस्त 2019 से संपूर्ण मुद्रास्फीति में वनस्पतियों का योगदान विशेष रूप से अक्तूबर तथा नवंबर 2017 के दौरान अत्याधिक बढ़ा है।

6.00 5.00 4.00 ■ Other Subgroups Fuel and light 3.00 Housing Prepared meals, snacks, sweets etc. 2.00 Sugar and confectionery Pulses and products 1.00 ■ Vegetables Cereals and products 0.00 -1.00% -2.00

समग्र मुद्रास्फीति दर में विभिन्न उप-समूहों/समूहों का योगदान चित्र 3

अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम

- 4.13 अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम (आईसीपी): अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम,संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (यूएनएससी) के तत्वधान और वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक और क्षेत्रीय स्तर पर एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा समन्वित एक वैश्विक सांख्यिकी पहल है।
- 4.14 संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के 47वें सत्र के निर्णय के अनुसार, आईसीपी वैश्विक सांख्यिकी कार्यक्रम का एक स्थाई तत्व बन गया है । इसके अलावा, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद आईसीपी के वर्तमान दौर के आईसीपी शासी बोर्ड के सांख्यिकी आस्ट्रिया के साथ-सह-अध्यक्ष हैं । भारत ने आईसीपी 2017 में भाग लिया है। आईसीपी 2017 के लिए मूल्य संग्रहण की संदर्भ अविध (वर्तमान दौर) अप्रैल 2017 से मार्च 2018 है । आईसीपी के इस चक्र के अंतर्गत, 900 से अधिक उत्पादों/मदों के परिवार सेक्टर

के अंतर्गत विभिन्न उपभोग श्रेणियों के मूल्य स्थिर किए गए । प्रथम चरण में 'भोजन', 'परिधान तथा चप्पल-जूते' से संबंधी मदों के लिए 320 ग्रामीण बाजारों तथा 577 शहरी बाजारों से एवं सर्वेक्षण अविध के दूसरे चरण में 'भोजन' 'परिधान' तथा जूते-चप्पल' को छोड़कर अन्य मदों के लिए 108 शहरी बाजारों से मूल्य एकत्रित किए गए थे । 'मशीनरी तथा उपकरण' श्रेणी में 196 मदों का मूल्य स्थिर किया गया तथा 'विनिर्माण' श्रेणी में 58 मदों के मूल्य स्थिर किए गए ।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)


4.15 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों या उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में 14 स्रोत एजेंसियों से प्राप्त सहायक डेटा का उपयोग करके औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का संकलन करता है।

4.16 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष डेटा प्रसार मानक (एसडीडीएस) मानदंडों के अनुसार 6 सप्ताह के समय-अंतराल के साथ त्विरत अनुमान के रूप में हर महीने आईआईपी जारी किया जाता है। खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के लिए सूचकांक के ब्रेकअप के अलावा, उपयोग-आधारित वर्गीकरण अर्थात, प्राथमिक सामान, पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती माल, बुनियादी ढांचा / निर्माण माल, उपभोक्ता उपभोक्ता टिकाऊ और गैर-टिकाऊ के अनुसार भी अनुमान जारी भी किए जा रहे हैं। । इन अनुमानों को बाद में 14 स्रोत एजेंसियों से अद्यतित उत्पादन डेटा प्राप्त होने पर संशोधित किया जाता है । हालांकि, आईआईपी के लिए डेटा का प्रमुख स्रोत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) है, जो कुल आईआईपी में 47.54% के अधिभार के साथ 407 मद समूहों में से 322 के लिए डेटा की आपूर्ति करता है।

4.17 प्रेस विज्ञिस, डेटा (क्षेत्रीय और उपयोग आधारित श्रेणी) मेटाडेटा, और आधार वर्ष 2011-12 के साथ अखिल भारतीय आईआईपी की कार्यप्रणाली का विवरण सार्वजनिक पहुंच के लिए वेबसाइट (http://www.mospi.gov.in/iip-2011-2-सीरीज़)) में उपलब्ध कराया गया है।

4.18 औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्रवार वार्षिक सूचकांक और इसकी वृद्धि दर 2012-13 से 2018-19, जनवरी 2019 से नवंबर 2019 तक मासिक सूचकांक और विकास दर और 2012-13 से 2018-19 तक वार्षिक सूचकांक और विकास दर (नवंबर 2019 तक)) नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाए गए हैं:


औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (वार्षिक): 2012-13 से 2018-19: क्षेत्रवार चित्र 4



नोटः वि. विनिर्माणः इलेक्ट्रोनिक- बिजली


आईआईपी: 2012-13 से 2018-19 के लिए क्षेत्र-वार वार्षिक वृद्धि दरों (पिछले वर्ष के संदर्भ में) की तुलना

चित्र 5



औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (मासिक): जनवरी 2019 से नवंबर 2019 – क्षेत्रीय सूचकांक

चित्र 6




* अनंतिम

नोटः वि. - विनिर्माण, इलेक्ट्रोनिक- बिजली

क्षेत्रवार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वृद्धि दरें (पिछले वर्ष से संबंधित): जनवरी 2019 से नवंबर 2019

चित्र 7



* अनंतिम

नोट: वि; इलेक्ट्रानिक - बिजली

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (अप्रैल-नवंबर के लिए संचयी): 2012-13 से 2019-20-क्षेत्रवार

170.0 160.0 150.0 140.0 130.0 120.0 110.0 100.0 90.0 80.0 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20* 92.1 88.5 88.4 91.4 93.9 97.0 · · · Mining 100.8 100.4 Manf. 103.0 106.7 110.5 113.1 119.8 122.3 129.4 130.1 Elect. 104.4 109.8 129.5 136.2 144.3 152.0 162.3 164.9 General 101.5 104.3 108.8 111.9 118.1 121.0 127.9 128.6

चित्र 8

* अनंतिम

नोट: वि. - विनिर्माण, इलेक्ट्रोनिक - बिजली

राज्य स्तरीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

4.19 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्यों के संबंधित राज्य स्तरीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संकलन के लिए उनके साथ कार्य कर रहा है। 2011-12 आधार वाले अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांकों के संकलन के अनुरूप राज्य स्तरीय सत्तरीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांकों के संकलन को सुविधाजनक बनाने के लिए, वर्ष 2018-19 के दौरान चार क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। 28 प्रमुख राज्यों में से, 19 राज्य आधार 2011-12 के साथ अपने राज्य स्तरीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांकों का संकलन कर रहे थे। अन्य प्रमुख राज्य राज्य, स्तरीय स्तरीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांकों के संकलन के विभिन्न चरणों में थे। इन राज्यों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए 16 नवंबर, 2019 को पुणे, महाराष्ट्र में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था।



पुणे, महाराष्ट्र में राज्य आईआईपी पर समीक्षा बैठक

4.20 आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर उनके अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए मद टोकरी चयन, अधिभार आरेख का रेखांकन, आंकड़ों का संग्रहण,आंकड़ों का मान्यकरण सूचकांकों के संकलन तथा प्रसारण जैसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांकों के विभिन्न पहलुओं पर दिनांक 14 से 15 नवंबर 2019 को एक प्रशिक्षण कार्याशाला का आयोजन किया गया।



पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित राज्य स्तरीय आईआईपी पर प्रशिक्षण कार्यशाला

ऊर्जा सांख्यिकी

4.21 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ऊर्जा सांख्यिकी नाम से प्रत्येक वर्ष प्रकाशन निकालता है तथा "ऊर्जा सांख्यिकी-2019" (26वां संस्करण) इस शृंखला में नवीनतम प्रकाशन है जिसे मार्च, 2018 में जारी किया गया । यह विभिन्न स्रोतों यथा कोयला, अपरिष्कृत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत के आरक्षित भंडार, संस्थापित क्षमता, उत्पादन, उपभोग, आयात, निर्यात तथा थोक कीमतों का समन्वित तथा अद्यतित डेटाबेस है । उर्जा संतुलन एनर्जी बैलेंस तथा सेंकी आरेख (ऊर्जा प्रवाह डायग्राम) इसकी उपयोगिता को और बढ़ाने पर केंद्रित है । यह प्रकाशन योजनाकारों, नीति-निर्माताओं तथा अनुसंधानकर्ताओं को एक ही जगह पर ऊर्जा संबंधित आंकड़े उपलब्ध करवाकर, उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है ।

सातवीं आर्थिक गणना

4.22 क्षमता विकास योजना के अंतगर्त ईएसडी, सीएसओ द्वारा वर्ष 2019 में 7वीं आर्थिक गणना (ईसी) संचालित करवाई जा रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सीएससी, ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निगमित एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को 7वीं आर्थिक गणना के संचालन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल किया है।

7वीं आर्थिक गणना के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 31 दिसंबर 2019 को आरंभ हो चुका है तथा इसे शीघ्र ही शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रारंभ कर दिया जाएगा। सांख्यिकी अधिनियम 2008 संग्रहण के उपबंधों के अंतर्गत देश भर में प्रत्येक परिवार तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के घर-घर जाकर सर्वेक्षण के माध्यम से मोबाइल एप पर आंकड़ों का संग्रहण किया जा रहा है। आंकड़ों का संग्रहण तथा पर्यवेक्षण सीएससी एसपीवी में लगे हुए तथा प्रशिक्षित गणकों तथा पर्यवेक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के दूसरे स्तर के पर्यवेक्षकों तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रतिदर्श आधार पर कवरेज, प्रक्रिया जांच तथा आंकड़ा गुणवत्ता पर्यवेक्षण किया जा रहा है। 31 दिसंबर 2019 तक 4.82 करोड़ ईसी घरों का सर्वेक्षण किया जा युका है।

सामाजिक सांख्यिकी

4.23 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग सांख्यिकी और कार्यकम कार्यान्वयन मंत्रालय सामाजिक, पर्यावरण तथा बहु-पहलू सांख्यिकी के विकास के समन्वय के लिए उत्तरदायी है । सामाजिक सांख्यिकी के दायरे में जनसंख्या, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सहित मानव विकास, रोजगार, सामाजिक न्याय तथा समय उपयोग आता है जबिक बहु-पहलू सांख्यिकी में गरीबी, जेंडर, दिव्यांगता, निशक्तता तथा सहस्राब्दि विकास ध्येयों, (एसडीजी) संवहनीय विकास ध्येयों, सार्क विकास ध्येयों और सार्क सामाजिक चार्टर संबंधी संकेतक आते हैं।

4.24 प्रभाग पर्यावरण और उपर उल्लिखित बहु-सांख्यिकी के संबंध में वार्षिक और तदर्थ प्रकाशन जारी करता है। इन प्रकाशनों के लिए प्रत्येक विषय के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले प्रसंगों के अत्याधिक विस्तृत होने के कारण, प्रभाग राष्ट्रीय सर्वेक्षणों, गणनाओं, प्रशासनिक आंकड़ों, आर्थिक आंकड़ों, सांख्यिकी रिमोट सेंसिंग एजेंसी, पर्यावरणीय अनुवीक्षण प्रणाली से प्राप्त सूचनाओं का मिलान करता है तथा आंकड़ों के लिए विहित मानक ढांचे में जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार समय और स्थान में तुलनीय, समय-शृंखलाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

4.25 यह प्रभाग केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में बनी समितियों और विभिन्न विशेषज्ञ / तकनीकी समूहों में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का प्रतिनिधित्व करता है और देश में सांख्यिकीय प्रणाली में अनुरूपता और कुशलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न सांख्यिकी एजेंसियों में समन्वय सुनिश्चित करने में ना केवल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है बल्कि सभी स्तरों पर सांख्यिकी प्रणालियों की अनुरूपता और कुशलता बढ़ाने के लिए मानकीकृत धारणाओं, वर्गीकरणों और प्रणालियों के उपयोग पर भी जोर देता है।

4.26 इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके बीस सूत्री कार्यक्रम(टीपीपी) के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करता है। प्रभाग द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की वार्षिक और तिमाही रिपोर्ट, जो बीस सूत्री कार्यक्रम(टीपीपी) का एक भाग है, जारी की जाती है।

4.27 वार्षिक संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के रूप में जारी ब्रिक्स देशों की सांख्यिकी आंकड़ा शृंखला, वर्ष 2010 से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों के वार्षिक संयुक्त प्रयासों का परिणाम हैं जो इन देशों के बारे में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक आंकड़ा सांख्यिकी का प्रचार-प्रसार करने में सहायता करते हैं। सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग ब्रिक्स संबंधित गतिविधियों के संबंध में भारत के लिए सांख्यिकीय समन्वय के लिए जिम्मेदार है।

4.28 वर्ष प्रभाग द्वारा 2019-20 के दौरान की गई विशेष गतिविधियां निम्नलिखित पैराग्राफ में दर्शायी गई है।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में प्रगति की निगरानी

4.29 न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर राष्ट्र व सरकारों के अध्यक्ष तथा उच्च प्रतिनिधियों की 25 सितंबर 2015 को हुई बैठक में वैश्विक संवहनीय विकास लक्ष्यों के एक सैट को अंगीकार करने के लिए 'ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड'', संवहनीय विकास के लिए 2030 एजेंडा' नामक संकल्प को अंगीकार किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रों पर जोर देते हुए वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों का एक सेट भी शामिल था । 2030 एजेण्डा के प्रमुख पांच पहलू हैं- व्यक्ति, समृद्धि, ग्रह, साझेदारी और शांति, इनमें से प्रत्येक की सतत विकास के तीन पहलूओं अर्थात आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रयुक्त सतत विकास लक्ष्यों और ध्येयों का उपयोग करके एजेण्डे में चर्चा की गई ।

4.30 तत्पश्चात सतत विकास लक्ष्य संकेतकों पर अंतः एजेंसी और विशेषज्ञ समूह(आईएईजी-एसडीजीएस) ने सतत विकास लक्ष्यों के वैश्विक संकेतकों की एक सूची जिसे 6 जुलाई 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकार किया गया था । वैश्विक संकेतक ढांचे में 232 विशिष्ट संकेतकों को शामिल किया गया है । भारत जिसका प्रतिनिधित्व सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया, आईएईजी-एसडीजी और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा किए गए अन्य प्रयासों में सिक्रय भागीदार रहा है, जिसका लक्ष्य एसडीजी के वैश्विक अनुवीक्षण हेतु संकेतक ढांचे को सुदृढ़ करना है।

- 4.31 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत की प्रगति, हेतु अनुवीक्षण में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों, विजन और ध्येयों को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) का विकास किया । राष्ट्रीय संकेतक ढांचा सरकारी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय परामर्श प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया गया है। एनआईएफ, जिसमें 306 संकेतक हैं, नवंबर 2018 में मंत्रालय की वेबसाइट https://mospi.gov.in पर अपलोड किया गया था। बाद में, 29 जून 2019 को मनाए गए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर, (एसडीजी-एनआईएफ बेसलाइन रिपोर्ट 2015-16 जारी की गई थी)जो अनुवर्ती वर्षों में विभिन्न विकास संबंधी पहलुओं पर हुई प्रगति को मापने के लिए एक संदर्भ बिंदु था। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र आवास संयोजक (यूएनआरसी), भारत के सहयोग से राष्ट्रीय संकेतक ढांचा संबंधी एक एसडीजी भारत डैशबोर्ड का विकास किया गया और एसडीजी पर एक वेब पेज भी सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।
- 4.32 वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् और सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकेतक ढांचे की समीक्षा करने और उसमें सुधार लाने के लिए 20 जून 2019 और 7 दिसंबर 2019 को उच्च स्तरीय संचालन समिति (एचएलएससी) की दो बैठकें आयोजित की गई थीं, जिसमें नीति आयोग, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे । इन बैठकों में एचएलएससी की सिफारिशों को एसडीजी, एनआईएफ की प्रथम प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा ।
- 4.33 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 78 वें दौर के भाग के रूप में जनवरी 2020 से एक नया बहु संकेतक सर्वेक्षण (एमआईएस) करने के प्रक्रियाधीन है ताकि राष्ट्रीय और वैश्विक एसडीजी संकेतकों संबंधी आंकड़ा अंतराल को कम किया जा सके।
- 4.34 संरक्षक एजेंसियों, केंद्र में नोडल मंत्रालय, अनुसंधान संस्थान, राज्य सरकारों और जनता को शामिल करते हुए सभी हितधारकों के साथ सक्रिय सहयोग सतत विकास

लक्ष्यों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों के संदर्भ में देश द्वारा की गई प्रगति के सांख्यिकी अनुवीक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । इस संबंध में प्रभाग द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं ।

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और यूनाइटेड नेशंस रेजीडेंट कोऑर्डिनेटर के बीच 15 मार्च, 2018 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे । इसका एकमात्र उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की कस्टोडियन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना और अनुवीक्षणा योग्य संकेतकों का विकास करने में सहयोग करना.
- इन हेतु छह क्षेत्रीय समितियाँ बनाई गई हैं, (i) गरीबी और भूखमरी, (ii) स्वास्थ्य और जेंडर (iii) शिक्षा, रोजगार और श्रम, (iv) पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, (v) सुशासन (vi) वृहत आंकड़े, कृत्रिम बुद्धिमता पर जिनमें नोडल मंत्रालयों, संरक्षक एजेंसियों और अनुसंधान संस्थानों से सदस्य लिए गए हैं । इन क्षेत्रीय समितियों की नियमित बैठकों, के साथ केंद्रीय अंतर मंत्रालयी बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं । इन बैठकों में सतत विकास लक्ष्यों संबंधी वैश्विक और राष्ट्रीय संकेतकों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है तािक इन संकेतकों संबंधी रिपोर्टिंग में सुधार किया जा सके।
- राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी संबंधी कोई भी विवरण राज्यों की विद्यमान स्थिति पर संबंधित टिप्पणी के बिना अधूरी है । अतः प्रभाग, व्यापक और समावेशी एसडीजी अनुवीक्षण फ्रेमवर्क के विकास में राज्य को पर्याप्त तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवा रहा है।

इसके अतिरिक्त, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 11-12 नवंबर 2019 को कोलकाता में आयोजित केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों (सीओसीएसएसओ) के वार्षिक सम्मेलन में, "सतत विकास लक्ष्यों" विषय पर पैनल विचार-विमर्श और ब्रेक-आउट सत्र आयोजित किए गए, इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों, सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए थे । सम्मेलन के अंत में राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच अनेक सहयोग कार्यान्वित किए गए और लगभग सभी राज्यों ने एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक संकेतक ढांचा तैयार किया ।

• अनेक विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए लोगों की सिक्रय भागीदारी की आवश्यकता है। इसके लिए जागरूकता उत्पन्न करना जरूरी है। प्रभाग लघु डाक्युमेंट्री और एसडीजी संबंधी विषयक फिल्म को जारी करके और मीडिया के साथ परस्पर क्रिया के माध्यम से भी इस पहलू का समाधान कर रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने हिंदी में एसडीजी संबंधी डाक्युमेंट्री फिल्म पहले ही बना ली है और इसे अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में डब करवाने के प्रक्रियाधीन है। जनता के बीच लक्ष्यों और उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एसडीजी की वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो प्रो. पी.सी. महालनोबिस की याद में प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है, के थीम के रूप में घोषणा की। सतत विकास की अवधारणा को उचित तरीके से स्कूल पाठ्यक्रम में आरंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पर्यावरण की निगरानी

4.35 भारत में पर्यावरण संबंधी शासकीय सांख्यिकी के संबंध में सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग के कार्यकलाप दो प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं-पर्यावरण सांख्यिकी और पर्यावरण लेखा। प्रभाग द्वारा इन क्षेत्रों में वर्ष 2018-19 के दौरान इस संदर्भ में शुरू किए गए कुछ कार्यकलापों को निम्नलिखित पैराग्राफों में उजागर किया गया है:

पर्यावरण सांख्यिकी

4.36 पर्यावरण के सभी पहलुओं पर सांख्यिकी सूचना का मिलान करने तथा जारी करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए मार्च 2019 में ''एनवी स्टेटस-इंडिया,2019; वाल्युम-। - पर्यावरण सांख्यिकी प्रकाशन का अगला अंक जारी किया गया । यह प्रकाशन पर्यावरण सांख्यिकी के संकलनार्थ यूएनएसडी द्वारा विहित एफडीईएस 2013 पर आधारित है तथा पर्यावरण सांख्यिकी के विकास संबंधी ढांचे (एफडीईएस) में विहित छह मौलिक घटकों नामतः (i) पर्यावरण स्थितियां और गुणवत्ताः (ii) पर्यावरण संसाधन और उनका उपयोगः (iii) अविशिष्टों (iv) चरम घटनाओं और आपदाओं; (v) मानव अवस्थापन और पर्यावरणीय स्वास्थ्यः (vi) पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और संलग्नता पर सूचना उपलब्ध कराता है। प्रकाशन का आनेलाइन संस्करण प्रयोक्ताओं की सुविधा के लिए एक वृहत समय श्रृंखला सूचना उपलब्ध कराता है।

पर्यावरण लेखा

4.37 पर्यावरणीय लेखा प्राकृतिक पूंजी के मूल्य को पूंजी के अन्य रूपों के साथ-साथ राष्ट्रीय लेखांकन फ्रेमवर्क में शामिल करने में सहायता करता हैं। समेकित पर्यावरणीय – आर्थिक लेखा, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों को समझने में सहायता कर सकते हैं, और इस प्रकार से ये प्राकृतिक पूंजी के सतत उपयोग को समर्थ बनाते हैं। प्रभाग ने सितंबर 2019 में पर्यावरण लेखा संबंधी वार्षिक प्रकाशन के वर्ष 2019 के अंक 4 ''एन्वीस्टेट्स-इण्डिया 2019 वाल्युम ॥ः पर्यावरण खाते'' जारी किया है। इस प्रकाशन में मिट्टी और पानी की गुणवत्ता का आकलन और कृषि भूमि और प्रकृति आधारित पर्यटन द्वारा उपलब्ध करवाई गई पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं के मुल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

4.38 इन प्रकाशनों के अलावा, नीति-निर्माण में प्राकृतिक पूंजी लेखाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए, प्रभाग "प्राकृतिक पूंजी लेखांकन और पारिस्थितिकी-प्रणाली सेवाओं का मूल्यांकन' पर परियोजना का समन्वय कर रहा है । यह ईयू-वित्त पोषित परियोजना संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और जैविक भिन्नता कन्वेंशन के सचिवालय के मध्य साझा परियोजना के रूप में कार्यान्वयनाधीन है तथा पारिस्थितिकी प्रणाली लेखाओं के संकलन के पथ पर, भारत के आगे बढ़ने की संभावना है । इस परियोजना के अंतर्गत, भारत में मौजूदा पारिस्थितिकी प्रणाली लेखांकन पहलों तथा साहित्य की समीक्षा करने तथा पारिस्थितिकी प्रणाली लेखाओं का संकलन करने के लिए आंकड़ा स्रोतों के लिए लैंड स्केप मूल्यांकन किया गया, जिसकी रिपोर्ट यूएनएसडी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इस मूल्यांकन ने पारिस्थितिकी प्रणाली लेखांकन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार करने में प्रभाग की सहायता की, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय लेखा संबंधीदोप्रकाशन अस्तित्व में आए हैं और लेखा के संकलन के लिए प्रयुक्त विधियों में भी सुधार करने के उद्देश्य के साथ, प्रभाग संयुक्त राष्ट्र प्रभाग और यूएईपी, जिन्होंने न केवल भारतमें पूंजी लेखांकन के लिए विभिन्न नीति बनाने में सहायता की है अपित् पर्यावरणीय लेखांकनकेकार्यान्वयन में भारत जैसे विकसित देशों के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदायों का ध्यान आकर्षितिकयाहै,द्वारासंचालित विभिन्नबैठकों में भी सक्रियतापूर्वक भाग लियाहै।

बहु-डोमेन सांख्यिकी की स्थिति का आकलन

4.39 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जेण्डर, गरीबी, खाद्य सुरक्षा और इस प्रकार के बह्-डोमेन सांख्यकी के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इन विषयों पर अनेक एजेंसियां कार्य करती हैं, इनमें से प्रत्येक एजेंसी विषय संबंधी 'स्टोवपाइप' प्रस्तुत करती है। एसडीजी की दिशा में प्रगति के अनुवीक्षण के मामले के समान, यहां भी एनएसओ को सरकार की विभिन्न एजेंसियों के साथ सहयोग स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ताकि इन एजेंसियों में से प्रत्येक के प्रयास को कुशलतापूर्वक समयबद्ध सांख्यिकी संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए एकत्र किया जा सके जो देश में आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक घटनाओं के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं । एनएसओ, इन बह्-पहलु सांख्यिकी की सूचना के एक संकलनकर्ता की भूमिका भी निभाता है, ताकि उपयोगकर्ताओं को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हों सके । इस समेकित डेटासेट का कार्य न केवल प्रमुखता से सभी स्तरों पर निर्णय लेना, मूल्यांकन और आकलन करना ही है बल्कि उपलब्धियों के आधार पर आधारित सार्वजनिक निकायों की जावबदेही के लिए महत्वपूर्ण घटक के रूप में सेवा करना भी है । इस संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग जेण्डर पर और सार्क देशों में सामाजिक क्षेत्र के विकास पर भी वार्षिक प्रकाशन तैयार करता है । इसके अतिरिक्त तदर्थ प्रकाशन जारी किए जाते हैं जो सामान्यतः प्रयोक्ताओं की कुछ मांगों का परिणाम हैं।

4.40 भारत जेंडर सांख्यिकी पर अंतर-एजेंसी और विशेषज्ञ समूह एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय फोरम का सदस्य है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपने विकास को समझने के लिए और भारत के दृष्टिकोण को आगे रखने के लिए जेंडर सांख्यिकी संबंधी सम्मेलनों/फोरमों में भाग लेता है।

4.41 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश में सार्क सोशल चार्टर के कार्यान्वयन के सांख्यिकीय समन्वयन और सांख्यिकीय अनुवीक्षण के लिए नामित मंत्रालय है। सार्क विकास लक्ष्य और सार्क सोशल चार्टर,गरीबी उन्मूलन, आय स्तर में वृद्धि, बेहतर स्वास्थय संबंधी सुविधाएं, साक्षरता स्तर बढ़ाना और इस प्रकार से नागरिकों के जीवन स्तर ऊपर उठाने संबंधी सरकार की नीतियों के उपलब्धता संबंधी स्तर को मापता है।

- 4.42 प्रभाग विभिन्न एजेंसियों द्वारा क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि इन सांख्यिकीय पहलुओं के संबंध में विद्यमान संकेतक-सेट की मजबूती और कवरेज में सुधार किया जा सके । वर्ष 2019-20 के दौरान प्रभाग द्वारा बहु-पहलू सांख्यिकी के प्रसारण में तथा क्षमता विकास में की गई कुछ गतिविधियों को रूपरेखा पैराग्राफों में दर्शाया गया है ।
 - वार्षिक प्रकाशन ''भारत 2018 में महिलाएं तथा पुरूष'' के नाम से मार्च 2019 में प्रकाशित किया गया था । यह प्रकाशन स्वास्थय, शिक्षा, अर्थव्यवस्था में भागीदारी, निर्णयन तथा महिला सशक्तिकरण में सामाजिक बाधाएं आदि से संबंधी विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलुओं के संबंध में जेंडर के आधार पर अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध कराता है।
 - ''सार्क सामाजिक चार्टर'' नामक प्रकाशनः मार्च, 2019 में प्रकाशित किया गया था। सार्क सामाजिक चार्टर, जिस पर 4 जनवरी, 2004 को इस्लामाबाद में 12वें शिखर सम्मेलन में सार्क राष्ट्राध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, सामाजिक क्षेत्र का विकास करके अपने नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की सार्क राष्ट्रों की परिकल्पना को दोहराता है। सार्क सामाजिक चार्टर ने गरीबी उपशमन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन विकास, महिलाओं की स्थिति, बच्चों के अधिकार तथा स्वास्थ्य, जनसंख्या स्थिरीकरण, नशीली दवाओं का व्यसन, पुनर्वास तथा पुनर्घटन को सर्वाधिक प्राथमिकता दी है।
 - जून,2019 में ''खाद्य और पोषण सुरक्षा विश्लेषण, भारत 2019'' नामक प्रकाशन प्रकाशित किया गया । यह प्रकाशन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और डब्ल्यूएफपी का प्रयास है जो कि भारत में खाद्य उपलब्धता, खाद्य सुलभता और उसके उपयोग को चिन्हांकित करेगा और उसे सरल तरीके से प्रस्तुत करेगा जिससे उसे समझने में आसानी होगी और अपेक्षित कार्रवाई/कदम उठाए जा सकेंगे।
 - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से 16 सितंबर,2019 को जेंडर सांख्यिकी पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसका उद्देश्य केवल एसडीजी 5 तक ही सीमित न होकर विभिन्न प्रकार के एसडीजी संकेतकों के संबंध में लिंग संबंधी डेटा कमियों को चिह्नित करना, महिलाओं और बच्चियों इत्यादि सहित के विरूद्ध हिंसा जैसे जेंडर संवेदनशील

मामलों को शामिल करते हुए इन कमियों को दूर करने संबंधी सभी संभव उपायों का पता लगाना है।

मानव संसाधन विकास

4.43 राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए) ग्रेटर नोएडा में स्थित है और मदनगीर रोड़, नई दिल्ली स्थित पुष्पा भवन में प्रशिक्षण एकक को स्थापित किया गया है । केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय सामाजिक सांख्यिकी के प्रशिक्षण प्रभाग के रूप में कार्य करता है।

4.44 राष्ट्रीय सांख्यिकी पद्धित प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए), जो पहले राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रशासन अकादमी (नासा) के रूप में जानी जाती थी और 13 फरवरी, 2009 को अस्तित्व में आयी, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर सरकारी सांख्यिकी में मानव संसाधन विकास को मुख्य रूप से पोषित करने वाला प्राथमिक संस्थान है। अकादमी राष्ट्रीय/उप-राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, विशेषरूप से विकासशील तथा सार्क देशों में, सरकारी सांख्यिकी तथा संबंधित विषयों के क्षेत्र में क्षमता निर्माण कार्य में सिक्रयतापूर्वक संलग्न है। सांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक माहौल व अग्रिम रूप से प्रौद्योगिकी और कार्यप्रणाली के अनुरूप सांख्यिकी कार्यबल बनाने की चुनौती का सामना करते हुए यह अकादमी न केवल अद्यतित पाठ्यसामग्री/पाठ्यक्रमों आदि को संशोधित करने का संवहनीय प्रयास करती है बल्कि शिक्षण-विधि, जिसमें केंद्र तथा राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र सरकारों में नए भर्ती तथा सेवारत सांख्यिकी कार्मिकों को निर्देशित इसकी संकेन्द्रित प्रशिक्षण कार्यनीति में सिम्मिलित करते हुए कारगर प्रदायगी तंत्रों का कार्यान्वयन भी करता है। इस अकादमी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश के लिए नीतियां और योजनाएं बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए आंकड़ा संग्रहण, मिलान, विश्लेषण और प्रचार की वर्तमान तथा उभरती दोनों प्रकार की चुनौतियों के प्रबंधन हेतु सैद्धांतिक और व्यावहारिक सांख्यिकी में प्रशिक्षित जनशक्ति का पूल सृजित करना;
- विशिष्ट लघु/मध्यम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक स्तरीय कार्यक्रमों/परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए सांख्यिकी और गैर-सांख्यिकी जनशक्ति को प्रशिक्षित करनाः तथा

- विश्वविद्यालयों, विदेशी व्यावसायिक संस्थाओं तथा यूएन/द्विपक्षी एजेंसियों से शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं तथा व्यवसायविदों के परामर्श और सहयोग से पाठ्यक्रम-जागरूकता के माध्यम से प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना तथा प्रशिक्षकों का पूल तैयार करना ।
- 4.45 अंगीकृत प्रशिक्षण कार्यनीति एनएसएसटीए में प्रवेश तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम, दोनों को आयोजित करना तथा अनेक अन्य अभिज्ञात प्रतिष्ठित व विशेषज्ञ संस्थाओं को बाह्य स्रोतों से प्रशिक्षण दिलवाना अपिरहार्य है। ये कार्यालय केंद्र सरकार में कार्यरत सांख्यिकीय अधिकारियों नामतः भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) अधिकारियों तथा केंद्र सरकार की अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) पदाधिकारियों और अभिज्ञात विषय क्षेत्रों में राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र सरकारों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सांख्यिकी अधिकारियों को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- 4.46 एनएसएसटीए मित्र और पड़ोसी एशियाई और अफ्रीकी देशों के सांख्यिकी कार्मिकों के क्षमता-निर्माण के विषय में नियमित रूप से तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप, एनएसएसटीए में अनुरोध आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित तौर पर आयोजन किया जाता है।
- 4.47 एनएसएसटीए अपने परिसर तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों, दोनों में आधिकारिक सांख्यिकी में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से संभावित मानव संसाधनों के प्रति संचेतना पैदा करने के प्रयास भी करता है। इन कार्यक्रमों में एनएसएसटीए में विभिन्न विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों का प्रशिक्षण तथा अकादमी और सीएसओ के अधिकारियों द्वारा चुनिंदा विश्वविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना भी शामिल है। एनएसएसटीए प्रत्येक वर्ष इस क्रियाकलाप को निरंतर आयोजित करता है, क्योंकि इसे शासकीय सांख्यिकों के प्रयोक्ता समुदाय हेतु अत्यंत उपयोगी पाया गया है।

सुविधाएं:

4.48 एनएसएसटीए प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण तथा उनके आवास और भोजन संबंधी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। संस्थान के परिसर में तीन सुव्यवस्थित ब्लॉक नामतः शिक्षण और प्रशासनिक ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक, तथा आवासीय ब्लॉक हैं, जिनके चारों तरफ सुव्यवस्थित परिदृश्य हैं। शैक्षणिक तथा प्रशासनिक ब्लॉक में उपलब्ध सुविधाओं के

अंतर्गत एक सम्मेलन कक्ष भी है जिसमें लगभग 60 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है, एक केन्द्रीकृत वातानुकूलित ऑडिटोरियम जिसका नाम महालनोबिस ऑडिटोरियम है, में लगभग 160 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है, पांच व्याख्यान/प्रशिक्षण/सेमिनार भवन हैं जो अद्यतन कंप्यूटरीकृत शिक्षण उपकरणों से युक्त हैं, एक पुस्तकालय है जिसका नाम 'सुखात्मे पुस्तकालय' है, आईटी शिक्षण कंप्यूटर प्रयोगशाला है लगभग 30 प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्रशिक्षण संचालन संबंधी पर्याप्त अवसंरचना से युक्त है। साथ ही, 100 प्रशिक्षणार्थियों के लिए रहने की सुविधाएं हैं, परिसर में उपलब्ध मनोरंजन संबंधी सुविधाओं में बिलियर्झ्स, टेबल टेनिस इत्यादि जैसे इंडोर खेल तथा वॉलीबॉल और बैडिमंटन जैसे आउटडोर खेल शामिल हैं।

4.49 नई प्रौद्योगिकियों, विशेषकर सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरती हुई नई प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए एनएसएसटीए ने कार्यालय ऑटोमेशन की दिशा में विभिन्न उपाय किए हैं। इसके लिए, सर्वरों जैसे कि ब्लेड सर्वर, डेटाबेस सर्वर, एक्सचेंज सर्वर इत्यादि के संदर्भ में, संस्थान के परिसर के भीतर आवश्यक सॉफ्टवेयर के साथ एक महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना स्थापित की गई है ताकि न केवल एनएसएसटीए के अधिकारियों बल्कि प्रशिक्षणार्थियों को भी जरूरी आईटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदन समिति (टीपीएसी)

4.50 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान देने और एनएसएसटीए का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से भारत सरकार के विरष्ठ अधिकारियों और प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए 'प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदन समिति' (टीपीएसी) नामक एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति सभी मॉड्यूल्स के लिए पाठ्यक्रम, अवधि और प्रशिक्षण विधियों की पुनरीक्षा के अलावा आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कैलेंडर का मूल्यांकन और अनुमोदन करती है। अधिकतर पाठ्यक्रमों का संचालन एनएसएसटीए में किया जाता है, जबिक कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रम दिल्ली या बाहर स्थित अतिविश्वसनीय प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। एनएसएसटीए द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/शामिल विषयों में मुख्यतः शासकीय सांख्यिकीय पद्धित, सैद्धांतिक तथा अनुप्रयोग सांख्यिकी, वृहत स्तरीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, एसएनए 1993 और 2008, आंकड़ा प्रबंधन तकनीक, सूचना प्रौदोगिकी, प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, लघु और वृहत अर्थशास्त्र, इकॉनोमेट्रिक्स आदि शामिल हैं।

एनएसएसटीए में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम सूची

- 4.51 एनएसएसटीए द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैं:
 - भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों हेतु छह महीने की 'ऑन-दी- प्रशिक्षण जॉब सहित दो वर्षीय प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यकम;
 - अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के अधिकारियों हेतु प्रवेशन एवं एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम, इनमें इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी शामिल है;
 - केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों
 और इसी तरह के विभागों से सेवाकालीन अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों
 हेतु पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं;
 - केंद्रीय/राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के लिए अनुरोध आधारित पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम:
 - भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता और इसके अन्य केंद्रों के एम-स्टैट विद्यार्थियों को शासकीय सांख्यिकी पद्धति से अवगत कराने संबंधी कार्यक्रम;
 - विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों तथा विद्यार्थियों के लिए शासकीय सांख्यिकी पर जागरूकता कार्यक्रमः
 - भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सांख्यिकी में इंटर्निशिप कार्यक्रम ।
- 4.52 विशेषीकृत प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ, एनएसएसटीए विभिन्न प्रतिष्ठित/विशेषीकृत संस्थानों अर्थात आईआईएम, आईआईआरएस, देहरादून; एएससीआई, हैदराबाद; श्रम ब्यूरो, शिमला; आईआईपीए, दिल्ली; आईआईपीएस, मुम्बई; आईएसटीएम, दिल्ली; दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स दिल्ली, आईएएसआरआई, दिल्ली; आईएसईसी, बैंगलौर आदि के साथ सहयोग करता है।
- 4.53 राज्य सांख्यिकीय कार्मिकों को प्रशिक्षणः- राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र के अधिकारियों हेतु उनकी रूचि के कतिपय विशिष्ट विषय-क्षेत्रों के लिए समय-समय पर नियमित और मांग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, एनएसएसटीए में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विशेष अनुरोधों के आधार पर समुचित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

4.54 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः

- i. एनएसएसटीए, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षा केंद्र (आईएसईसी) कोलकाता के सहयोग से भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) कोलकाता के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा केंद्र पाठ्यक्रम के लिए एनएसएसटीए, आईएसआई, कोलकाता द्वारा 'शासकीय सांख्यिकी और संबद्घ विधिवज्ञान' पर 10 माह की अविधि में से चार सप्ताह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- ii. एशिया और प्रशांत क्षेत्र सांख्यिकीय संस्थान (एसआईएपी), एशिया और प्रशांत क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी), खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), विश्व बैंक या देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के अनुरोध पर सार्क क्षेत्र, एशिया और प्रशांत, अफ्रीका तथा अन्य देशों के सांख्यिकीय कार्मिकों/प्रतिभागियों के लिए लघु अविध अर्थात एक-दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम और अध्ययन आयोजित किए गए।
- iii. एनएसएसटीए द्वारा शासकीय सांख्यिकी के उभरते हुए क्षेत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

4.55 एनएसएसटीए में अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी)

एनएसएसटीए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और आईआईटी मद्रास के बीच (क) क्षमता निर्माण (ख) समिति की भागीदारी (ग) सरकारी सांख्यिकी की गुणवत्ता को और अधिक सुधारने के लिए आर एण्ड डी में प्रौद्योगिकी आदि में सहयोग हेतु समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए गए।

एनएसएसटीए, ग्रेटर नोएडा में उद्भवन एकक स्थापित किया गया । यह एकक सरकारी सांख्यिकी की गुणवता को और अधिक सुधारने के लिए प्रौद्योगिकियों और कार्यप्रणालियों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इस मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के साथ-साथ अन्य मंत्रालयों और उभरती प्रौद्योगिकी जैसे एएसआई, बिग डेटा आदि के क्षेत्र में महारत वाले संस्थान के साथ मिलकर काम करेगा।

4.56 विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों/बैठकों/कार्यशालाओं/सेमिनारों आदि के लिए नामांकन

अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों, सेमिनारों, कायशालाओं और प्रशिक्षणों में भागीदारी के लिए नामांकन पर विचार करने हेतु मुख्य सांख्यिकीविद् और सचिव (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) की अध्यक्षता में मंत्रालय की स्क्रीनिंग समिति गठित की गई।

वर्ष (1 अप्रैल, 2019 में नवंबर, 2019) के दौरान इस मंत्रालय के 22 अधिकारियों ने 19 अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों/सेमिनारों में भाग लिया और इसी मंत्रालय के 27 अधिकारी 18 अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में शामिल हुए ।

आंकड़ा सूचना और नवाचार प्रभाग (डीआईआईडी)

4.57 आंकड़ा सूचना और नवाचार प्रभाग नवीनतम कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर से लैस है । मंत्रालय का आंकड़ा केंद्र राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उपयोक्ताओं की आंकड़ा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर समय अर्थात 365x24x7 काम करता है। डीआईआईडी के प्रमुख अपर महानिदेशक स्तर के अधिकारी होते हैं ।

यह प्रभाग भारत सरकार की उन क्लाउड सेवाओं के जरिए क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों को भी उपयोग में लाता है जिसमें यथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सर्वेक्षण नेटवर्क (आईएचएसएन), कंप्यूटर सहायतायुक्त वैयक्तिक साक्षात्कार (सीएपीआई) एप्लोकेशन अवसंरचना तथा स्पीड के बेहतर उपयोग के लिए आयोजित किए जाते हैं।

डीआईआईडी की प्रमुख परियोजनाएं:

आंकड़ा तैयारी, विधायन तथा प्रसार

4.58 "सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रचार-प्रसार संबंधी राष्ट्रीय नीति" के अनुसार, डीआईआईडी, मंत्रालय द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों, उद्योगों और आर्थिक गणना के वार्षिक सर्वेक्षण, सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण औद्योगिक उत्पादन के मूल्य सूचकांक सर्वेक्षण आदि द्वारा तैयार आंकड़ों रिपोर्टी / प्रकाशनों आदि का बड़ी मात्रा में ऑनलाइन और निःशुल्क प्रसार कर रहा है। प्रचार-प्रसार नीति के अंतर्गत वैध, अज्ञात यूनिट स्तर के आंकड़ों का प्रयोक्ताओं के लिए अंतर्राष्टीय मानक प्रारूप (आईएचएसएन) में प्रसार करती है जिसको,

विभिन्न प्रारूपों जैसे एसपीएसएस, एसटीएटीए, एएससीआईआई आदि में बाहर भेजा जा सकता है।

- पंजीकरण के बाद वेबसाइट से एएसआई, एनएसएस, ईसी, पीएलएफएस, आईआईपी के यूनिट स्तर के डेटा को डाउनलोड करने के लिए 6232 प्रयोक्ता ऑनलाइन सिकय थे।
- 'आईएचएसएन सूक्ष्म आंकड़ा प्रबंधन टूलिकट' 'सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके एएसआई (2016-17) का मेटा अध्ययन और सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण (2017-18) तैयार किया गया ।

सांख्यिकीय आंकड़ा और मेटाडाटा एक्सचेंज (एसडीएमएक्स)

4.59 वर्ष 2011-2019 (प्रथम तिमाही तक) के लिए सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान और स्थिर मूल्य 2011-12 पर आधारित तिमाही अनुमानों को एसडीएमएक्स में परिवर्तित किया गया और उसे सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर लांच किया गया ।

क्लाउड कम्प्यूटिंग

4.60 एनआईसी क्लाउड सेवाओं के माध्यम से क्लाउड कम्प्यूटिंग के लाभों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें मंत्रालय की वेबसाइट सिहत मंत्रालय की लगभग 18 वैब एप्लीकेशन, ऑनलाइन स्टेशनरी सामग्री प्रबंधन (ओसीएमएस), एमपीलैड्स, सीपीआई, मोबाईल एप्लीकेशन, सतत विकास लक्ष्यों, (एसडीजी) 7वीं आर्थिक गणना, इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), अंतर्राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण नेटवर्क (आईएचएसएन), कम्प्यूटर-सहायता प्राप्त वैयक्तिक साक्षात्कार (सीएपीआई), पीएलएफएस सर्वेक्षण करना, वूरबर्ग आदि आयोजित किए जा रहे हैं । यह अवसंरचना व जनशक्ति की लागत को कम करने के साथ बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

4.61 डीआईआईडी ग्रामीण और शहरी सेक्टरों से प्राप्त, मूल्य आंकड़ों का विधायन करता है तथा सीएसओ द्वारा सीपीआई की रिलीज के लिए सीपीआई का संकलन करता है। कम्प्यूटर सेंटर ने सीपीआई डेटा की स्गमता से प्नः प्राप्ति के लिए सीपीआई आर्काइवल पोर्टल सॉफ्टवेयर विकसित किया है । प्रेस रिलीज के उपरांत, समय श्रृंखला सूचकांकों, कल्पना, मुद्रास्फीति दरों, प्रेस रिलीज, अधिमान दर्शाने के लिए सीपीआई वेब पोर्टल पर निम्नलिखित सूचकांकों को अपलोड किया जाता है तथा इन्हें विभिन्न प्रारूपों में डाउनलोड किया जा सकता है:-

- राज्य/अखिल भारत/समूह-उप-समूह सूचकांक
- अखिल भारतीय मद सूचकांक
- वार्षिक मुद्रास्फीति दर
- अखिल भारतीय मद मुद्रास्फीति दरें
- प्रेस रिलीज
- क्रॉस सारणीकरण रिपोर्टें

मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों से संबंधित आईटी गतिविधियों, जिनका विकास किया गया है।

4.62 आर्थिक सांख्यिकी प्रभागः (i) आईआईपी वेब पोर्टल का विकास (ii) आर्थिक गणना आंकड़ों के लिए जीआईएस एप्लिकेशन । प्रशिक्षण प्रभागः अनुदान सहायता और निबंध लेखन माड्यूल्ज प्रक्रियाधीन हैं ।

मंत्रालय की वेबसाइट

4.63 डीएसडीडी, इस मंत्रालय की वेबसाइट (http:www.mospi.gov.in) के विकास, अचतन तथा अनुरक्षण के लिए एक नोडल एजेंसी है । यह समस्त सांख्यिकीय प्रकाशन रिपोर्टों, मेटाडेटा, सीपीआई और आईआईपी तथा एसडीजी और प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) के बाह्य लिंक रखने वाले इस मंत्रालय के सभी प्रभागों के लिए एक समेकित मंच है ।

एनआईआईपी (राष्ट्रीय एकीकृत सूचना मंच)

4.64 मंत्रालय ने आंकड़ा अधिग्रहण, आंकड़ा प्रबंधन, विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्ध आंकड़ा सेटों में एकल विंडों प्रणाली के माध्यम से एकीकरण और सुसंगत करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग के लिए अवधारणा संरचना पर आधारित एनआईआईपी परियोजना की परिकल्पना की है । उपभोक्ता समुदाय को गुणवत्ता वाले आंकड़ा उत्सर्जन, संकलन करने, विश्लेषण करने, रख-रखाव और प्रसार में सूक्ष्म और बृहत (कुल) दोनों स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है ।

4.65 इस पृष्ठभूमि के साथ, एनआईआईपी परियोजना से समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने की परिकल्पना की गई है, जो विभिन्न आंकड़ा स्रोतों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को चिन्हित करें, सूचना प्रौद्योगिकी टूलों का प्रयोग करते हुए आंकड़ा स्रोतों का एकीकरण और एकल विंडों प्रणाली के माध्यम से समय पर, विश्वसनीय, प्रामाणिक, प्रयोक्ता हितैषी डाटा सेट लाने की सामान्यतः स्थिर अवधारणा प्रस्तुत करें और इसको अपने सभी डाटा सेट को वहनीय डाटा फॉर्मेट में मानक, एकीकृत और समन्वित तरीके से पोर्टेबल डाटासेट परिवर्तित और प्रसारित करना चाहिए । एनआईआईपी परिचालन में निम्नलिखित मुख्य रूप से शामिल होंगे:

- आंकड़ा संग्रहण
- प्रकार्यात्मक संकेंद्रीकरण
- सूचना प्रसार

एनआईआईपी की तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

प्रशिक्षण गतिविधियां

4.66 यह प्रभाग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केंद्र सरकार के विभागों के अधिकारियों/पदाधिकारियों हेतु आईटी पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए नस्ता को संकाय सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह प्रभाग आईटी संबंधी परियोजनाओं के विकास के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रायोजित छात्रों को इंटर्निशिप भी उपलब्ध करा रहा है। एनालिटिकल आर सॉफ्टवेयर के साथ अध्ययन और विश्लेषण के विभिन्न दौरों के एनएसएस डेटा का प्रयोग करके मंत्रालय के 'स्नातकोत्तर/अनुसंधान छात्रों के लिए इंटर्निशिप' हेतु योजना में वर्ष 2018-19 के दौरान चार इंटर्नस ने सफलतापूर्वक इंटर्निशिप कार्यक्रम पूरा किया। डीआईआईडी ने आने वाली नयी तकनीकों पर निम्नलिखित व्याख्यान/कार्यशालाएं आयोजित की:

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए दिनांक 27-28 मई, 2019 के दौरान इण्डिया हेबिटेट सेंटर लोधी रोड में दो दिन की जीआईएस कार्यशाला आयोजित की गई।
- छठे और सातवें ईसी आंकड़ा (नमूना) का प्रयोग करते हुए ईएसआरआई द्वारा तैयार किए गए डैशबोर्ड (प्रायोगिक आधार) से परिचित होने के लिए ईएसआरआई द्वारा जून 2019 के दौरान कंप्यूटर केंद्र में तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अक्तूबर 2019 के दौरान सांख्यिकीय स्टैक्स विकसित करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई।
- उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत शिक्षाप्रद थे ।

आंकड़ा केंद्र

4.67 आंकड़ा केंद्र का सर्वर 365x24x7 के आधार पर कार्य करता है और प्रयोक्ताओं की आवश्यकतानुसार डेस्कटॉपों, प्रिंटरों और नेटवर्क सेटअप की बाधाएं दूर करता है । प्रभाग ने डाटा केन्द्र को अपग्रेड करने और उसका अनुरक्षण करने हेतु हाईवेयर और साफ्टवेयर भी खरीदा है । आईटी उपकरणों को मंत्रालय की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है ।

राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग

4.68 संघ की राजभाषा नीति के अनुरूप, राजभाषा के तौर पर हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। अपर महानिदेशक, डीआईआईडी की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति हिंदी की प्रगति तथा राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों के पालन की समीक्षा करती है। प्रत्येक तिमाही में, इस समिति की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई । केंद्र में सितम्बर, 2019 में हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया । इस दौरान प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और प्रतिभागियों को 23,500 रुपए के नकद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए । हिंदी में मूल काम करने के लिए प्रोत्साहन योजना इस वर्ष भी जारी रही । सात पदाधिकारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए । डीआईआईडी में हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह की पुरस्कार वितरण समारोह 09 अक्तूबर, 2019 को आयोजित किया गया ।

समन्वय तथा प्रकाशन (सीएपी) प्रभाग

4.69 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का समन्वय तथा प्रकाशन (सीएपी) प्रभाग विभिन्न प्रभागों के सांख्यिकीय कार्यकलापों का समन्वय करने और सांख्यिकीय मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय निकायों सिहत राज्य सरकारों तथा अन्य सांख्यिकीय एजेंसियों के साथ केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ सम्पर्क बनाए रखता है । सीएपी प्रभाग मंत्रालय योजना समन्वय की वार्षिक कार्य-योजना तथा परिणाम बजट तैयार करने के लिए भी अन्य प्रभागों के साथ समन्वय करता है। यह प्रभाग 'सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण सहायता' (एसएसएस) उप-योजना संचालित करने, सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम,

2008 के कार्यान्वयन के समन्वय कार्य तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) की सिफारिशों के अनुपालन की भी जिम्मेदारी है। प्रभाग द्वारा वर्ष 2019 (15 दिसंबर-2019 तक) की गई मुख्य गतिविधियां निम्नलिखित पैरा में दी गई हैं।

सांख्यिकी दिवस

4.70 देश भर में 29 जून, 2019 को 13वां सांख्यिकी दिवस, 2019 पूरे भारत में मनाया गया। 13वें सांख्यिकी दिवस के लिए "सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)" विषय का चयन किया गया था, जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए चुना गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मुख्य समारोह 29 जून, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और योजना मंत्रालय, राव इंद्रजीत सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डॉ. बिबेक देबरॉय, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद और अध्यक्ष, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, श्री प्रवीण श्रीवास्तव, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद-सह-सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रो. सी. आर. राव पुरस्कार 2019 के विजेता डॉ. स्भ्रा शंकर धर, एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईटी, कानपुर को सांख्यिकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित सांख्यिकी से संबंधित विषय पर पोस्ट ग्रेज्एट छात्रों के लिए 'उसी समय निबंध लेखन प्रतियोगिता' के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। आयोजन के दौरान, एसडीजी पर एक लघु वृत्तचित्र फिल्म भी प्रदर्शित की गई थी जिसमें समग्र विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को एकीकृत करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया था।

केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों का सम्मेलन (काक्सो)

4.71 सांख्यिकी के क्षेत्र में गतिविधियों के लिए विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए, मंत्रालय हर साल केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों (काक्सो) का सम्मेलन आयोजित करता है। इस मंच का उपयोग केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय एजेंसियों द्वारा महत्वपूर्ण सांख्यिकीय मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से किया जाता है ताकि सूचित निर्णय और सुशासन के लिए योजनाकारों

और नीति-निर्माताओं को विश्वसनीय और समयबद्ध आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके।

4.72 केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों (काक्सो) का 27 वां सम्मेलन 11-12 नवम्बर, 2019 के दौरान बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। 27 वें काक्सो का विषय "सतत विकास लक्ष्य" (एसडीजी) था। सम्मेलन का उद्घाटन बिमल कुमार राय, अध्यक्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा किया गया। सम्मेलन में विभिन्न केंद्रीय/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ समझौता ज्ञापन

4.73 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) ने नई आंकड़ा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ज्ञान साझा करने तथा सरकारी सांख्यिकी के क्षेत्र में क्षमता निर्माण में उपयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर दिल्ली में दिनांक 29 जनवरी, 2019 को श्री प्रवीण श्रीवास्तव, सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सह भारत के मुख्य सांख्यिकीविद, श्री ज्योतिर्मय पोद्दार, महानिदेशक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, श्री शेखर शाह, महानिदेशक, एनसीएईआर और दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन विभिन्न सांख्यिकीय उत्पादों की समयबद्धता और डेटा गुणवता तथा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), आर्थिक गणना, मूल्य सांख्यिकी, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) तथा उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) इत्यादि का बेहतर अनुवीक्षण और सुदृढ़ीकरण करेगा।

स्मार्ट इंडिया हैकाथन (एसआईएच) 2019

- 4.74 मंत्रालय ने सरकारी सांख्यिकी में प्रौद्योगिकीय नवाचारों का पता लगाने के लिए 1-2 मार्च, 2019 के दौरान गुवाहाटी में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथन (एसआईएच) 2019 में भाग लिया । एसआईएच 2019 के लिए निम्नलिखित समस्या निवेदनों पर विचार किया गया:-
- सांख्यिकीय सूचना संकलन प्रक्रिया का स्वचलीकरण ।
- सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) की तैयारी तथा डेटाबेस में स्टोर करना ।
- राष्ट्रीय लेखाओं के लिए डैशबोर्ड की तैयारी ।

- सांसदों के लिए कार्यों की क्राउड सोर्सिंग ।
- सूचना प्रबंधन प्रणाली ।

सांख्यिकीय आंकड़ा प्रसार के लिए दिशा-निर्देश (जीएसडीडी) (एनडीएसएपी, 2012 के अनुसार)

4.75 सांख्यिकीय आंकड़ा प्रसार पर दिशा-निर्देशों को 1 अप्रैल 2019 को अधिसूचित किया गया, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और अन्य सांख्यिकीय एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए साझा करने योग्य और साझा न किए जाने वाले आंकड़ों को परिभाषित करेंगें और इसके एनडीएसएपी 2012 में निर्धारित अधिकथित समग्र संरचना के अंदर मूल्य निर्धारण और इसके प्रसार की नियम व शर्तें विनिर्दिष्ट करेंगें । इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य राष्ट्रीय सांख्यिकी को अधिकतम संभव समुदाय को उपलब्ध कराना और जहां उपयुक्त हो, प्रोफोर्मा के विकल्पों के साथ उपभोक्ताओं को सांख्यिकी आंकड़ों और रिपोर्टों की पहुंच सुगम बनाना है । अब, मंत्रालय को साझा किया जा सकने वाले सभी आंकड़ें आम जनता के लिए नि:शुल्क उपलब्ध हैं ।

'विकास के लिए डेटा' के अपने आदर्श वाक्य को इंगित करते हुए ''एनएसओ'' लोगों के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश

4.76 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अपना लोगो अनावृत किया और उसके बाद दिनांक 15 जुलाई 2019 को एनएसओ लोगो का प्रयोग करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए । लोगो का रंगीन चक्र 17 भिन्न-भिन्न रंगों से बनाया गया वृतांश 17 सतत विकास लक्ष्यों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है । लोगो और अन्य संबंधित स्वामित्व सामग्री सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की बहुमूल्य परिसंपित हैं । उपयोगकर्ता 'एनएसओ' लोगो को पूर्ण रूप या उसके किसी भाग के रूप में प्रयोग करके यह वचन देंगे कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ट्रेडमार्क का एकमात्र स्वामी है और उपयोगकर्ता एनएसओ के अधिकारों के साथ हस्तक्षेप नहीं करेंगे और एनएसओ लोगो को क्षति, दुरूपयोग या अपमान नहीं करेंगे ।

समिति के सदस्यों के लिए व्यावसायिक नैतिकता संहिता

4.77 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या संगठनों, संस्थानों और निकायों आदि द्वारा गठित समितियों के सदस्यों के लिए मंत्रालय ने दिनांक 19 जुलाई, 2019 को व्यवसायिक नैतिकता संहिता को अधिसूचित किया। समिति के सदस्यों के लिए आचरण

के कितपय मानक पारिभाषित और निर्धारित करने के लिए इन्हें अधिसूचित किया गया ताकि ऐसी समितियों में समिति की सदस्यता के आधार पर उनके द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़े/सूचना गोपनीयता को सुरक्षित रखा जा सके।

मंत्रालय का 2019-2024 का विजन

4.78 भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करने और नीति तथा जनता के लिए मजबूत प्रचार-प्रसार प्रणाली हेतु रियल-टाइप इनपुट उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रालय ने विजन डाक्यूमेंट 2019-2024 तैयार किया । यह सांख्यिकी उत्पादों के व्यापक सुधारों पर निम्नलिखित विस्तृत विषयों के साथ समेकित सांख्यिकीय दृष्टिकोण आत्मसात कर लेता है और विजन को साकार करने के लिए प्रक्रियाओं को लागू करता है:

- अर्थव्यवस्था के रियल टाइम अनुवीक्षण करने के लिए सांख्यिकीय अवसंरचना को मजबूत करना।
- विभिन्न मंत्रालयों भूमिगत कक्षों में विद्यमान आंकड़ों और प्रविष्टयों के आंकड़ा साझा करने के प्रोटोकाल का विकास करके और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके एक एकीकृत सूचना पोर्टल के माध्यम से एक राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली को एकीकृत करना ।
- बृहद अवसरंचना परियोजनाओं के अनुवीक्षण को मजबूत करना ।

सांख्यिकी के संग्रहण (सीओएस) अधिनियम, 2008 में संशोधन

4.79 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 2 के परंतुक को हटाने के लिए सा.स.अ. 2008 में संशोधन करने के लिए सूचना प्रदान की है, जो उस समय के जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिनियम को लागू होने के संबंध में था । यह संशोधन जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन (केंद्रीय विधि का अनुकूलन) आदेश के द्वारा लागू किया गया । यह जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम 2019 और जम्मू और कश्मीर सांख्यिकीय संग्रह अधिनियम, 2010 को निरस्त करने के कारण आवश्यक हुआ । अब सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम का विस्तार पूरे भारत में है ।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई), अधिनियम(आईएसआई) 1959 में संशोधन का प्रस्ताव

4.80 मंत्रालय ने आईएसआई अधिनियम, 1959 के विद्यमान उपबंधों के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए इस अधिनियम की धारा 4 में संशोधन करने और इसको 26 नवंबर 2019 को नागरिकों/हितधारकों के टिप्पणी/विचार जानने के लिए पब्लिक डोमेन में

डालने के प्रस्ताव पर विचार किया । प्रस्तावित संशोधन वैश्विक परिदृश्य में बदलते शैक्षिक परिदृश्य के साथ कदम मिलाकर चल सकेगा और आईएसआई के विभिन्न बहु-शिक्षण विषयों जिनमें प्राकृतिक/सामाजिक विज्ञान शामिल हैं, में उपाधि प्रदान करने में सक्षम बनाएगा ।

मंत्रालय का सोशल मीडिया सेल

4.81 मंत्रालय ने मंत्रालय की गतिविधियों का प्रसार करने और जनता की पहुंच बढ़ाने के लिए एक एजेंसी को नियुक्त करके मंत्रालय का सोशल मीडिया सेल स्थापित किया है। मीडिया सेल स्थापित करने से मंत्रालय की सोशल मीडिया में उपस्थिति के प्रति ध्यान आकर्षित किया गया है और कार्य को हितधारकों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है।

सर्वेक्षण विशेषज्ञ / गणनाकारों के लिए कौशल सेटों पर हितधारक परामर्श

4.82 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 1 नवंबर. 2019 को दिल्ली में विभिन्न हितधारकों के साथ कौशल सर्वेक्षण गणनाकारों और विशेषज्ञों के विकास और क्षेत्र को विकसित करने हेत् जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आंकड़ा गुणवत्ता भी शामिल है, संरचना के विकास के एक परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई थी, ताकि संगठन के योग्य और कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके जो सर्वेक्षण को पेशेवर तरीके से कर सकें और जिन्हें एजेंसियां और शक्तिबल परामर्शदाताओं द्वारा भाडे पर लिया जा सके । परामर्श कार्यशाला की अध्यक्षता श्री प्रवीण श्रीवास्तव, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, डॉ. के.पी. कृषनन, सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) हितधारकों के एमएसडीई की कौशल विकास पहलों और बाजार में सर्वेक्षण गणनाकारों/विशेषज्ञों रोजगार अवसर मांग पर संबोधित किया गया. जिससे परिवारों. प्रतिष्ठानों और उपभोक्ता आधारित सर्वेक्षणों के लिए तैनात किया जा सके । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सर्वेक्षण को पेशेवर रूप से करने के लिए पारिस्थितिक प्रणाली के कौशल सुधार की इस अनूठी पहल का राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान (एनसीईएआर), राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस), आरबीआई, डाटा न्यास आदि के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया । अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, सरकारी मंत्रालयों/विभागों और परामर्श फर्मीं सहित सर्वेक्षण कार्य के साथ विभिन्न एजेंसियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और महत्वपूर्ण सुझाव दिए ।

सांख्यिकी स्टैक के विकास हेतु कार्यशाला:

4.83 मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों का सांख्यिकीविदों, शैक्षणिक समुदायों, रिसर्च एजेंसियों और उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है तािक सूचित निर्णय, सार्वजनिक नीित और तैयार करने और देश में कार्यान्वित हो रही विद्यमान योजनाओं के वर्तमान पोर्टफोलियो की प्रगति और प्रभाव का आकलन किया जा सके । अतः मंत्रालय की प्रणालियो और प्रचालनों पर सुसंगत और गुणवत्ता वाले आंकड़ें/सांख्यिकी प्रस्तुत करने की मांग बढ़ रही है जिसके परिणामस्वरूप मंत्रालय पर यह दबाव बढ़ गया है कि वह अपने संसाधनों को इष्टतम बनाए तथा एकीकृत दृष्टिकोण और डाटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म में डेटा संग्रहण, कार्यक्रम अनुवीक्षण और सांख्यिकीय विश्लेषण के क्षेत्र में तकनीक के प्रयोग को और बढाए।

4.84 इसके लिए सेवा/आंकड़ा वितरण में 'विभाग केंद्रित' दृष्टिकोण से 'हितधारक केंद्रित और प्रयोक्ता सुगम' आदर्श सोच में बदलने की जरूरत है । इस दिशा में और अधिक सूक्ष्मता से काम करने के प्रयास से मंत्रालय ने 29-30 अक्तूबर 2019 को बैंगलौर में एक कार्यशाला आयोजित की थी, जिसमें वर्तमान प्रणाली की चुनौतियों और उनसे निपटने के लिए साझे ध्येय पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया । कार्यशाला में सभी सदस्यों को दलों में विभाजित किया गया और उनके मंत्रालय के लिए अपने सपनों/ध्येय का सारांश बताने के लिए कहा गया, जिनपर चर्चा की गई, उनमें 3 निम्न हैं: (i) 5 वर्षों में एक बिलियन खपत, (ii) आंकड़ा संग्रहण अधिकता को कम करने और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों के बीच सूचना को साझा करना और सरल बनाना तथा (iii) अधिक चर्चा के लिए उद्योग/विशेष क्षेत्र अनुकूलन अंतर्दृष्टि (अनुकूलन इैशबोर्ड) को अंतिम रूप दिया गया । इनमें से प्रत्येक के लिए एक यूज केस मॉडल को विकसित किया गया, जिसमें संबंधित अभियान का विवरण,कार्यक्रम, संभाव्य समाधान, विग्रमान परिसंपत्तियों, पूर्वामांसी अंतर और दिशा-निर्देश सिद्धांत शामिल हैं।

मंत्रालय के लिए भवन खरीदने हेतु सरकारी निवेश बोर्ड (पीआईबी) ज्ञापन

4.85 मंत्रालय ने नौरोजी नगर, दिल्ली में मंत्रालय के लिए एक भवन जिसका निर्माण एनबीसीसी द्वारा किया जा रहा है । खरीदने हेतु सरकारी निवेश बोर्ड (पीआईबी) ज्ञापन को अंतिम रूप दिया । ध्येय को और अधिक सूक्ष्म तरीके से हासिल करने हेतु मंत्रालय के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच क्षमता बढ़ाने और तालमेल बढ़ाने के लिए मंत्रालय अपना

एकीकृत कार्यालय स्थल बनाने का इरादा रखता है । प्रस्ताव के मूल्यांकन करने हेतु दिनांक 11 दिसंबर, 2019 को पीआईबी की बैठक की गई।

सांख्यिकी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

4.86 मंत्रालय ने सांख्यिकी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसका उद्देश्य विश्व बैंक की तकनीकी/वितीय सहायता से भारतीय कार्यालयी सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करना और इसका आधुनिकीकरण करना है। आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रस्ताव को पहले ही विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है। परियोजना के लिए अनेक हितधारकों के परामर्श आयोजित किए गए। परियोजना के लिए एक विस्तृत गतिविधि को मेट्रिक्स मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों और विश्व बैंक से परामर्श करके पहले से तैयार कर लिया गया है। मंत्रालय की सांख्यिकी सुदृद्रीकरण परियोजना यूनिट को पूर्व- परियोजना कार्यकल्पों के करने और परियोजना को मिशन मोड दृष्टिकोण में आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है।

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की 50वीं बैठक

4.87 संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की दिनांक 05-08 मार्च, 2019 को न्यूयार्क, संयुक्त राज्य में आयोजित 50वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व श्री प्रवीण श्रीवास्तव, सिचव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व मंडल द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा । उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि 49वें सत्र में भारत ने टीयर-॥। संकेतकों के संबंध में कार्यप्रणाली और मानकों का समयबद्ध शीघ्र विकास करने के लिए कस्टोडियन एजेंसियों और आईएईजी से अनुरोध किया था तािक देश काम करना आरंभ कर सके और अपनी सांख्यिकीय आंकड़ा प्रणाली को तदुरूपी आंकड़े प्राप्त करने के लिए समायोजित कर सके। उन्होंने इंगित किया कि कार्य प्रणाली को अंगीकार करने से पहले उसकी सूक्ष्म जांच होनी चािहए क्योंकि देशों के अपने विभिन्न सांख्यिकीय ढांचे हैं।

उन्होंने आगे बताया कि कस्टोडियन एजेंसियां सूचकांकों की बड़ी संख्या हेतु विस्तृत कार्यप्रणाली दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए सदस्य देशों को पर्याप्त समय नहीं दे रही हैं । अतः,पर्याप्त समय देने के पश्चात ही बेक्स बैठकों के माध्यम से मतदान पर पुनर्विचार किया जाएगा । सूचकांकों के पुनः वर्गीकरण के संबंध में निर्णय आईएईजी-एसडीजी की वास्तविक बैठकों के पश्चात ही किया जाना चाहिए । भारत ने 2020 व्यापक समीक्षा हेतु योजना का समर्थन करते हुए इंगित किया कि यह सुनिश्चित

करते हुए पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि परोक्षी सूचकांक और अतिरिक्त सूचकांक लक्ष्य के सुसंगत रहें और उनकी स्पष्ट कार्यप्रणाली और मानक हों, और साथ ही यह टीयर-। संकेतकों के मानदंड भी पूरा करें।

4.88 वित्त सांख्यिकी के कार्यस्ची मद के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणियां, सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और सीएसआई द्वारा भेजी गई थी और भारत ने भुगतान शेष सांख्यिकी पर आईएमएफ समिति के विदेशी ऋण सांख्यिकी के संकलन के वैचारिक और प्रणाली संबंधी मामलों की जिम्मेवारी अंतरित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। भारत ने सरकारी ऋण सांख्यिकी के राष्ट्रीय लेखाओं के अंतर-सचिवालयी कार्यदल और आईएमएफ सरकार वित्तसांख्यिकी परामशीं समिति के अंतर्गत करने के प्रस्ताव का भी समर्थन किया है। यह बताया गया है कि ऐसे अंतरण न केवल स्टॉक प्रवाह वैचारिक मुद्दों के हल करने में सहायता करेंगे बल्कि संकलनकर्ताओं को इस विदेशी वित्त सांख्यिकी के महत्वपूर्ण पहलू का गहन रूप से समझने के अवसर प्रदान करेंगे। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (केंद्रीय बैंक) ऋण सांख्यिकी का संकलन कर रहा है, इनमें ऋण सांख्यिकी कार्यदलों के अंतर-एजेंसी कार्य दल के साथ संबद्ध किया जा सकता है, क्योंकि इस विषय पर भारत के अनुभव क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए अच्छी अंतर्रिष्ट बन सकती है।

4.89 भारत ने डाटा और मेटाडाटा के आदान-प्रदान और साझा करने के लिए सामान्य अन्मुक्त मानकों के संबंध में कार्यसूची पर अपने विचार भी प्रकट किए थे। यह कहा गया था कि सांख्यिकी डाटा और मेटाडाटा विनिमय सांख्यिकी कार्यदल एवं सांख्यिकी डाटा मेटाडाटा विनिमय मानक कार्यदल द्वारा किया गया कार्य भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय केंद्रीय बैंक) के लिए तत्काल प्रासंगिक होता है, क्योंकि वे अपने डाटा वेयरहाऊस का अचतन करने की प्रक्रिया में है। इन समूहों द्वारा बृहत-आर्थिक परिवर्ती श्रेणियों के संबंध में डाटा/मेटाडाटा संरचना परिभाषाएं (डीएसडी) आरबीआई निर्धारित के प्रयास करेंगे, ये अन्य बहुत आर्थिक परिवर्ती द्वारा डीएसडी तैयार करने में मार्गदर्शन करेंगे। यह परामर्श दिया गया कि ये कार्यदल एसडीएमएक्स रूपरेखा के अंतर्गत डीएसडी के विस्तार पर इस प्रकार से विचार कर सकते हैं, जिसमें आईएमएफ आंकड़ा गुणवता मूल्यांकन रूपरेखा और राष्ट्रीय गुणवता आश्वासन रूपरेखा (एनआरएएफ) द्वारा निर्धारित अधिकतम मापदण्डों की सूचना प्रदान की जा सके।

- 4.90 भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्य कार्यक्रम के अलावा निम्नलिखित अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लिया:
 - नए कमीशन प्रतिभागियों के लिए अभिसंस्करण सत्र
 - सांख्यिकी और स्वास्थ्य:
 - साक्ष्य-आधारित स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा हेत् आंकड़ा और सांख्यिकी
 - आंकड़ा और सांख्यिकी के लिए सरकारी सांख्यिकी वित्तपोषण हेतु उच्च स्तरीय फोरम
 - स्टा टेक्ट, आंकड़ा अंतराल का फास्ट-ट्रैक समाधान
 - एशिया और प्रशांत में सांख्यिकी पर समिति के सदस्यों और ब्यूरो की बैठक
 - प्राकृतिक पूंजी लेखा (एनसीए)-स्थिरता स्तंभों को जोड़ना
 - डिजिटल कार्यसूची को लागू करने में राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसियों की भूमिका
 - सरकारी सांख्यिकी करियर के लिए तैयारी करना और कौशल विकास करना
 - परिवारों के सर्वेक्षण के लिए अंतर-सचिवालयी कार्य समूहों का वार्षिक परामर्श (आईएसडब्ल्यूजीएचएस)
 - जेंडर आंकड़ों में नवोन्मेष
 - सरकार की डिजिटलीकरण कार्यनीतियों में सांख्यिकीय संस्थानों की भूमिका
 - एसडीजी रिपोर्टिंग हेतु ओपन डाटा का अद्यतन और अंतर संचालनीयता
 - सांख्यिकी में असमर्थता को प्रकट करना
 - सांख्यिकी जागरूकता बढ़ाने के लिए संचार पहलें
 - सांख्यिकी प्रशिक्षण संस्थान (जीआईएसटी) वार्षिक बैठक के लिए वैश्विक नेटवर्क
 - अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान-कृषि सांख्यिकी पर समिति
- 4.91 इसके अतिरिक्त, सचिव एवं भारत के मुख्य सांख्यिकीविद ने निम्नलिखित के साथ एक-एक बैठक की:
 - भारत में एसडीजी के लिए स्वास्थ्य संकेतकों में डब्ल्यूएचओ की भागीदारी बढ़ाने के लिए रास्ते तलाशने के लिए डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों के साथ बैठक
 - भारत में जनसांख्यिकी संकेतकों हेतु एसडीजी के साथ और अधिक सहयोग के लिए यूएनएफपीए के साथ बैठक

- भारत यूक्रेन के बीच सांख्यिकी क्षमता निर्माण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को विस्तृत करने के लिए श्री जियादुला एवं उपाध्यक्ष, गणतंत्र युक्रेन की सांख्यिकी राज्य समिति और श्री बाखिलयोर इब्रगिकोव, राजदूत, संयुक्त राष्ट्र में युक्रेन के स्थायी सदस्य के साथ बैठक की, बैठक में एशियाई विकास बैंक ने सहायता की ।
- उद्योगों और परिवारों से आंकड़ा संग्रहण में सुधार हेतु संघीय प्रतिस्पर्धा और सांख्यिकी प्राधिकारी, यूएई के साथ, श्री एच.ई. अब्दुल्ला नासेर लुथाल, महानिदेशक की अध्यक्षता में बैठक की । वे सांख्यिकीय मामलों में भारत के साथ घनिष्ठता से काम करना चाहते हैं । इस बैठक में कांउसलर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने सहायता की।

सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना (एसएसएसपी) हेतु सहायता

4.92 सांख्यिकीय सुदृद्धीकरण परियोजना (एसएसपी) हेतु सहायता एक अविरत योजना है जिसका उद्देश्य विश्वसनीय शासकीय सांख्यिकी का संग्रहण, उसके समेकन और उसके प्रचार-प्रसार हेतु राज्यीय सांख्यिकी प्रणाली के प्रचालन और सांख्यिकी क्षमता में सुधार करना है। प्रारंभतः इसे कुल 650.43 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। जब सितंबर, 2018 में इस योजना को जारी रखने के लिए सीसीईए का अंतिम रूप से अनुमोदन प्राप्त हुआ तो वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 की तीन वर्ष की अवधि के लिए केवल 264 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की गई। जैसा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 (अर्थात 31 मार्च, 2017) के वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 260.46 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं तो योजना का समग्र आबंटन 650.43 करोड़ रुपये से घटाकर 524.46 करोड़ रुपये रह गया है।

4.93 वर्तमान में यह योजना क्षमता विकास की छाता योजना के अंतर्गत केंद्र से 100% वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना है। इसे 20 राज्यों में लागू कर दिया गया/किया जा रहा है और इच्छुक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किए जाने का प्रस्ताव भी है।

4.94 राज्यों में, इस योजना के लागू हाने के परिणामस्वरूप मुख्य संकेतकों के समेकन, राज्यों और उप-राज्यों के स्तर पर नीति योजना हेतु डेटा बेस तैयार करना और क्षमता निर्माण में सुधार हुआ है । अब इस योजना का फोकस स्पष्ट सांख्यिकीय परिणाम/उत्पाद प्राप्त करने पर है, जिससे राज्यीय सांख्यिकी प्रणाली में सुधार होने के साथ-साथ यह उन्हें विकास के अगले चरण तक ले जाएगा ।

4.95 2019-20 के दौरान कुछ प्रमुख गतिविधियां

- सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण सहायता (एसएसएस) योजना के अंतर्गत दिनांक 30 मई,
 2019 को संशोधित परिचालनात्मक दिशा-निर्देश जारी किए गए ।
- सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण सहायता (एसएसएस) योजना के अंतर्गत उपलब्धियों की उपलब्धि पुस्तिका (30 जून, 2019 तक) तैयार की गई और इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया ।
- सीएसआई सह सचिव,सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 26 सितंबर, 2019 को सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण सहायता (एसएसएस) योजना के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय परिचालन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ, नागालैंड और त्रिपुरा के राज्य कार्यक्रमों पर चर्चा की गई और इन्हें अनुमोदित किया गया ।
- सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण सहायता (एसएसएस) योजना के अंतर्गत 9 दिसंबर, 2019
 को नागालैंड राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

4.96 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसए), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पर अखिल भारत स्तर पर विभिन्न फील्डों में बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित करने का दायित्व है। आर्थिक गणना की अनुवर्तन कार्रवाई के तौर पर विभिन्न सामाजार्थिक विषयों पर राष्ट्रव्यापी परिवार सर्वेक्षणों, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम के वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण तथा उद्यम सर्वेक्षण के माध्यम से नियमित रूप से प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इन सर्वेक्षणों के अलावा, एनएसएस ग्रामीण तथा शहरी मूल्यों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने तथा राज्य अभिकरणों की क्षेत्रीय गणना एवं फसल अनुमान सर्वेक्षणों के माध्यम से फसल संबंधी सांख्यिकी के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शहरी क्षेत्रों में सामाजार्थिक सर्वेक्षणों में प्रतिदर्श तैयार करने हेतु शहरी क्षेत्रीय इकाइयों का एक फ्रेम भी तैयार करता है।

4.97 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों का संचालन, आंकड़ों की प्रक्रिया और एनएसएस के आंकड़े प्रकाशित करने का कार्य निम्नलिखित प्रभागों द्वारा किया जाता है:

 सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग कोलकाता में स्थित है । इस प्रभाग पर सर्वेक्षण के लिए तकनीकी योजना बनाने, प्रतिदर्श अभिकल्प तैयार करने, पूछताछ अनुसूचियां, अवधारणाओं तथा परिभाषाओं को तैयार करने, सारणीयन योजना

- तैयार करने तथा परिणामों का विश्लेषण तथा प्रस्तुतीकरण एवं सर्वेक्षण रिपोर्टं तैयार करने का दायित्व है।
- क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी) का मुख्यालय दिल्ली/फरीदाबाद में है तथा इसके 6 आंचलिक कार्यालय, 51 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 116 उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है । यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण हेतु प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण का कार्य करता है ।
- आंकड़ा गुणवत्ता और विश्लेषण प्रभाग (डीक्यूएडी) का मुख्यालय कोलकाता में है। अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, दिल्ली, गिरीडीह तथा नागपुर में इसके छह समंक विधायन केन्द्र हैं । यह प्रतिदर्श चयन, सॉफ्टवेयर विकास तथा सर्वेक्षणों के द्वारा एकत्रित आंकडों के संसाधन एवं सारणीयन के लिए उत्तरदायी है । यह राज्यों को सभी समंक विधायन संबंधी गतिविधियों में आईटी समाधान द्वारा तथा आविधक प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा अन्य परस्पर संवादात्मक तरीके से भी सहायता करता है। औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध भी इस प्रभाग के अधीन कार्य करता है । औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध का मुख्य कार्य वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) के संबंध में नमूना, अभिकल्प, डाटा मान्यकरण और वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के संबंध में परिणाम बनाना है, जो भारत में औद्योगिक सांख्यिकी का एक प्रमुख स्रोत है । समर्पित एएसआई वेब पोर्टल के माध्यम से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और उनका रख-रखाव किया जाता है, जिसके कारण समय बचने के साथ-साथ सही आंकड़ों का पता चलता है । यह पोर्टल वार्षिक आंकडों को बिना किसी वास्तविक छेडछाड के समय पर, पारदर्शी तथा कार्यक्रम में विश्वसनीय तरीके से सुरक्षित वातावरण में प्रस्तुत करने में सहायता करता है।
- दिल्ली स्थित सर्वेक्षण समन्वय एवं प्रकाशन प्रभाग (एससीडी) विभिन्न प्रभागों के समस्त कार्यकलापों के समन्वय का कार्य करता है । इसके अलावा, एससीडी, एनएसओ द्वारा संचालित विभिन्न सामाजार्थिक सर्वेक्षणों के सर्वेक्षण परिणामों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने की जिम्मेदारी भी निभाता है। यह एनएसओ की तकनीकी पत्रिका 'सर्वेक्षणा' भी प्रकाशित करता है जिसमें एनएसओ के विभिन्न सामाजार्थिक सर्वेक्षणों के शोध लेख भी शामिल होते हैं ।

एनएसएस के हाल के दौरों के कार्यकारी समूह

- 4.98 i) परिवार उपभोक्ता व्यय और ii) स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर परिवार सामाजिक उपभोग सर्वेक्षण के लिए सारणीयन योजना और अनुमानन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने हेतु एनएसएस के 75वें दौर (जुलाई 2017 जून 2018) के कार्यकारी समूह की चौथी बैठक 19 जून, 2019 को हैदराबाद में आयोजित की गई और इस अविध के दौरान कवर किए गए विषयों पर चर्चा की गई।
- 4.99 एनएसएस के 76वें दौर (जुलाई-दिसम्बर 2018) की तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, एनएसएस के 74वें दौर के कार्यकारी समूह के कोर ग्रुप की चौथी बैठक 28 मार्च 2019 को आयोजित की गई।
- 4.100 एनएसएस 77वें दौर (जनवरी-दिसम्बर 2019) के कार्यकारी समूह ने दिनांक 01 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में (i) परिवार की भूमि और पशुधन होल्डिंग तथा कृषक परिवारों की स्थिति मूल्यांकन और (ii) ऋण और निवेश संबंधी सर्वेक्षणों हेतु सारणीयन योजना और अनुमानन प्रक्रिया पर चर्चा की ।
- 4.101 एनएसएस 78वें दौर के कार्यकारी समूह (जनवरी-दिसम्बर 2020) ने (i) घरेलू पर्यटन व्यय और (ii) बहुल संकेतक सर्वेक्षण (एमआईएस) के सर्वेक्षण साधनों की विषय सूची और संरचना पर निर्णय लेने के लिए डॉ. जी.सी. मन्ना की अध्यक्षता में 02 मई, 2019, 02 अगस्त, 2019, 09 सितम्बर, 2019 और 10 अक्तूबर, 2019 को चार बैठकें आयोजित की।

आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति

- 4.102 आर्थिक पहलुओं पर सर्वेक्षण आंकड़े और सांख्यिकी के संबंध में मामलों पर विचार करने के लिए विषय विशेष समितियों के स्थान पर आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति का गठन किया गया है। इस समिति का गठन दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को डा. प्रणब सेन, कार्यक्रम निदेशक, इंडिया टीम रिसर्चर, अंतर्राष्ट्रीय विकास केन्द्र, नई दिल्ली की अध्यक्षता में किया गया। परिणामस्वरूप, श्रम बल सांख्यिकी पर स्थायी समिति (एससीएलएफएस), सेवा क्षेत्र पर स्थायी समिति (एससीआईएस) तथा सेवा क्षेत्र और अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों (एससीएसएसयूएसई) को आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति में विलय कर दिया गया है।
- 4.103 पेशेवर सुविज्ञों सिहत इस स्थायी सिमिति से अपेक्षा की जाती है कि यह विभिन्न सर्वेक्षणों और साथ ही अन्य संबंधित क्षेत्रों के नियोजन हेतु अपेक्षित आवश्यक सुविज्ञता

प्रस्तुत करेगी । एएसआई 2017-18 के परिणामों को अंतिम रूप देने के लिए एससीईएस की पहली बैठक 07 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित की गई और एएसआई, एएसयूएसई, एएसएसएसई, पीएलएफएस, आईआईपी समयोपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस) आर्थिक गणना इत्यादि जैसे सर्वेक्षणों की सभी गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए सकेंद्रित उप-समितियों का गठन किया ।

मंत्रालय में सर्वेक्षणों के विविध अन्य एनएसएस दौरों के संबंध में गतिविधियां सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण

- 4.104 एनएसएस का 74 वां दौर (जुलाई 2016-जून 2017) 'सेवा क्षेत्र का सर्वेक्षण' को समर्पित था । यह सेवा क्षेत्र पर सूची फ्रेम आधारित उद्यम सर्वेक्षण है । इस सर्वेक्षण में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), आर्थिक गणना (ईसी) तथा व्यवसाय रजिस्टर (बीआर) को मिलाकर संयुक्त फ्रेम में 63,659 उद्यम हैं । भारत में सेवा क्षेत्र उद्यमों पर तकनीकी रिपोर्ट के नाम से एक तकनीकी रिपोर्ट अप्रैल 2019 में जारी की गई थी ।
- 4.105 एनएसएस का 75वां दौर (जुलाई 2017-जून 2019) i) परिवार उपभोक्ता व्यय तथा ii) स्वास्थ्य और शिक्षा पर सामाजिक उपभोग व्यय पर सर्वेक्षण को समर्पित था । स्वास्थ्य और शिक्षा पर सामाजिक उपभोग व्यय के तद्गुरूपी प्रमुख संकेतक और यूनिट लेवल आंकड़े जारी कर दिए गए हैं।
- 4.106 एनएसएस का 76वां दौर (जुलाई-दिसम्बर, 2019) (i) दिव्यांगता तथा (ii) पेयजल, स्वच्छता, सफाई तथा आवास की स्थिति विषयों को समर्पित था । इस दौर की रिपोर्टें और यूनिट लेवल आंकड़े जारी कर दिए गए हैं ।
- 4.107 एनएसएस का 77वां दौर (जनवरी-दिसम्बर, 2019) (i) परिवारों की भूमि तथा पशुधन होल्डिंग तथा कृषक परिवारों की स्थिति मूल्यांकन (ii) ऋण एवं निवेश विषय को समर्पित है। यह सर्वेक्षण 01 जनवरी, 2019 को आरंभ किया गया था। एनएसएस के 77वें दौर की सारणीयन योजना और अनुमानन प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस दौर के डाटा मान्यकरण का कार्य प्रगति पर है।
- 4.108 एनएसएस 78वें दौर के कार्यकारी समूह (जनवरी-दिसम्बर 2020) ने (i) घरेलू पर्यटन व्यय और (ii) बहुल संकेतक सर्वेक्षण को समर्पित है। एनएसएस के 78वें दौर के लिए प्रशिक्षकों की अखिल भारतीय कार्यशाला दिनांक 15-16 अक्तूबर, 2019 को अहमदाबाद में आयोजित की गई। सर्वेक्षण 01 जनवरी 2020 को आरंभ किया जाएगा। घरेलू पर्यटन व्यय पर सर्वेक्षण के आंकड़ों का प्रयोग पर्यटन सेटेलाइट लेखों (टीएसए) को

तैयार करने में किया जाता है। विभिन्न पहलुओं यथा दौरे का प्रयोजन, दौरे के दौरान प्रयुक्त वाहन और आवास के प्रकार, देश के अंदर अंतिम गंतव्य, दौरे इत्यादि के लिए विभिन्न पर्यटन विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं का प्रयोग इत्यादि आगे की नीति अन्वेषण हेतु इनपुट का एक मूल्यवान स्त्रोत तैयार करेगा और अवसंरचना यात्रा पैकेज इत्यादि को तैयार करने और उनके विकास करने हेतु क्षेत्र विशिष्ट नीतियों और कार्यक्रमों को सूत्रित करेगा । एसडीजी 2030 के कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों को तैयार करने के लिए एनएसओ द्वारा पहली बार बहुल संकेतक सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है।

4.109 एनएसएस में पहली बार, एनएसएस 78वें दौर में आंकड़ों के एकत्रण हेतु एनएसएस में अब तक प्रयुक्त पारंपिरक अनुसूची फॉर्मेट के स्थान पर प्रश्नावली फॉर्मेट का प्रयोग किया जाएगा । प्रमुख नमूनों के लिए आंकड़ों का एकत्रण सीएपीआई पद्धित के माध्यम से किया जाएगा । तथापि, ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जो प्रश्नावली फार्मेट में आंकड़ों के एकत्रण हेतु सीएपीआई को अंगीकार करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए पारम्पिरक अनुसूची फार्मेट के साथ जारी रखने के उपबंध किए गए हैं । एनएसएस 78वें दौर केलिए प्रशिक्षकों की अखिल भारतीय कार्यशाला (एआईडब्ल्यूओटी) 15-16 अक्तूबर, 2019 के दौरान अहमदाबाद में आयोजित की गई थी । सर्वेक्षण 01 जनवरी, 2020 को आरंभ होगा ।

अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) (अक्तूबर, 2019 – मार्च, 2020)

4.110 एएसयूई 'अनिगमित गैर-कृषि संस्थाओं' को समर्पित है। यह सर्वेक्षण, आरंभतः छह महीनों के लिए दिनांक 01 अक्तूबर, 2019 को आरंभ किया गया था जो निगमित क्षेत्र के आंकड़ों के संपूरक के रूप में विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्रों में अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों की आर्थिक और प्रचालनात्मक विशेषताओं पर समेकित सर्वेक्षण के लिए ही समर्थित है। इसके परिणामों और प्रारंभिक छह महीनों के अनुभव के आधार पर अप्रैल 2020 से एक पूर्ण सर्वेक्षण आरंभ किया जाएगा।

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के लिए राज्यीय सहायता

4.111 राज्य भी एनएसएस के सर्वेक्षणों में भाग लेते हैं । डीक्यूएडी डाटा प्रोसेसिंग इंस्ड्रमेंट (प्रतिदर्श सूची, डाटा प्रविष्टि हेतु सॉफ्टवेयर, मान्यकरण तथा सारणीकरण सहित) उपलब्ध करवाकर राज्यों को सभी प्रकार का तकनीकी मार्गदर्शन मुहैया कराती है

और इस प्रकार से राज्यीय सैंपल आंकड़ों को संसाधित करने के साथ-साथ केन्द्रीय तथा राज्यीय प्रतिदर्श आंकड़ों का संग्रहीकरण भी करता है।

4.112 डीक्यूएडी द्वारा आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के पदाधिकारियों के लिए एनएसएस के 73वें दौर के केन्द्रीय तथा राज्यीय प्रतिदर्श डाटा पर पूलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जब कभी भी राज्यीय डीईएस द्वारा अनुरोध किया गया, डीक्यूएडी द्वारा राज्यों के लिए विशेषीकृत आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

एनएसएस 72वें और 73वें दौर के परिणामों पर राष्ट्रीय सम्मेलन

4.113 एनएसएस 72वें और 73वें दौर के परिणामों के आधार पर 30-31 अगस्त, 2019 के दौरान भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) इंदौर में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया । सम्मेलन के दौरान, उपर्युक्त दौरों पर प्रभागीय दस्तावेज़ों सिहत 16 तकनीकी दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए थे । एनएसएस 72वां दौर (जुलाई 2014 – जून 2015) 'घरेलू पर्यटन व्यय' और 'सेवाओं एवं टिकाऊ वस्तुओं पर परिवार व्यय' को समर्पित था और एनएसएस 73वां दौर (जुलाई 2015 – जून 2016) 'विनिर्माण में उपनिगमित गैर-कृषि उद्यम, व्यापार और अन्य सेवाओं (निर्माण कार्य के अलावा)' को समर्पित था ।

कृषि सांख्यिकीः

4.114 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग फसल सांख्यिकी योजना (आईसीएस) विभिन्न फसलों के उत्पाद दर अनुमान और क्षेत्रीय आंकड़ों के संग्रहण की उनकी प्रणाली में किमयों की पहचान करने में मदद करता है। आईसीएस के अंतर्गत राज्यीय मुख्य कार्मिकों द्वारा किए गए क्षेत्र गणना कार्य पर प्रतिदर्श जांच और उत्पाद दर के आकलन हेतु राज्यीय कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित फसल काटने संबंधी प्रयोगों का प्रतिदर्श पर्यवेक्षण करता है तािक प्रणाली में किमयों की पहचान की जा सके। आईसीएस कार्य पर स्थिति रिपोर्ट राज्य सरकारों को प्रस्तुत की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्यालय का क्षेत्र संकार्य प्रभाग प्रत्येक कृषि ऋतु में लगभग 5,000 गांवों की क्षेत्र-गणना तथा क्षेत्रीय परिगणना से संबंधित मुख्य क्षेत्र-कार्य के प्रतिदर्श जांच तथा प्रत्येक कृषि वर्ष में लगभग 16,000 फसलों की कटाई के प्रयोगों का पर्यवेक्षण करता है। राज्य भी समान मिलान आधार पर प्रतिदर्श जांच के इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। फसल कटाई के चरण पर फसल कटाई परीक्षणों के पर्यवेक्षण

के माध्यम से एकत्र आंकड़ों का आईसीएस स्कीम के अंतर्गत विशिष्ट फसलों की उपज दर के अनुमानों की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है।

शहरी ढांचा सर्वेक्षण (यूएफएस)

4.115 शहरी ढांचा सर्वेक्षण (यूएफएस) 5 वर्ष की अवधि पर चरणबद्ध तरीके से आयोजित की जाने वाली एक नियमित योजना है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य एनएसएसओं के विभिन्न सामाजार्थिक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में पहले स्तर की प्रतिचयन इकाइयों को चुनने के लिए एक फ्रेम उपलब्ध कराना और इस प्रयोजन के लिए शहरी प्रखण्ड बनाना और इन्हें अद्यतन करना है।

4.116 मोबाइल और पोर्टल आधारित एप्लीकेशनों का उपयोग करके डिजिटल प्लेटफार्म पर शहरी फ्रेम सर्वेक्षण (यूएफएस) 2017-22 पर चरणबद्ध रूप से कार्य करने का निर्णय लिया गया । जिसके लिए राष्ट्रीय संवेदी दूरस्थ केंद्र (एनआरएससी), हैदराबाद द्वारा प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है । वेब एप्लीकेशन में क्यूजीआईएस सॉफ्टवेयर पर खींचे गए बहुभुज की निर्णायक सीमा अपलोड करने हेतु कार्यात्मकता शामिल होती है । फील्ड अधिकारियों को मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग और खींची गई तस्वीरों के संपादन एवं सीमाएं खींचने और एट्रीब्यूट डाटा को संपादित एवं प्रस्तुत करने हेतु वेब पोर्टल का प्रयोग करने के लिए क्यूजीआईएस संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है ।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)

4.117 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) अप्रैल 2017 से राष्ट्रव्यापी रूप से आरंभ किया गया । पीएलएफएस के मुख्यतः दोहरे उद्देश्य हैं (i) वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए तीन महीनों के थोड़े समय के अंतराल में श्रमबल संकेतकों को मापना (ii) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) और सीडब्ल्यूएस वार्षिक दोनों तरह से सभी महत्वपूर्ण श्रम शक्ति मापदंडों का अनुमान लगाना ।

4.118 फील्ड में पीएलएफएस के लिए डाटा कम्प्यूटर सहायक वैयक्तिक साक्षात्कार समाधान (सीएपीआई) के माध्यम से की जाती है। एनएसएसओ द्वारा विश्व बैंक से प्राप्त तकनीकी सहयोग से सीएपीआई समाधान का विकास किया गया जिसे पेपर अनुसूचियों के स्थान पर हैंड हैल्ड आईटी उपकरण का प्रयोग करके पीएलएफएस के लिए प्रयोग किया गया।

4.119 आविधक श्रम बल सर्वेक्षण की वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट और अक्तूबर-दिसम्बर, 2018 की तिमाही के लिए तिमाही बुलेटिन दिनांक 31 मई, 2019 को जारी किया गया था । जनवरी-मार्च, 2019 की तिमाही के लिए पीएलएफएस का तिमाही बुलेटिन भी 23 नवम्बर, 2019 को जारी कर दिया गया है ।

समय उपयोग सर्वेक्षण

4.120 एनएसएस पहली बार जनवरी 2019 से दिसम्बर 2019 की अविध के दौरान समय उपयोग सर्वेक्षण संचालित किया । समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस) का मुख्य उद्देश्य सवैतिनक तथा अवैतिनक गतिविधियों में पुरूषों, मिहलाओं तथा व्यक्तियों के अन्य समूहों की भागीदारी का आकलन करना है । यह सर्वेक्षण, अवैतिनक देखभाल करने संबंधी गतिविधियों, अवैतिनक स्वयं सेवक संबंधी कार्यों, अवैतिनक घरेलू सेवाओं जो घर के सदस्यों की गतिविधियों का उपयोग करती हैं पर खर्च किए गए समय पर सूचना देने संबंधी महत्वपूर्ण स्रोत है । यह सर्वेक्षण घर के सदस्यों द्वारा शिक्षण, सोशल होने, फुर्सत के पलों में की जाने वाली गतिविधियां, स्वयं-देखभाल संबंधी गतिविधियां इत्यादि पर भी सूचना उपलब्ध करवाता है ।

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई)

4.121 भारत में वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) औद्योगिक सांख्यिकी का मुख्य स्रोत है। यह संगठित विनिर्माण क्षेत्र के गठन और संरचना, वृद्धि संबंधी परिवर्तन का उद्देश्यपरक और यथार्थ रूप से निर्धारण एवं मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध कराता है जिसमें विनिर्माण प्रक्रियाओं, मरम्मत सेवाओं, उत्पादन, बिजली का पारेषण आदि, गैस एवं जल आपूर्ति तथा कोल्ड स्टोरेज से जुड़े कार्यकलाप शामिल हैं। यह सर्वेक्षण सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (वर्ष 2017 में यथा संशोधित) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत सांविधिक है।

4.122 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण पूरे भारत में किया जाता है। सर्वेक्षण में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 एम (i) तथा 2 एम (ii) के अंतर्गत पंजीकृत समस्त कारखाने शामिल हैं। सर्वेक्षण में बीड़ी एवं सिगार कर्मगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पंजीकृत सभी बीड़ी एवं सिगार निर्माणकारी प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया जाता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में पंजीकृत बिजली के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण में लगे सभी बिजली उपक्रम, उनके रोजगार का आकार चाहे कुछ भी हो, वर्ष 1997-98 तक वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में शामिल किए गए थे।

कोल्ड स्टोरेज, जल आपूर्ति, मोटर वाहनों तथा घड़ी आदि जैसी उपभोग की अन्य टिकाऊ वस्तुओं की मरम्मत जैसी कुछ सेवाओं और कार्यकलापों को सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल किया गया है। रक्षा प्रतिष्ठानों, तेल भंडारण तथा वितरण डिपो, जलपान-गृहों, होटलों, कैफे और कम्प्यूटर सेवाओं तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों को भी सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में पंजीकृत बिजली उपक्रमों को वर्ष 1998-99 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया जा रहा है तथापि, वे कैप्टिव इकाइयां जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं हैं, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल की जा रही हैं।

4.123 उक्त के अलावा, अब एएसआई की कवरेज का एएसआई के प्रतिचयन डिजाइन संबंधी उप-समूह द्वारा संस्तुति के अनुसार कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2एम (i) तथा 2एम (ii) के अनुसार बीड़ी एवं सिगार कर्मगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के दायरे से परे विस्तार किया गया है । इस प्रयोजनार्थ संबंधित राज्यों के लिए तैयार किए गए प्रतिष्ठान कार्य रिजस्टर (बीआरई) तथा छठी आर्थिक गणना आधारित प्रतिष्ठान निर्देशिका का सीएसओ (आईएस विंग) द्वारा उपयोग किया जाएगा ।

4.124 संवर्धित ढांचे के कार्यान्वयन से, 100 या अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयों को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2एम (i) तथा 2एम (ii) के तहत पंजीकृत नहीं किया गया परंतु संबंधित राज्यों के बीआरई में शामिल इकाइयों को एएसआई फ्रेम में शामिल किया जाएगा । इसके लिए, आंध्र प्रदेश के बीआरई को एएसआई 2014-15 के लिए आंध्र प्रदेश के फ्रेम में शामिल किया गया तथा मणिपुर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तिमलनाडु और राजस्थान के बीआरई को एएसआई 2015-16 के लिए संबंधित राज्यों के फ्रेम में शामिल किया गया और एफओडी द्वारा ऐसी इकाईयों के सत्यापन करने के पश्चात गुजरात, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की बीआरई को एएसआई 2017-18 हेतु संबंधित राज्यों के फ्रेम में शामिल किया गया । यह पिछली पद्धित से महत्वपूर्ण प्रावधान है तथा पंजीकृत विनिर्माण सेक्टर की कवरेज में सुधार लाता है ।

4.125 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े पूंजी, रोजगार तथा परिलब्धियों, ईंधन एवं लुब्रिकेंट्स की खपत, कच्चा माल एवं अन्य लागत/उत्पादन, मूल्यवर्धन, श्रम टर्नओवर और कारखानों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों की अन्य विशेषताओं से

सम्बद्ध है । फील्ड-कार्य रा.प्र.सर्वे.सं. के क्षेत्र संकार्य प्रभाग द्वारा किया जाता है । आईएस विंग आंकड़ों को संशोधित करता है और परिणाम प्रकाशित करता है ।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में राज्यों की भागीदारी

4.126 राज्य अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों को एएसआई में भागीदारी के प्रयोजनों से आवश्यक तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण दिया गया है । अन्य इच्छुक राज्यों के साथ प्रतिभागी राज्यों को एएसआई सर्वेक्षण कार्य में भाग लेने के लिए राज्य प्रतिदर्श सूची मुहैय्या कराई गयी है । आईएस विंग डीपीडी राज्यों को सभी सर्वेक्षण और आंकड़ा विधायन साधन (प्रतिदर्श सूची, शेड्यूल, अनुदेश पुस्तिका, आंकड़ा प्रविष्टि पैकेज (ईशेड्यूल), वैधीकरण नियम, प्लिंग कार्यप्रणाली आदि) उपलब्ध कराता है । संबंधित राज्यों के लिए केंद्रीय प्रतिदर्श यूनिट स्तरीय आंकड़े भी राज्य डीईएस के साथ साझा किए गए थे ताकि यदि आवश्यक हो तो प्रतिदर्शों को उन्नत करके जिला/माइक्रो स्तरीय अनुमानों को तैयार करने में उन्हें सशक्त किया जा सके ।

4.127 एएसआई 2015-16, एएसआई 2016-17 और एएसआई 2017-18 क्रमशः के दौरान एएसआई में प्रतिदर्श आकारों को 70,943, 73,841 और 76,977 इकाइयों के रूप में रखा गया था । एएसआई 2018-19 में सर्वेक्षण के लिए 54,492 इकाइयों और 23,646 प्रतिदर्श इकाईयों सिहत 78,138 इकाईयों का चयन किया गया है । एएसआई 2017-18 का फील्ड कार्य प्रक्रियाधीन है । एएसआई 2012-13 से आगे की सभी अनुसूचियों की एएसआई के वेब पोर्टल के माध्यम से जांच कर ली गई है।

4.128 एएसआई 2016-17 के अंतिम परिणाम (अंक । और फैक्टरी सेक्टर हेतु समरी परिणाम) सर्वेक्षण के समाप्त होने के तारीख से छह महीनों के अंदर एएसआई के वेब पोर्टल पर जारी किए गए हैं । एएसआई 2017-18 के अनन्तिम फील्ड कार्य समाप्त होने के तीन महीनों के अंदर जारी कर दिए गए हैं । चूंकि एएसआई 2009-10, अंक-। के परिणाम प्रयोक्ताओं को इलैक्ट्रानिक मीडिया पर बिना रोक-टोक के उपलब्ध हैं, अतः मंत्रालय की वेबसाइट (www.mospi.gov.in) से डाउनलोड किए जा सकते हैं ।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के परिणामों की झलक

4.129 एएसआई 2016-17 फैक्टरी क्षेत्र के लिए (अंक 1 और सारांश परिणाम) मार्च, 2019 में जारी किए गए थे। एएसआई 2017-18 के अनंतिम परिणाम सितम्बर 2019 के महीने में ई-मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। एएसआई 2017-18 हेतु फील्ड कार्य

वित्तीय वर्ष 2017-18 के साथ पड़ने वाली संदर्भ अविध में देश भर में नवम्बर 2018 से जून 2019 के दौरान कराया गया था ।

4.130 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2017-18 के सर्वेक्षण की कुछ मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:-

- 2017-18 के दौरान, चल रहे कारखानों की अनुमानित संख्या 2,37,684 थी ।
- इन कारखानों द्वारा लगभग 156 लाख लोगों को काम पर लगाया गया था।
- इन सभी कारखानों की कुल निवेशित पूंजी 44,68,466 करोड़ रुपए थी ।
- कारखानों द्वारा कुल निवल मूल्य संवर्धन 12,38,129 करोड़ रुपए था ।

4.131 एएसआई के अंतर्गत यथाशामिल उद्योगों की प्रमुख विशेषताओं संबंधित तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:

सारणी-*4.5*

| विशेषताएं | ईकाई | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 (P) |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|-------------------|-----------|----------------------|
| | | | | | | |
| कारखाने | संख्या | 224576 | 230435 | 233116 | 234865 | 237684 |
| नियत पूंजी | लाख रु. | 237371903 | 247445461 | 280964722 | 319038649 | 329341000 |
| उत्पादक पूंजी | लाख रु. | 30364048 | 311529492 | 355017720 | 385346936 | |
| | | 0 | | | | 393752890 |
| निवेशित पूंजी | लाख रु. | 338455535 | 351396431 | 385309984 | 429625490 | 446846553 |
| कामगार | संख्या | 10444404 | 10755288 | 11136133 | 11662947 | 12224402 |
| कार्मिक | संख्या | 13462061 | 13808327 | 14227645 | 14840929 | 15546178 |
| श्रमिकों को मजदूरी | लाख रु. | 12649644 | 14048488 | 15600116 | 17353716 | 19280076 |
| परिलब्धियां | लाख रु. | 27241503 | 30741306 | 33975074 | 37516385 | 41835726 |
| कुल निवेश | लाख रु. | 549013952 | 571910956 | 558907407 | 589746374 | 660681736 |
| उत्पादन | लाख रु. | 655525116 | 688381205 | 686235375 | 726551423 | 808167115 |
| अवमूल्यन | लाख रु. | 16976977 | 18954077 | 20079459 | 22213138 | 23672523 |
| निवल मूल्य संवर्धन | लाख रु. | 89534187 | 97516172 | 107248509 | 114591911 | 123812856 |
| निवल नियत पूंजी निर्माण | लाख रु. | 18396832 | 13405511 | 17879299 | 14696869 | 9433274 |
| निवल आय | लाख रु. | 75152048 | 81228119 | 90165276 | 97221421 | 105924226 |
| दिया गया किराया | लाख रु. | 1527272 | 1709361 | 1774760 | 1964321 | 2147363 |
| दिया गया ब्याज | लाख रु. | 15485061 | 17286008 | 18213 <i>7</i> 36 | 18940173 | 18768379 |
| लाभ | लाख रु. | 43956552 | 46028299 | 51319338 | 53935285 | 58469673 |

एएसआई वेब-पोर्टल

4.132 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का वेबपोर्टल औद्योगिकी सांख्यिकी विंग, कोलकाता द्वारा एएसआई अनुसूचियों के संग्रहण और संकलन हेतु एनआईसी के सहयोग से विकसित किया गया है । इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य इनबिल्ट वेलिडेशन की सुविधा के साथ स्रोत पर ही एएसआई आंकड़े एकत्र करना है जिससे आंकड़ों की सटीकता बढ़ेगी और समय की बचत होगी । इसका एक अतिरिक्त लाभ यह है कि यह सुरक्षित वातावरण में 24x7 उपलब्ध रहेगा । उद्देश्य है कि इससे अनुसूचियों को भौतिक रूप से इधर-उधर ले जाए बगैर सुरक्षित वातावरण में एएसआई आंकड़े समय से, पारदर्शी तथा विश्वसनीय तरीके से प्रदान किए जा सकेंगे। एएसआई 2012-13 से एएसआई अनुसूची के फ्रेम के अपडेशन, प्रतिदर्श चयन और ई-संकलन के लिए एएसआई वेबपोर्टल सफलतापूर्वक शुरू किया गया है ।

औद्योगिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

4.133 औद्योगिक सांख्यिकी पर दसवां राष्ट्रीय सम्मेलन कोलकाता में दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को आयोजित किया जाएगा । औद्योगिक सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले कुल 17 तकनीकी पेपर सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए ।

मूल्य आंकड़ा

4.134 कृषि श्रम और ग्रामीण श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई (एएल/आरएल)): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय कृषि तथा ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के संकलन के लिए नियमित मासिक ग्रामीण मूल्य आंकड़ा संग्रहीत करता है। मूल्य आंकड़ा के साथ-साथ 12 प्रमुख कृषि तथा 13 प्रमुख गैर-कृषि व्यवसायों की दैनिक मजदूरी दरें भी अनुसूची 3.01 (आर) में एकत्रित की जा रही हैं। महत्वपूर्ण कृषि प्रचालनों की दैनिक मजदूरी दरों के आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा मासिक आधार रिपोर्ट की जाती है। श्रम ब्यूरो, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय सीपीआई (एल/आरएल) को संकलित करता है तथा प्रकाशित करता है। आरपीसी के लिए आंकड़ा 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित 603 गांवों से किया जाता है। आरपीसी का आधार वर्ष 1986=100 है, जिसे प्रत्येक राज्य तथा अखिल भारत स्तर पर प्रत्येक माह (20 तारीख अथवा 20 तारीख के बाद के पहले कार्य दिवस को) जारी किया जाता है। राज्य

सरकारें महत्वपूर्ण कृषि संबंधी अभियानों के दैनिक मजदूरी दरों संबंधी आंकड़े की सूचना मासिक आधार पर देती है।

4.135 "ग्रामीण भारत में मूल्य तथा मजदूरी" नामक आरपीसी बुलेटिन प्रत्येक तिमाही के लिए एनएसएस के आंकड़ा गुणवत्ता और आश्वासन प्रभाग (डीक्यूएडी) द्वारा प्रकाशित किया जाता है और नई श्रृंखला पर अंतिम निर्णय लेने तक यह 260 वस्तुओं के संबंध में केवल राष्ट्रीय स्तर का मूल्य आंकड़ा तथा 25 प्रमुख राज्यों का राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मजदूरी आंकड़े उपलब्ध करवाता है । अप्रैल-जून 2019 की तिमाही तक का आरपीसी बुलेटिन प्रकाशित कर दिया गया है ।

4.136 सीपीआई (एएल/आरएल) के आधार वर्ष संशोधन के लिए बाजार सर्वेक्षण कार्य 2019-20=100 आधार वर्ष सिहत नयी श्रृंखला बनाना प्रक्रियाधीन है । देश भर में 787 गांवों से आधार वर्ष मूल्य संग्रहण नयी श्रृंखला के सुनिश्चित होने तक जारी रहेगा ।

4.137 उपभोक्ता मूल्य स्चकांक (शहरी): उपभोक्ता मूल्य स्चकांक परिवारों द्वारा उपभोग के उद्देश्य से प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों के सामान्य स्तर में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को मापता है । उपभोक्ता मूल्य स्चकांक (यू) का मूल्य संग्रहण मई 2008 से मूल्य सांख्यिकी प्रभाग, सीएसओ की ओर से एनएसएसओ के क्षेत्र संकार्य प्रभाग द्वारा एकत्रित किया जाता है । सीपीआई (यू) का आधार वर्ष 2012=100 है । मूल्य आंकड़ा संग्रहण प्रतिमाह 310 कस्बों से 1078 कोटेशन के लिए किया जाता है । सीपीआई (यू) की वेबपोर्टल में मासिक खुदरा मूल्य का संग्रहण/पारेषण एफओडी द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है ।

4.138 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण): एनएसएसओ (एफओडी) को, डाक विभाग (डीओपी) से कार्य हस्तांतिरत करने के बाद, सितंबर 2018 से सीपीआई (ग्रामीण) का काम सौंपा गया है। सीपीआई (ग्रामीण) का आधार वर्ष सीपीआई (शहरी) के समान है, अर्थात, 2012=100 देश भर के 1181 गांवों में स्थित बाजारों से मूल्य डेटा संग्रह किया जा रहा है। बाजारों और दुकानों के साथ कर्मचारियों को परिचित कराने के लिए, सितंबर 2019 से अक्टूबर 2019 तक दो महीने की अवधि के लिए डाक विभाग के अधिकारियों की सहायता से संयुक्त मूल्य संग्रह किया गया। नवंबर 2019 से एनएसएसओ (एफओडी) द्वारा स्वतंत्र रूप से मूल्य संग्रह गतिविधि ठेका कर्मचारियों के माध्यम से करवाई जा रही है।

4.139 सीपीआई (शहरी) और सीपीआई (ग्रामीण) के आधार वर्ष संशोधन के लिए बाजार सर्वेक्षण का काम अप्रैल 2019 में ही पूरा हो चुका है। नई श्रृंखला के तहत नियमित मूल्य संग्रह सीपीआई (शहरी) के लिए 1150 कोटेशनों और सीपीआई (ग्रामीण) के मामले में पूरे देश में फैले लगभग 1214 गांवों से किया जा रहा है । मौजूदा आधार वर्ष 2012=100 के तहत खुदरा मूल्यों का संग्रह दिसंबर 2019 तक जारी रहेगा।

4.140 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग देशभर में फैली पहचान की गई इकाईयों के लिए मासिक थोक मूल्य डाटा के सामयिक संग्रहण में उद्योग और आंतिरिक व्यापार को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। डाटा संग्रहण/5648 विनिर्माण इकाईयों को मासिक आधार पर कवर करते हुए 6765 कुटेशनों हेतु संचरण गतिविधियां/निमित क्षेत्र की फैक्टरियों को एफओडी द्वारा सुविधा दी जा रही है। थोक बिक्री मूल्य सूचकांक हेतु वर्तमान आधार वर्ष 2011-12=100 आर्थिक सलाहकार के कार्यालय की जिम्मेवारी मासिक आधार पर डब्ल्यूपीआई डाटा समेकित करना और उसे जारी करना है।

आयोजन योजना

4.141 एनएसएसओ पर मंत्रालय की योजना स्कीम 'क्षमता विकास' के एक उपघटक नामतः 'एनएसएसओ की सर्वेक्षण क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण' को कार्यान्वित करने का दायित्व है । इस घटक के लिए, अप्रैल-नवम्बर 2019-20 की अवधि के दौरान एनएसएस सर्वेक्षण हेतु अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा तथा सिक्किम के उत्तर-पूर्वी राज्यों को 935.16 लाख रुपए की कुल राशि सहायता अनुदान के रूप में जारी की गई है।

4.142 'एनएसएसओ की आंकड़ा विधायन क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण' के अंतर्गत, अवसंरचना तैयार करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन और मानव संसाधन विकास के अलावा, दो योजना केंद्र नामतः समंक विधायन केंद्र, बंगलौर तथा समंक विधायन केंद्र अहमदाबाद 10वीं योजना के दौरान संस्थापित किए गए । इन दोनों समंक विधायन केंद्रों ने आंकड़ा विधायन की समयपरकता से प्राप्त करने तथा परिणामों को जारी करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उनके योगदान ने सर्वेक्षण के आयोजन के एक वर्ष के भीतर इसके परिणामों को जारी करने के लक्ष्य को पाने के लिए एनएसएसओं को समर्थ बनाया ।

- 4.143 **क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए भूमि की खरीद/आवास का निर्माण**: एफओडी के फील्ड कार्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का नियमित रूप से विकास और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है । आरओ डिब्रूगढ़ के लिए एक निर्मित कार्यालय आवास लिया गया है और कार्यालय ने नए परिसर से कार्य करना आरंभ कर दिया है । इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आरओ जालंधर और एसआरओ नान्देड़ में कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि की खरीद के प्रस्ताव के लिए वित्तीय और प्रशासनिक अनुमोदन दे दिया है ।
- 4.144 प्रशिक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण: एफओडी अपने आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों और कृषि सांख्यिकी स्कंध, फरीदाबाद के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करता है । वर्ष 2019-20 (अप्रैल 2019-मार्च 2019) के दौरान, सामान्य प्रशासनिक मामलों पर प्रशिक्षण तथा सूचना का अधिकार के अलावा, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, एएसआई/एएसआई वेब पोर्टल, कृषि सांख्यिकी, यूएफएस जैसी विभिन्न तकनीकी स्कीमों पर लगभग 1254 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया ।

जून-अगस्त 2019 के दौरान रिसर्च/स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सम इनटर्नशिप स्कीम 2019-20 आयोजित की गई । इसमें नई दिल्ली मुख्यालय, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय सिहत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न योजनाओं पर इनटर्नशिप में लगभग 130 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया ।

- 4.145 प्रकाशन: एनएसओं के लिए ब्रांड नाम सृजित करने और डाटा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:
- i. एनएसएस 77वें दौर डाटा संग्रहण कार्य में लागों का सहयोग मांगने संबंधी अपील 36.00 लाख रूपए के कुल बजट के साथ 18 अगस्त, 2019 को देशभर के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में जारी कर दी गई है । एनएसओ की झलक और उसकी गतिविधियां बताती हुई अपील अन्य सामान्य समाचार पत्र में दिसम्बर, 2019 के महीने में जारी करने की योजना है ।
- ii. 40 सैकेण्ड प्रत्येक की अवधि के दो वीडियो स्पॉट प्रसारण निम्नलिखित में चल रहे हैं:

- ससंद के शीत सत्र के दौरान अर्थात 18 नवम्बर, 2019 से 13 दिसम्बर, 2019 के बीच 35.00 लाख रुपये के बजट के साथ लोकसभा टी.वी. चैनल ।
- दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों नामतः डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी किसान और डीडी क्षेत्रीय केन्द्रों में 265.00 लाख रुपये के बजट के साथ 23 नवम्बर, 2019 से 04 जनवरी, 2020 ।
- देशभर में 1005 डिजीटल सिनेमा हॉलों में 160.00 लाख रुपये के बजट के साथ 06 दिसम्बर, 2019 से 03 फरवरी, 2020 ।
- (iii) उपर्युक्त प्रकाशन उपायों/प्रकाशन सामग्री की खरीद के अतिरिक्त 45.00 लाख रुपये की दीवार घड़ियां प्रक्रियाधीन हैं जो जिला मुख्यालयों के मुख्य स्थानों यथा बस स्टैण्ड, पंचायत कार्यालय, नगर-पालिका कार्यालय तथा गांवों और ब्लॉक के मुख्य स्थानों पर लगाए जाने के साथ-साथ इन्हें लोगों के मध्य वितरित किया जाएगा जो डाटा संग्रहण में फील्ड अधिकारियों की अत्यधिक मदद करेंगे।
- (iv) दीवार घड़ियों के अतिरिक्त परिवारों के मध्य जूट बैग बांटने हेतु 90 लाख रुपये के जूट बैग खरीदने का कार्य प्रक्रियाधीन है जो महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध करवाने में कृतज्ञता स्वरूप अपना बहुमूल्य समय देते हैं।

सर्वेक्षण:

- 4.146 एनएसओ जर्नल का 107वां अंक अक्तूबर, 2019 में प्रकाशित किया गया है । इस जर्नल में शासकीय सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं पर तीन अनुसंधान पत्र जारी किए गए हैं ।
- 4.147 प्रकाशन हेतु दस्तावेजों को जमा करवाने हेतु संपादकीय सलाहकार बोर्ड (ईएबी) द्वारा दस्तावेजों की समीक्षा और इएबी द्वारा उसे अनुमोदन देने के पश्चात समीक्षा की कठिन प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है । मंत्रालय की वेबसाइट पर 'सर्वेक्षण' के विभिन्न पहलू उपलब्ध करवाए गए हैं ।

आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग/नई पहलें

4.148 एनएसएस के 77वें दौर से सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का डिजीटाइजेशन दिनांक 01 जनवरी, 2019 से आरंभ किया गया । आईएसआई द्वारा तैयार किए गए वेब ब्राउज़ मॉडयूल के माध्यम से टेबलेट्स का प्रयोग कर फील्ड में डाटा कैप्चर किया जाता

है। इन-बिल्ट नियंत्रणों के माध्यम से फील्ड डाटा की गुणवत्ता में सुधार करते हुए यह डाटा संचरण में लगने वाले समय को भी कम करता है।

4.149 पहले से चल रहे यूएफएस फेज़ों (2017-2022) का क्षेत्रीय कार्य नेशनल राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केन्द्र (एनआरएससी), हैदराबाद द्वारा तैयार की गई मोबाइल/वेब एप्लीकेशनों के माध्यम से डिजीटाइजड फॉर्मेट में किया जा रहा है । ब्लॉक/वार्ड/अन्वेषक/इकाईयां/शहरों की सीमाएं क्वांटम भौगोलिक सूचना प्रणाली (क्यूजीआईएस) का प्रयोग करते हुए 'भूवन' पोर्टल से प्राप्त सेटेलाइट चित्रण पर खींची जायेगी । संरचनाओं के विभिन्न गुणों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कैप्चर किया जाता है और सेटेलाइट चित्रण पर लगाई जाएंगी । मोड में युएफएससी बचत की परिकल्पना के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों का संचालन करने के लिए सेम्पलिंग फ्रेम के रूप में इसका प्रयोग करने के लिए भूवन पोर्टल इस तरह का नक्शा सेव किया जाएगा । नई प्रक्रिया विकास के चरण पर है ।

4.150 वर्तमान में एफओडी ने फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) (अनुसूची एएस 2.0) पर प्रतिदर्श जांच पर डाटा के संचरण हेतु पेपर-आधारित अनुसूची से ई-अनुसूची प्रणाली की ओर परिवर्तन किया है । शुरू में, एफओडी के पास उपलबध तकनीकी दक्षता के साथ एएस 2.0 के लिए इन-हाउस डाटा प्रविष्टि सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है जो कि वर्ष 2018-19 के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/राज्य सरकारों को उपलबध करवाया गया था एएस मुख्य पदाधिकारियों को एनएसएस के कम्प्यूटर एसिसटेड जनरल सर्वे इंस्ड्रमेंट (सीएजीएसआई) ई अनुसूची 2.0 पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, केरल और महाराष्ट्र के राज्य सरकार के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

एनएसएस के कंप्यूटर सहायता प्राप्त सामान्य सर्वेक्षण समाधान (सीएजीएसआई)

4.151 सभी एनएसएस सर्वेक्षणों के लिए सामान्य सर्वेक्षण समाधान, डीक्यूएडी बनाने में है । उसी से देश का नमूना सर्वेक्षण पारिस्थितिकी तंत्र बदलेगा । एक ऐसा समाधान जिसका सीएजीएसआई (कम्प्यूटर एसिसटेड जनरल सर्वे इंस्ट्रेमेंट (सीएजीएसआई) के रूप में संक्षिप्त नाम है के पास न केवल रियल-टाइम डाटा मान्यकरण संबंधी विषय-क्षेत्र है अपितु पैरा डाटा की फार्म में संपूर्ण सर्वेक्षण अविध के दौरान लेखा-परीक्षा सत्यापन और टाइम-स्टैम्प के साथ अक्षांश-देशांतर कैप्चर करने में समर्पित होगा ।जटिल रूप से डिज़ाइन किए गए और सुव्यक्त सीएजीएसआई अनिवार्य डेटा गुणवत्ता संबंधी मामलों

को पूरा करेगा जो बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण डेटा के लिए अनिवार्य है । प्रारंभतः सीएजीएसआई निम्नलिखित को कवर करेगाः

- (i) आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)
- (ii) अनिगमित गैर-कृषि क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण
- (iii) सेवा क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसएसएसई)
- (iv) एनएसएस 78वां दौर
- (v) अन्य भावी एनएसएस सर्वेक्षण

विकासशील एजेंसियां (डीए)/सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) पहले से ही डीक्यूएडी के साथ है और निर्धारित समय में प्रणाली का विकास करने, उसे जारी रखने तथा स्थिर रखने में सहयोग देंगे।

अध्याय-٧

सांख्यिकीय सेवाएं

भारतीय सांख्यिकीय सेवा

- 5.1 भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस), का गठन सरकार द्वारा योजना बनाने, नीति-निर्माण और निर्णय लेने की महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जरूरतों को चित्रित करने तथा राष्ट्रीय और अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर इनको समेकित और प्रसारित करने के उद्देश्य से सांख्यिकी के मुख्य क्षेत्रों में विभिन्न सांख्यिकीय प्रणाली पर नियंत्रण, समन्वय, प्रबोधन और परिचालन हेतु दक्ष व्यावसायिकों के संवर्ग के रूप में 1 नवम्बर, 1961 को किया गया था।
- 5.2 विभिन्न ग्रेडों पर आईएसएस के पदों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और संगठनों में इस उद्देश्य के साथ वितिरत किया गया है कि मंत्रालयों/विभागों में उचित सांख्यिकीय सेट-अप हो जिससे वे वास्तविक समय, वस्तुनिष्ठ आंकड़े उपलब्ध करा सकें व (क) नीति-निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी (समवर्ती निगरानी व मूल्यांकन और परिणाम/अंतिम मूल्यांकन सिहत); और (ख) निर्णय करने के लिए विश्लेषण कर सकें ।
- 5.3 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के तौर पर कार्य करता है । मंत्रालय भर्ती, प्रोन्नित, प्रशिक्षण, कैरियर तथा जनशक्ति नियोजन आदि सिहत सेवा से संबंधित सभी मामलों को देखता है । तथापि, आईएसएस अधिकारियों के दिन-प्रति-दिन के प्रशासनिक मामलों की देखभाल उन मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है जिनमें कि वे तैनात होते हैं ।
- 5.4 इस सेवा की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित भारतीय सांख्यिकीय सेवा, फीडर संवर्ग अर्थात् अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) से प्रोन्नित तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत सांख्यिकीय अधिकारियों के आमेलन के माध्यम से की जाती है। गत वर्षों में प्रासंगिकता व पदों की संख्या के दृष्टिकोण से इस सेवा में विकास हुआ है। विभिन्न ग्रेडों में स्वीकृत पद और वर्तमान में आबंटित पदों की संख्या तालिका 5.1 में दी गई है।

तालिका 5.1

| ग्रेड | संस्वीकृत संख्या | 30 नवंबर, 2019 को संवर्ग क्षमता |
|---|------------------|---------------------------------|
| उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी+) | 05 | 04 |
| उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) | 18 | 16 |
| वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) | 136 | 111 |
| गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड (एनएफएसजी) और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) | 176# | 141 |
| वरिष्ठ समयमान (एसटीएस) | 179 | 183\$ |
| कनिष्ठ समयमान (जेटीएस) | 300* | 202 |
| कुल | 814 | 657 |

- # इनमें से, 30% सीनियर ड्यूटी के पद (नामत: वरिष्ठ समयमान और उसके ऊपर के पद) एनएफएसजी में रखे गए हैं।
- *अवकाश, प्रतिनियुक्ति और प्रशिक्षण हेतु रखे गए 50 पदों सहित ।
- \$ भारतीय सांख्यिकी संस्थान के एसटीएस के 32 पदों को अस्थायी रूप से जेएजी में अवनयित कर दिया गया है ।
- 5.5 इस सेवा में सीधी भर्ती की प्रथम परीक्षा वर्ष 1967 में आयोजित की गई थी तथा इस सेवा के प्रथम बैच की नियुक्ति वर्ष 1968 में की गई थी । अभी तक, सीधी भर्ती के 41 बैचों ने सेवा को ज्वाइन किया है । 29 अधिकारियों के नवीनतम बैच ने फरवरी 2019 को ज्वाइन कर लिया है ।
- 5.6 आईएसएस नियमावली, 2016 में कनिष्ठ समयमान (जेटीएस) में 50 प्रतिशत पदों की सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) संवर्ग से पदोन्नित द्वारा भरने का प्रावधान है । इस सेवा में कनिष्ठ समयमान के अतिरिक्त और किसी स्तर पर सीधी भर्ती नहीं होती है । अन्य ग्रेडों में सभी रिक्तियां पदोन्नित द्वारा भरी जाती हैं ।

अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस)

5.7 सरकार द्वारा निर्णय लेने, नीतियां तैयार करने और आयोजना बनाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण सांख्यिकीय डेटाबेस तैयार करने में सहायता करने के लिए सांख्यिकी के मुख्य विनियमों के साथ अर्हक कर्मिकों के संवर्ग के रूप में दिनांक 12 फरवरी, 2002 को अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) का गठन किया गया था ।

- 5.8 अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस), सांख्यिकीय कार्य पदों की समूह-ख केन्द्रीय सिविल सेवा है जो भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के लिए फीडर कैडर है। इसमें छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत पूर्व-संशोधित वेतन संरचना 9300-34800 रु. के पे बैंड में 4600/- रु. ग्रेड पे (ग्रुप ख राजपत्रित) में विरष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (एसएसओ) तथा इसी पे बैंड में 4200/- रु. के ग्रेड पे (ग्रुप ख अराजपत्रित) में किनष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (जेएसओ) हैं। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार, विरष्ठ सांख्यिकी अधिकारी का वेतनमान क्रमशः मैट्रिक्स के लेवल-7 और किनष्ठ सांख्यिकी अधिकारी का लेवल-6 है। एसएसएस संवर्ग के अधिकारी पूरे देश में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में कार्यरत हैं।
- 5.9 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी भी है । मंत्रालय इस सेवा में, जिसमें भर्ती, प्रोन्नित, प्रशिक्षण, कैरियर तथा जनशिक्त नियोजन आदि सिहत सेवा से संबंधित सभी मामले शामिल हैं, की देख-रेख करता है । तथापि, एसएसएस अधिकारियों के दिन-प्रति-दिन के प्रशासनिक मामलों की उन मंत्रालयों/विभागों/संगठनों जिनमें ये अधिकारी तैनात हैं, द्वारा देखरेख की जाती है ।
- 5.10 एसएसएस नियम, 2013 के अन्तर्गत किनष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी के 90 प्रतिशत पदों पर खुली प्रतिस्पर्धा परीक्षा अर्थात कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है, जबिक 10 प्रतिशत पद फीडर पद धारकों से पदोन्नित के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है। इस सेवा में एसएसओं के पदों पर कोई सीधी भर्ती नहीं की जाती है।
- 5.11 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, स्वीकृत पदों की संख्या तथा तैनात पद धारकों की संख्या नीचे दी गई है:

तालिका 5.2

| क्र.सं. | पद का नाम | स्वीकृत पद | वर्तमान में पद | तैनात |
|---------|---------------------------|------------|----------------|-------|
| 1. | वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी | 1754 | 1781* | 1545 |
| 2. | कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी | 2189 | 2168* | 1613 |
| | कुल संख्या | 3943 | 3949* | 3158 |

- * एसएसएस के भर्ती नियम, 2013 की सुसंगत अनुसूची में स्वीकृत पदों और वर्तमान पदों में अंतर एसएसएस में पदों के आगामी पद-समाप्ति/पदावनिति/संवर्गीकरण के कारण हैं।
- 5.12 वर्ष 2019 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यकलाप संपादित किए गए ।
 - एसएसएस संवर्ग में नए भर्ती किनष्ठ सांख्यिकी अधिकारियों के लिए नस्ता, ग्रेटर नोएडा के माध्यम से प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) आयोजित किया गया, जिसमें नवंबर, 2019 तक 275 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।
 - स्मार्ट परफोरमेन्स एप्रेजल रिपोर्ट रिकार्डिंग ऑनलाइन विंडों (स्पेरो) पर एसएसएस अधिकारियों के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन की ऑनलाइन रिपोर्टिंग की प्रक्रिया कार्यान्वित की गई है और यह परिचालन में है । ऑनलाइन एपीएआर भरने के लिए एसएसएस संवर्ग के 3,592 अधिकारी एसपीपीएआरआरओडब्ल्यू पर पंजीकृत किए जा चुके हैं । कुल पंजीकृत 3,592 पंजीकृत अधिकारियों में से, वर्ष 2018-19 के लिए 3780 एपीएआर (पार्ट-एपीएआर सहित) ऑनलाइन तैयार की गई हैं ।
 - वर्ष 2019 के दौरान कर्मचारी चयन आयोग (सीजीएलई-2016) के माध्यम से जेएसओ के पद पर नियुक्त 6 उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए ।
 - कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, एसएसएस संवर्ग में संशोधित सुनिश्चित कैरियर उन्नयन (एमएसीपी)/सुनिश्चित कैरियर उन्नयन (एसीपी) स्कीम कार्यान्वित की गई तथा नियमित रूप से इसकी निगरानी की जा रही है । वर्ष के दौरान, एसएसएस के लगभग 210 अधिकारियों को उनकी पात्रता के अनुसार स्तर 7,8,9 और 11 के अनुरूप प्रथम, द्वितीय और तृतीय एमएसीपी प्रदान की गई है ।
 - परिवीक्षा अविध के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर, वर्ष 30 नवंबर 2019 तक 138
 किनष्ठ सांख्यिकीय अधिकारियों की सेवा स्थायी की गई है।

अध्याय-४।

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान

6.1 उन्नीस सौ तीस के दशक के प्रारम्भ में भारत में सैद्धान्तिक और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी के उत्कर्ष की आवश्यकता को महसूस करते हुए पथप्रदर्शक के रूप में प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की पहल और प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अस्तित्व में आया। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का रजिस्टीकरण पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 के अधीन एक अलाभकारी विद्या प्रसारक सोसाइटी के रूप में दिनांक 28 अप्रैल 1932 को किया गया। प्रारम्भ से ही संस्थान अपने तरीके से अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शित करने लगा । जब संस्थान ने अपने अनुसंधान, शिक्षण, प्रशिक्षण और परियोजना कार्यकलापों का विस्तार किया तो इसे राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलने लगी। सैद्धान्तिक और अनुप्रयुक्त सांख्यिकीय कार्य में संस्थान के उत्कृष्ट योगदान के कारण उसे संसद के एक अधिनियम, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम 1959 का 57 द्वारा "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान" के रूप में मान्यता प्राप्त हुई जिससे संस्थान को सांख्यिकी की परीक्षा आयोजित करने और डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार मिला । महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने वर्ष 1959 में स्वयं उक्त बिल संसद में पेश किया । इसके परिणामस्वरूप डिग्री पाठ्यक्रम यथा-सांख्यिकी स्नातक (बी. स्टैट) और सांख्यिकी निष्णात (एम. स्टैट) तथा एसक्यूसी एवं ओआर और कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम जून 1960 से शुरू किए गए। उसी वर्ष से संस्थान को पीएच.डी./डी.एससी.डिग्री प्रदान करने के लिए भी सशक्त किया गया।

6.2 बाद में कंप्यूटर विज्ञान (सीएस) और गुणवता, विश्वसनीयता एवं संक्रियात्मक अनुसंधान (क्यूआरओआर) में प्रौद्योगिकी निष्णात (एम. टेक) पाठ्यक्रम भी चलाए गए । इसके क्षेत्र का और विस्तार किया गया तथा संस्थान को संसद के एक अधिनियम, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान(संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 38) द्वारा न केवल सांख्यिकी बल्कि गणित, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान और सांख्यिकी से संबंधित अन्य विषयों में डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने के लिए सशक्त किया गया जिससे न केवल सांख्यिकी/गणित में बल्कि कंप्यूटर एवं संचार विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान, भौतिकी एवं पृथ्वी विज्ञान, जैविक विज्ञान, सांख्यिकीय गुणवत्ता

नियंत्रण एवं संक्रियात्मक अनुसंधान, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में बड़े पैमाने पर अनुसंधान कार्यकलाप को काफी बढ़ावा मिला । वर्षों से संस्थान प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं व्यावहारिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देकर सांख्यिकीय सिद्धान्त एवं विधि के विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहा है ।

- 6.3 संस्थान द्वारा वर्ष 1933 से प्रकाशित की जानेवाली "सांख्यिकी की भारतीय पित्रका- सांख्य" की गणना अभी भी संसार की एक अग्रणी सांख्यिकीय पित्रका के रूप में की जाती है। सांख्यिकीय सिद्धान्त के कई क्षेत्रों, विशेषकर बहुविध विश्लेषण, नमूना सर्वेक्षण एवं प्रयोग के डिजाइन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पुरोगामी अनुसंधान कार्य किए गए । उन्नीस सौ चालीस के दशक में संस्थान में कार्यग्रहण करने वाले प्रोफेसर सी आर राव एवं अन्य द्वारा ऐसे कार्यकलापों को और मजबूती प्रदान की गई तथा नई दिशाओं की खोज की गई और वह परंपरा अभी भी जारी है। अर्थशास्त्र में अनुसंधान को उस समय काफी बढ़ावा मिला जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1954 में प्रोफेसर महालनोबिस और संस्थान को देश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का दायित्व सौंपा । प्रोफेसर महालनोबिस के नेतृत्व में संस्थान द्वारा सौंपे गए योजना माँडल सिहत "प्रारूप" को अभी भी भारत की आर्थिक आयोजना में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।
- 6.4 कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में संस्थान की समृद्ध परंपरा रही है। वर्ष 1953 में संस्थान में एक छोटे एनालॉग कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया गया और उसका निर्माण किया गया । वर्ष 1956 में संस्थान ने यूनाइटेड किंगडम से एक एचईसी-2एम मशीन अर्जित किया जो भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर था । साठ के दशक के प्रारम्भ में संस्थान ने जादवपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से आईएसआईजेयू-1 नामक एक पूर्णतः ट्रांजिस्टरीकृत डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन बनाने, उसे विकसित करने एवं उसके निर्माण का कार्य हाथ में लिया जिसे वर्ष 1966 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री, भारत सरकार द्वारा चालू किया गया । पिछले छह दशकों से संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उच्च कोटि के अनुसंधान, प्रकाशन एवं विकास का कार्य किया और उनके अथक प्रयासों ने संस्थान को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अग्रभाग में ला खड़ा किया है।
- 6.5 भारत में सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण (एसक्यूसी) आंदोलन का आरंभ करने में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान ने नवंबर 1947 में एसक्यूसी के जनक प्रोफेसर डब्ल्यू.ए.

श्योहार्ट और बाद में डब्ल्यू.ई. डेमिंग, डॉ. एलिस आर. ओट, डॉ. एच.सी. टिप्पेट और जेनिशी तागुशी जैसे अन्य विशेषज्ञों के भारत दौरे का आयोजन कर अग्रणी भूमिका निभाई। फिर संस्थान के एसक्यूसी को बढ़ावा देने का कार्य धीरे-धीरे भारत के सभी औद्योगिक केन्द्रों तक शिक्षा और प्रशिक्षण, अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं परामर्शी सेवाओं जैसे व्यापक कार्यक्रम के अधीन फैल गया। संस्थान भारत की "गुणवत्ता परिषद्" का सदस्य भी बन गया।

शुरुआती दिनों से, संस्थान दुनिया भर से कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के साथ विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श कर रहा है। इनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने कई महीनों या उससे भी अधिक दिनों तक संस्थान में कार्य किया है। आध्निक सांख्यिकी के एक पथप्रदर्शक सर रोनाल्ड ए. फिशर एक नियमित अतिथि थे जिन्होंने संस्थान को काफी सहारा दिया। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आनुवंशिकीविद् प्रोफेसर जे.बी.एस. हाल्डेन सन् 1957 से कई वर्षों तक संकाय सदस्य रहे । प्रख्यात गणितज्ञ नोर्बर्ट वीनर ने दो बार, 1954 और फिर 1955-56 में संस्थान का दौरा किया। अन्य शैक्षणिक व्यक्तित्व जिन्होंने संस्थान के विकास को प्रभावित किया उनमें शामिल हैं - हेरोल्ड होटलिंग, फ्रैंक येट्स, हर्मन वॉल्ड, एडविन हार्पर (जूनियर) और एच क्रेमर जैसे सांख्यिकीविद; ए.एन. कोल्मोगोरोव, यू, वी. लिनिक, जे.एल. दूब और फिर वॉन एफ.आर.जोन्स जैसे गणितज्ञ; वाल्टर श्योहार्ट और जी तागुची जैसे सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञ; साइमन कुज्नेट, पॉल ए बारां, जॉन रॉबिन्सन, जेन टिंबर्जेन, निकोलस काल्डोर, आर.एम. गुडविन, डेविड और रूथ ग्लास एवं जे.के. गालब्रेथ तथा हाल के अमर्त्य के. सेन, रॉबर्ट औमान, लोर्त्फी ए. ज़ादेह, जोसेफ ई. स्टिग्लिज, जेम्स ए मिर्लीस, एरिक स्टार्क मस्किन, ईआई-इची नेगिशी, अदा योनाथ जैसे अर्थशास्त्री; पामेला रॉबिन्सन जैसे भूविज्ञानी; एन. डब्ल्यू पिरी जैसे जीव रसायनज्ञानी और डी. कॉस्टिक जैसे भाषाविद । हमेशा से संस्थान ने रोनाल्ड फिशर की इस उक्ति पर चलने का प्रयास किया है कि सांख्यिकी सभी वैज्ञानिक प्रयासों के प्रति अपनी अंतरंग प्रासंगिकता की दृष्टि से एक "प्रमुख प्रौद्योगिकी" है जिसमें प्रयोग, माप और नमूना से पूर्णयोग का निष्कर्ष शामिल है।

शिक्षण और प्रशिक्षण प्रभाग

6.7 शैक्षणिक सत्र 2019-2020 के दौरान कुल 15952 उम्मीदवारों ने दाखिले के लिए आवेदन किया और उन्हें संस्थान द्वारा चलाए जानेवाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए लिखित चयन परीक्षा हेत् ब्लाया गया यथा- सांख्यिकी स्नातक (प्रतिष्ठा); गणित स्नातक (प्रतिष्ठा); सांख्यिकी निष्णात; गणित निष्णात; मात्रात्मक अर्थशास्त्र में विज्ञान निष्णात (एम॰एस॰);गुणवत्ता प्रबंधन विज्ञान में विज्ञान निष्णात (एम॰एस॰);पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में विज्ञान निष्णात (एम एस); कंप्यूटर विज्ञान में प्रौद्योगिकी निष्णात;ग्णवत्ता, विश्वसनीयता एवं संक्रियात्मक अन्संधान में निष्णात; सांख्यिकीय विधि एवं वैश्लेषिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा;व्यवसाय वैश्लेषिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा सांख्यिकी, गणित,मात्रात्मक अर्थशास्त्र,कंप्यूटर विज्ञान;गुणवत्ता,विश्वसनीयता एवं संक्रियात्मक अनुसंधान,भौतिकी, कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान भूविज्ञान, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, भाषा विज्ञान समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान अनुसंधान शिक्षावृत्ति । 36 विभिन्न केन्द्रों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई । अंततः कुल 10425 उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए और कुल 1032 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तथा उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। समीक्षाधीन शैक्षणिक सत्र के दौरान लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अकादिमक रिकॉर्ड में प्रदर्शन के आधार पर 345 उम्मीदवारों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पेशकश की गई । व्यापार विश्लेषिकी में पोस्ट ग्रेज्एट डिप्लोमा (पीजीडीबीए) आईएसआई, आईआईटी खडगपुर और आईआईएम कलकता द्वारा संयुक्त रूप से पेश किए जाने वाले दो साल पूर्णकालिक डिप्लोमा कार्यक्रम है। पीजीडीबीए कार्यक्रम में सीटों की संख्या 63 है। 6225 उम्मीदवारों ने पीजीडीबीए प्रवेश 2019-20 के लिए आवेदन किया था। 6225 उम्मीदवारों में से 4086 उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 757 उम्मीदवारों को सूचीबद्ध किया गया था और कुल 62 छात्रों ने कार्यक्रम में दाखिला लिया था । शैक्षणिक सत्र 2018-2019 के दौरान सभी नियमित पाठ्यक्रमों के लिए वार्षिक परीक्षाएं मई 2019 में आयोजित की गईं। शैक्षणिक सत्र 2019-20 जुलाई, 2019 से शुरू किया गया । संस्थान का चौवनवाँ वार्षिक दीक्षांत समारोह जनवरी. 2020 को आयोजित किया जाएगा।

6.8 दिनांक 22 नवंबर, 2019 तक विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के 115 प्रशिक्षुओं ने संस्थान के विभिन्न संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन में संस्थान के विभिन्न यूनिटों, यथा एडवांसड कम्प्यूटिंग एंड माइक्रो इलैक्ट्रानिक्स यूनिट (एसीएमयू), एग्रीकल्चर एंड इमलाजिक्ल रिसर्च यूनिट (एईआरयू), एप्लाईड स्टैटिस्टिक्स यूनिट (एएसयू), कम्प्यूटर विजिन पैटर्न रिक्गनिशन यूनिट (सीवीपीआरयू), इलैक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन साइंस यूनिट (ईसीएसयू), ह्यूमन

जेनेटिक्स यूनिट (जीएसयू), मशीन इंटेलिजंस यूनिट (एचजीयू), साइकालाजी रिसर्च यूनिट (एमआईयू), स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेथिक्स यूनिट (पीएएमयू), साइकालाजी रिसर्च यूनिट (एसएमयू), स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स यूनिट और एसक्यूसी एवं ओआर यूनिट में चार सप्ताह/छह सप्ताह/दो महीने/तीन महीने/चार महीने और छह महीने का परियोजना प्रशिक्षण प्राप्त किया।

अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षा केन्द्र (आईएसईसी)

6.9 अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षा केन्द्र (आईएसईसी) की स्थापना सन् 1950 में प्रोफेसर पी. सी. महालनोबिस की पहल पर की गई। यह केंद्र अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय संस्थान और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) के बीच एक समझौते के माध्यम से कोलकाता में खोला गया। फिलहाल यह केंद्र भारत सरकार के तत्वावधान में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा चलाया जाता है। यह केंद्र मण्डल के अधीन कार्य करता है। 60 से अधिक वर्षों के इसके इतिहास में प्रो॰ पी॰ सी॰ महालनोबिस 1950 में इस केंद्र की स्थापना से लेकर 1972 में अपनी मृत्यु तक इसके निदेशक मंडल के अध्यक्ष रहे । इसके बाद, प्रोफेसर सी.आर. राव 2015 तक निदेशक मण्डल के अध्यक्ष रहे । फिलहाल प्रोफेसर एसः पीः मुखर्जी निदेशक मण्डल के अध्यक्ष हैं। इस केंद्र का उद्देश्य मध्य पूर्व, दिक्षण और दिक्षण-पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व एवं अफ्रीका के राष्ट्रमंडल देशों से चयनित प्रतिभागियों के लिए विभिन्न स्तरों पर सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्राथमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सांख्यिकी में 10 महीने का एक नियमित पाठ्यक्रम है जिसके परिणामस्वरूप सांख्यिकीय प्रशिक्षण डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग अवधि के विशेष पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आईएसईसी के नियमित पाठ्यक्रम (२०१७-२०१८) का 73वाँ सत्र १ अगस्त, २०१९ से प्रारंभ किया गया । इस वर्ष 09 विभिन्न देशों, अर्थात् अफगानिस्तान, भूटान, बुरुंडी, फिजी, मंगोलिया, नाइजर, सूडान, तंजानिया, उज्बेकिस्तान से 15 प्रशिक्ष्ओं ने भाग लिया। समस्त प्रशिक्ष्ओं को भारत सरकार के आईटीईसी / एससीएएपी कार्यक्रम के तहत फैलोशिप द्वारा प्रोत्साहन दिया गया जबिक तीन (3) प्रशिक्षुओं को श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के फैलोशिप द्वारा प्रोत्साहन दिया गया। उन्हें 30 मई, 2020 को दीक्षांत समारोह में सांख्यिकीय प्रशिक्षण डिप्लोमा द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अबतक लगभग ८४ देशों के 1682 से अधिक प्रशिक्षुओं को आईएसईसी से सांख्यिकीय प्रशिक्षण डिप्लोमा प्राप्त हुआ है।

अनुसंधान कार्य

- 6.10 संस्थान के अनुसंधान, विकास और परामर्श गतिविधियों को निम्नलिखित शैक्षणिक प्रभागों में वर्गीकृत किया गया :
 - सैद्धांतिक सांख्यिकी और गणित; अनुप्रयुक्त सांख्यिकी; कंप्यूटर और संचार विज्ञान; भौतिकी और पृथ्वी विज्ञान; जैविक विज्ञान; सामाजिक विज्ञान एवं सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण और संक्रियात्मक अनुसंधान ।
 - उपरोक्त के अतिरिक्त पुस्तकालय, प्रलेखन और सूचना विज्ञान प्रभाग तथा कंप्यूटर एवं सांख्यिकीय सेवा केंद्र, संस्थान को सेवाएँ प्रदान करते हैं।
 - इसके अलावा और दो केंद्र हैं यथा- सॉफ्ट कंप्यूटिंग अनुसंधान : एक राष्ट्रीय सुविधा तथा आर सी बोस सेंटर फॉर क्रिप्टोलोजी एंड सिक्यूरिटी । "सॉफ्ट कंप्यूटिंग अनुसंधान केंद्र: एक राष्ट्रीय दक्षता" संस्थान में सॉफ्ट कंप्यूटिंग और मशीन इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों के साथ कार्य कर रहा है। आर सी. बोस सेंटर फॉर क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी राष्ट्र को क्रिप्टोलॉजी और साइबर सुरक्षा में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए सुविधा प्रदान करता है।

बाह्य वित्तपोषित परियोजनाएं

6.11 सैद्धांतिक और प्रायोगिक योजना अनुसंधान के अलावा संस्थान ने विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों यथा सरकारी और गैर-सरकारी घरेलू और ओवरसीज़ दोनों की लगभग एक सौ उन्यासी विभिन्न बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं पर कार्य किया।

सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन, संगोष्ठी आदि का आयोजन

- 6.12 वर्ष के दौरान संस्थान ने भारत और विदेशों से प्रमुख शिक्षाविदों/वैज्ञानिकों की भागीदारी के साथ कई सेमिनार, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, गोष्ठियों का आयोजन किया। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:
 - "आर (बीए -07)" का उपयोग करते हुए, फाउंडेशन पाठ्यक्रम सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण और संक्रियात्मक अनुसंधान यूनिट, बैंगलोर, मई 08-10 और 24-26, 2019 का उपयोग करते हुए।

- "ए फॉर्मल एप्रोच टू इंटरवेंशन-बेस्ड डेटा एनालिसिस" पर सेमिनार, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी यूनिट, चेन्नई और बंगलौर द्वारा चेन्नई गणितीय संस्थान में 27 मई, 2019 को आयोजित किया गया।
- "कंप्यूटर विजन, ग्राफिक्स और इमेज प्रोसेसिंग" पर 6वीं ग्रीष्मकालीन स्कूल, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विज्ञान यूनिट, कोलकाता, 30 मई -12 जुलाई 2019।
- "क्रिप्टोलॉजी में ग्रीष्मकालीन इंटर्निशिप" पर कार्यशाला, क्रिप्टोलॉजी एवं सुरक्षा
 अनुसंधान यूनिट, कोलकाता, मई-जुलाई 2019।
- "सर्वेक्षण पद्धित और डेटा विश्लेषिकी (भारतीय सांख्यिकीय सेवा के 41 वें बैच के परिवीक्षाधीन -, एनएसएसटीए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार)" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिदर्श और आधिकारिक सांख्यिकी यूनिट, कोलकाता, 24 जून 16 अगस्त, 2019।
- मिनिटैब का उपयोग करते हुए "इन-प्लांट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड कैपेबिलिटी एनालिसिस" पर कार्यशाला, सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण और संक्रियात्मक अनुसंधान यूनिट, मुम्बई, जून-अगस्त, 2019 ।
- दिनांक 09-15 जुलाई के दौरान बीकेसी कॉलेज के सहयोग से सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण और संक्रियात्मक अनुसंधान यूनिट, कोलकाता द्वारा "डेटा विश्लेषिकी", पर कार्यशाला।
- "वार्षिक अनुसंधान" तृतीय संगोष्ठी, कृषि और पारिस्थितिक अनुसंधान यूनिट,
 गिरिडीह, 16 जुलाई, 2019।
- "साइकोलॉजिकल टूल कंस्ट्रक्शन एंड आर-सॉफ्टवेयर" पर संगोष्ठी, मनोविज्ञान अनुसंधान यूनिट, कोलकाता द्वारा इमहंस मेडिकल कॉलेज, कोझीकोड, केरल में 09-10 अगस्त, 2019 को आयोजित किया गया।
- "मशीन लर्निंग एवं बिग डेटा विश्लेषिकी : एप्लीकेशन टू रिमोट सेंसिंग" पर कार्यशाला, यंत्र आसूचना यूनिट, कोलकाता, द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक में 19-20 अगस्त, 2019 को आयोजित किया गया।
- "आर-सॉफ्टवेयर के साथ व्यवहार विज्ञान हेतु सांख्यिकीय तरीके" पर कार्यशाला, कृषि और पारिस्थितिक अनुसंधान यूनिट, कोलकाता असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट, असम में 19-20 सितंबर, 2019 को आयोजित किया गया।
- सममित की साध्य सुरक्षा प्रमुख क्रिप्टोग्राफिक योजनाएं, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी यूनिट, कोलकाता, 01 अक्टूबर, 2019।

- "8 वीं दिल्ली मैक्रोइकॉनॉमिक्स" पर कार्यशाला, अर्थशास्त्र और योजना यूनिट,
 दिल्ली, 17-18 अक्टूबर, 2019।
- "आर का उपयोग करते हुये व्यवसाय विश्लेषिकी" पर फाउंडेशन पाठ्यक्रम, सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण और संक्रियात्मक अनुसंधान यूनिट, हैदराबाद, 31 अक्टूबर-नवंबर 02 (चरण) और नवंबर 14-16, 2019 (चरण ।)।
- "जलवायु सूचना विज्ञान हेतु उन्नत मशीन लर्निंग तकनीक पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला ", सॉफ्ट कंप्यूटिंग अनुसंधान केंद्र, कोलकाता, 04-06 नवंबर, 2019।
- एस्ट्रो-स्कोप फॉर यंग स्टार्स : ए स्पेस ओडिसी" पर आउटरीच प्रोग्राम,
 पुस्तकालय यूनिट में भौतिकी एवं अनुप्रयुक्त गणित यूनिट, कोलकाता के सहयोग
 से, 11 नवंबर, 2019।
- मशीन वर्कशॉप और पैटर्न रिकॉग्निशन अनुप्रयोग पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला, कंप्यूटर विजन और प्रतिमान पहचान यूनिट, कोलकाता, 14-15 नवंबर, 2019।
- "19 वीं भारत जैव विविधता बैठक 2019" पर सम्मेलन, कृषि और पारिस्थितिक अनुसंधान यूनिट, कोलकाता, 19-21 नवंबर, 2019 ।
- "स्थानिक डेटा विश्लेषण हेतु मशीन लर्निंग एवं गणितीय आकृति विज्ञान " पर कार्यशाला, प्रणाली विज्ञान एवं सूचना विज्ञान यूनिट, बैंगलोर द्वारा डॉ. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर में 21-22 नवंबर, 2019 के दौरान आयोजित किया गया ।
- "आधिकारिक सांख्यिकी (अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, असम सरकार के अधिकारियों के लिए)" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 25-29 नवंबर, 2019।
- "सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट (जीबी-53)" पर प्रमाणन कार्यक्रम सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण और संक्रियात्मक अनुसंधान यूनिट, बैंगलोर में 02-07 दिसंबर, 2019 को आयोजित किया जाएगा।
- "एसपीएसएस, आर और जूलिया का उपयोग करके सांख्यिकीय डेटा विश्लेषण" पर उत्तर-पूर्व कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिदर्श एवं आधिकारिक सांख्यिकी यूनिट, कोलकाता 03-07 दिसंबर, 2019 को गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा।
- "वित्त में सांख्यिकीय पद्धतियों" पर चतुर्थ सम्मेलन और कार्यशाला, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी यूनिट, चेन्नई 16-18 दिसंबर, 2019 को चेन्नई गणितीय संस्थान में आयोजित की जाएगी।

- "वित्त में सांख्यिकीय पद्धतियों पर 5 वीं अनुसंधान कार्यशाला और सम्मेलन ", अनुप्रयुक्त सांख्यिकी यूनिट, बैंगलोर द्वारा 16-21 दिसंबर, 2019 को चेन्नई गणितीय संस्थान में आयोजित किया जाएगा।
- आर्थिक और आयोजना एकक द्वारा ''आर्थिक विकास और वृद्धि'' पर दिनांक 18-20 दिसंबर, 2019 के दौरान एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा ।

प्रकाशन

6.13 भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के एक आधिकारिक प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पत्रिका *सांख्य* की नींव प्रोफेसर पी. सी. महालनोबिस ने 1932 में डाली और उनके संपादकत्व में इसका प्रकाशन शुरू ह्आ। यह संभाव्यता, गणितीय सांख्यिकी और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में मूल शोध लेख के लिए समर्पित है। उपरोक्त क्षेत्रों में समीक्षा और वर्तमान अनुसंधान गतिविधियों पर चर्चा लेख भी इसमें प्रकाशित किए जाते हैं। सांख्य में प्रकाशन के लिए प्रस्तुत लेख की स्वीकृति के लिए एक कठोर समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया है। संभाव्यता, सैद्धांतिक सांख्यिकी और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी पर कई मौलिक लेख सांख्य में प्रकाशित किए गए हैं । यह पत्रिका दो अलग सिरीज में प्रकाशित होती है - सिरीज 'ए' और सिरीज 'बी' । प्रतिवर्ष फरवरी और अगस्त में प्रकाशित होनेवाले सिरीज 'ए' में संभाव्यता और सैद्धांतिक सांख्यिकी को शामिल किया जाता है, जबकि प्रतिवर्ष मई और नवंबर में प्रकाशित होने वाले सिरीज 'बी' में अन्प्रयुक्त अंतःविषयक सांख्यिकी को शामिल किया जाता है। 2010 के प्रारंभ से. संस्थान स्प्रिंगर के साथ संख्या के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को प्रिंट करने और विपणन करने के लिए दोनों प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक संस्करण में सहयोग कर रहा है। संपादकीय प्रणाली अब इलेक्ट्रॉनिक है, अर्थात, लेखों के लिए अंतिम संपादकीय निर्णय में लेखों को प्रस्तुत करने से लेकर संपादकीय प्रसंस्करण तक की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है। सांख्य के हर संस्करण के लेखों की नि:शुल्क पहुँच संचित वेबसाइट (sankhya.isical.ac.in) के माध्यम से उपलब्ध है।

वैज्ञानिक लेख और प्रकाशन

6.14 वर्ष के दौरान लगभग चार सौ सैंतालीस वैज्ञानिक लेख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए।

विदेश में वैज्ञानिक कार्य

6.15 संस्थान के उन्यासी (79) वैज्ञानिकों ने या तो आमंत्रण पर या सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए
विदेश स्थित कई देशों का दौरा किया। उनमें से अधिकांश ने वैज्ञानिक लेख प्रस्तुत
किए और उन सेमिनार और सम्मेलनों में व्याख्यान दिए। आईएसआई के संकाय सदस्यों
द्वारा जिन देशों का दौरा किया गया वे हैं – ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, चीन,
कोलंबिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, इटली,
आयरलैंड, इजरायल, जापान, कोरिया, मेडागास्कर, मोरक्को, नेपाल, न्यूजीलैंड, पेरिस, पेरु
, पोलैंड, पुर्तगाल, कतर, कोरिया गणराज्य, रोमानिया, रूस, स्कॉटलैंड, सिंगापुर, दक्षिण
कोरिया, स्लोवाकिया, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्पेन, श्रीलंका, ताइपे,
ताइवान, तुर्की, उरुग्वे, ब्रिटेन, अमेरिका, वियतनाम।

अतिथि वैज्ञानिक

6.16 ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, हांगकांग, ईरान, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पोलैंड, स्कॉटलैंड, सिंगापुर, स्लोवािकया, स्पेन, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएई, यूके, यूएसए, वियतनाम और भारत से दो सौ बीस वैज्ञानिकों ने विभिन्न कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए तथा सहयोगात्मक अनुसंधान, शिक्षण और संस्थान के अन्य वैज्ञानिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी संस्थान का दौरा किया।

आईएसआई वैज्ञानिकों का सम्मान

6.17 संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा बनाए रखे गए अनुसंधान के उच्च स्तर और वैज्ञानिक उत्कृष्टता की प्रशंसा और मान्यता के रूप में कई संकाय सदस्यों को ईलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स संस्थान (आईईईई), इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी (आईएनएसए), नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (एनएएसआई) आदि जैसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के संगठनों द्वारा पुरस्कार के रूप में प्रशंसा, फैलोशिप प्रदान की गई। कई संकाय सदस्यों ने अमेरिका और यूरोप के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अतिथि प्रोफेसर; अंतरराष्ट्रीय भारतीय सांख्यिकीय एसोसिएशन; इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद आदि में अतिथि वैज्ञानिक, मानद प्रोफेसर, अतिथि प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त, कई संकाय सदस्यों को

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थान / निकायों द्वारा उनकी कई समितियों / संपादकीय बोर्ड आदि में अध्यक्ष, सदस्य, मुख्य संपादक, संपादक के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया गया। उनमें से, संकाय सदस्यों द्वारा अर्जित सबसे उल्लेखनीय मान्यताओं का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

- डॉ. नीना गुप्ता को वर्ष 2019 में गणित विज्ञान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- डॉ. किरणमय दास को भारतीय विज्ञान अकादमी, बैंगलोर द्वारा सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में योगदान के लिए सामाजिक विकल्प और कल्याण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- डॉ. रितुपर्णा सेन को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय सांख्यिकीय एसोसिएशन द्वारा एप्लीकेशन श्रेणी में युवा सांख्यिकीय वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया एवं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स के परिषद सदस्य चुने गए।
- डॉ. अभिक घोष को पृथ्वी विज्ञान, गणित और भौतिकी के क्षेत्र में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, भारत (एनएएसआई) द्वारा युवा वैज्ञानिक प्लेटिनम जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- प्रो. आशीष घोष को इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स (आईईईई) द्वारा आईईईई -जीआरएसएस रीजनल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है एवं उन्हें द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया (एनएएसआई) का फेलो चुना गया है।
- प्रो. मधुरा स्वामीनाथन को विगत 25 वर्षो से खाद्य सुरक्षा, कृषि एवं ग्रामीण विकास के मुद्दों पर काम करने के लिए बान-की मून अवार्ड महिला सशक्तीकरण, एशिया इनिसिएटिव, न्यूयॉर्क द्वारा अगस्त 2019 में विश्व खाद्य पुरस्कार के सलाहकार परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है।
- प्रो. दिलीप साहा को जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर प्रोफेशनल एंड एकेडिमक स्टैंडिंग में परिषद सदस्य (2019-21) के रूप में चुना गया है।
- प्रो. आशीष घोष को इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स (आईईईई) जीआरएसएस रिमोट सेंसिंग सोसाइटी द्वारा रीजनल लीडर पुरस्कार सम्मानित किया गया एवं द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, भारत (एनएएसआई) का फेलो चुना गया है।

- प्रो. ऋतब्रत मुंशी को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का फेलो चुना गया है।
- डॉ. पार्थानिल रॉय को 2018-2021 की अविध के लिए स्टोचिस्टिक प्रक्रियाओं पर सम्मेलनों के लिए सदस्य समिति चुना गया है।
- प्रो. शिवा अथ्रेया को आईएमएस / बीपीएस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस फॉर प्रोबेबिलिटी 2020 में कार्यक्रम समिति का अध्यक्ष चुना गया है।
- प्रो. पिबत्र बानिक को सिंगापुर के नान यांग एकेडमी ऑफ साइंस के अनुसंधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।
- प्रो. कुमार शंकर राय को नान यंग एकेडमी ऑफ साइंस, सिंगापुर के अनुसंधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।
- प्रो. निखिल आर. पाल को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स संस्थान (आईईईई) कम्प्यूटेशनल इंटेलिजेंस सोसाइटी के अध्यक्ष (2018-2019) और साइबरनेटिक्स, आईईईई पर आईईईई ट्रैंज़ैक्शन के एसोसिएट संपादक चुने गए हैं।
- प्रो. सुष्मिता मित्रा को इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स (आईईईई) सीआईएस विशिष्ट व्याख्याता चुना गया है।
- डॉ. देवदुलाल दत्ता रॉय को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआरटी), नई दिल्ली द्वारा मनोवैज्ञानिक परीक्षण के मूल्यांकन में संसाधन व्यक्ति के रूप में चुना गया है।
- डॉ. नीलाद्रि शेखर दास को यूएसए भाषा डिजिटलीकरण और प्रलेखन द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का परियोजना प्रस्ताव समीक्षक नियुक्त किया गया है एवं उन्हें द्विभाषी वाक्यरोध संबंधी भाषा डेटा विश्लेषण हेतु सेंटर फॉर लिटरेसी एंड मल्टीलिंगुलिज्म (सीईएलएम) के अतिथि अनुसंधान फेलो, रीडिंग विश्वविद्यालय, यूके, के रूप में चुना गया।
- डॉ. आशीष कुमार चक्रवर्ती को ऑपसर्च (ओपीएसईएआरसीएच), दिसंबर 2019 के संस्करण हेतु अतिथि संपादक के रूप में आमंत्रित किया गया है।

अध्याय – VII

आधारी संरचना तथा परियोजना निगरानी

7.1 आधारी संरचना तथा परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) संबंधित मंत्रालय/विभाग तथा उनके केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा 16 आधारी संचरना क्षेत्रों में ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति की निगरानी करता है । विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं का सफल क्रियान्वयन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त है । नियमित निगरानी के न्यायसंगत तालमेल वाला कारगर समन्वय एक महत्वपूर्ण तत्व है जिससे अधिक तीव्रता और कमतर लागत के साथ परियोजनाओं को अधिक दक्षता से सफलतापूर्वक पूरा किया जाना सुनिश्चित होता है ।

परियोजना निगरानी के उद्देश्य

- परियोजना कार्यान्वयन की कारगरता को बढाना:
- प्रभावी-निर्णय लेने के लिए सूचना प्राप्त करने को सुसाध्य बनाना;
- कार्यान्वयन संबंधी बकाया मुद्दों का समाधान करना;
- प्रणाली में सुधार लाना; और
- श्रेष्ठ प्रबंधन पद्धतियों का विकास करना

निगरानी की प्रणाली:

- 7.2 आईपीएमडी **ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली** (**ओसीएमएस**) के तंत्र के माध्यम से ₹150 करोड़ से अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
 - ओसीएमएस सरकार-से-सरकार (जी2जी) ओरेकल आधारित फ्रंट एंड डी2के युक्त अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है;
 - यह परियोजना संबंधी रिपोर्टों तथा पूछताछ परिणामों को देखने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग तथा सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को संपर्क स्विधा उपलब्ध कराता है;

- यह विभिन्न परियोजना निष्पादन एजेंसियों को आवधिक आधार पर वेब-आधारित इंटरफेस के माध्यम से परियोजना के प्रगति संबंधी आंकड़ों को दर्ज करने तथा उन पर नजर रखने में सक्षम बनाता है;
- आंकड़ा प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया को तीन-स्तरीय सत्यापन तथा अनुमित से गुजरना होता है;
- ओसीएमएस में असंख्य लक्ष्य सृजित किए जा सकते हैं तथा उनका रख-रखाव किया जा सकता है;
- परियोजना एजेंसियां कुछ पूर्व-ढांचागत कारणों से विलंबों के कारणों का पता लगा सकती हैं अथवा/इसके अलावा परियोजना एजेंसियां विलंब के नए कारणों अथवा अपने अनुभव को भेज सकती हैं;
- तब किसी अवधि के लिए प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है
 तथा उनके द्वारा सभी चल रही केन्द्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की
 नवीनतम स्थिति का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराते हुए उन्हें प्रकाशित किया
 जाता है;
- िकसी भी प्रकार के फाइल (चित्र, मैप, एक्सल शीटों, पीडीएफ, पीईआरटी/सीपीएम चार्ट आदि) को ओसीएमएस पर अपलोड िकया जा सकता है;
- इसके तहत समझौता ज्ञापन लक्ष्यों/मानदंडों की निगरानी भी की जाती है;
- यह प्रशासनिक मंत्रालय तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच संचार माध्यम भी उपलब्ध कराता है;
- अधिकतर मंत्रालयों जैसे विद्युत, कोयला, दूरसंचार और पेट्रोलियम आदि ने ओसीएमएस को अपनाया है;
- वास्तविक निष्पादन को लक्ष्यों के संदर्भ में आंका जाता है; और
- आईपीएमडी के निरंतर आग्रह से सूचना देने में सुधार हुआ है तथा अब अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ऑनलाइन सूचना दे रहे हैं । तथापि, लक्ष्यों से संबंधित आंकड़े तथा समय व लागतवृद्धि के कारण अभी भी पूर्ण विस्तार के साथ सूचित नहीं किए जा रहे हैं ।
- 7.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार आईपीएमडी ओसीएमएस में सुधार करता रहा है और ओसीएमएस प्रशिक्षण तथा विचार-विमर्शों के दौरान स्पष्टीकरणों के

माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करता रहा है। अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऑनलाइन सूचना भेजने के लिए प्रोत्साहित करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।


7.4 परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में सहायक

आईपीएमडी का एक महत्वपूर्ण योगदान समय-समय पर परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए क्रमबद्ध सुधार लाना रहा है।

आईपीएमडी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा बैठकों में समय-सारणी से पीछे चल रही अथवा लागतवृद्धि का सामना कर रही परियोजनाओं को रेखांकित/प्रदर्शित करने में सहायक/कार्यसाधक रहा है। यह प्रत्येक परियोजना की बाधाओं को पहचानने में प्रशासनिक मंत्रालयों को सक्षम बनाता है तथा इन बाधाओं को हटाने के लिए उपचारात्मक उपाय भी करता है।

7.5 वर्ष 2019-20 के दौरान परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति

दिनांक 1 अक्तूबर, 2019 तक की स्थिति के अनुसार, ₹23,41,784.84 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 1635 परियोजनाएं मंत्रालय की निगरानी पर थीं । निगरानी के प्रयोजनार्थ, परियोजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात् (i) मेगा परियोजनाएं जिनमें प्रत्येक की लागत ₹1000 करोड़ और उससे अधिक है तथा (ii) ₹150 करोड़ और उससे अधिक लागत वाली किन्तु ₹1000 करोड़ से कम लागत वाली बड़ी परियोजनाएं । केन्द्रीय क्षेत्र की चल रही 1635 परियोजनाओं का क्षेत्र-वार ब्यौरा निकटवर्ती पाई—चार्ट में दिया गया है:-



दिनांक 01 अक्तूबर 2019 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे तालिका 7.1 में दिया गया है।

परियोजनाओं की आवृत्ति (01 अक्तूबर 2019 की स्थिति के अनुसार) तालिका 7.1

| क्र. | क्षेत्र का नाम | मेगा परि- | मेगा परि- मूल लागत अनुमानित बड़ी | | बड़ी | मूल लागत | अनुमानित |
|------|----------------|-----------|----------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| सं. | | योजनाओं | (₹ करोड़ में) | | | (₹ करोड़ में) | लागत |
| | | की संख्या | | (₹ करोड़ में) | की संख्या | | (₹ करोड़ में) |
| 1. | परमाणु ऊर्जा | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 67120.00 | 80348.00 |
| 2. | नागर विमानन | 11 | 4757.51 | 4884.44 | 2 | 3850.00 | 3850.00 |
| 3. | कोयला | 91 | 38980.85 | 38260.09 | 16 | 66016.48 | 69715.09 |

| | कुल | 1,180 | 482,416.80 | 497,284.86 | 455 | 1,465,045.87 | 1,844,499.98 |
|-----|--------------------------------|-------|------------|------------|-----|--------------|--------------|
| 17 | जल संसाधन | 1 | 233.57 | 233.57 | 1 | 10151.04 | 55548.87 |
| 16. | शहरी विकास | 47 | 13795.84 | 14163.18 | 16 | 172867.22 | 179131.70 |
| 15. | दूरसंचार | 2 | 650.06 | 658.36 | 2 | 15445.17 | 26675.17 |
| 14. | इस्पात | 3 | 846.89 | 846.89 | 6 | 25381.34 | 32638.34 |
| 13. | पोत परिवहन एवं पत्तन | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4200.00 | 5369.18 |
| 12. | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग | 707 | 290492.65 | 293389.47 | 149 | 219449.56 | 237782.08 |
| 11. | रेलवे | 159 | 68428.38 | 79413.47 | 156 | 392689.00 | 584806.59 |
| 10. | विद्युत | 33 | 13260.97 | 13693.72 | 43 | 272525.71 | 345979.95 |
| 9. | पेट्रोलियम | 94 | 39033.73 | 39676.38 | 56 | 206905.35 | 214210.01 |
| 8. | खान | 4 | 1538.62 | 1538.62 | 1 | 5540.00 | 5540.00 |
| 7. | सूचना और प्रसारण | 3 | 969.43 | 969.43 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | भारी उद्योग 0 | | 0.00 | 0.00 | 1 | 1554.00 | 1554.00 |
| 5. | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 20 | 8129.23 | 8246.52 | 1 | 1351.00 | 1351.00 |
| 4. | उर्वरक | 5 | 1299.07 | 1310.72 | 0 | 0.00 | 0.00 |

 दिनांक 1 अक्तूबर, 2019 तक की स्थिति के अनुसार, ₹23,41,784.84 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 1635 परियोजनाएं मंत्रालय की निगरानी पर थीं । निगरानी के प्रयोजनार्थ, इन परियोजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

| | श्रेणी | परियोजनाओं की | अनुमानित लागत |
|-------------|--|---------------|---------------|
| क्र. सं. | | संख्या | (₹करोड़ में) |
| 1 | मेगा (₹1000 करोड़ और उससे अधिक) | 455 | 18,44,499.98 |
| 2 | बड़ी परियोजनाएं (₹150 करोड़ से ₹1000 करोड़ तक) | 1180 | 4,97,284.86 |
| | | 1635 | 23,41,784.84 |

7.6 परियोजनाओं की क्षेत्रीय तथा भू-भौतिकीय आधार पर निगरानी की जाती हैं । निगरानी की गई परियोजनाओं के मुख्य वित्तीय मानदंडों को तालिका 7.2 में दर्शाया गया है:

राज्यों के बीच केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश परिदृश्य तालिका-7.2

| | ₹150 करोड़ और उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्रीय परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति | | | | | | | | |
|------|---|------------|-------------|---------------|------------|--|--|--|--|
| | (सभी लागत/व्यय ₹करोड़ में) | | | | | | | | |
| क्र. | राज्य का नाम | परियोजनाओं | मूल लागत | अनुमानित लागत | संचयी व्यय | | | | |
| सं. | | की सं. | | | | | | | |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप | 9 | 2,786.01 | 2,893.59 | 445.12 | | | | |
| | समूह | | | | | | | | |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 74 | 1,19,083.46 | 1,68,703.11 | 47,161.36 | | | | |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 40 | 21,795.08 | 40,754.39 | 21,939.38 | | | | |
| 4 | असम | 48 | 26,216.03 | 31,003.54 | 14,762.42 | | | | |
| 5 | बिहार | 94 | 90,608.62 | 1,27,798.63 | 62,907.83 | | | | |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 34 | 73,625.10 | 85,279.62 | 43,653.26 | | | | |
| 7 | दादर और नगर हवेली | 1 | 6,086.08 | 5,842.31 | 4,784.88 | | | | |
| 8 | दिल्ली | 25 | 55,985.34 | 63,868.57 | 41,784.89 | | | | |
| 9 | गोवा | 10 | 5,325.87 | 5,336.30 | 1,812.94 | | | | |
| 10 | गुजरात | 56 | 64,665.47 | 71,921.79 | 47,175.99 | | | | |
| 11 | हरियाणा | 40 | 30,880.96 | 33,054.71 | 15,054.41 | | | | |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 13 | 18,053.17 | 28,163.70 | 12,407.23 | | | | |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 13 | 20,822.23 | 46,498.48 | 34,430.06 | | | | |
| 14 | झारखंड | 47 | 62,036.07 | 67,344.06 | 26,929.59 | | | | |
| 15 | कर्नाटक | 63 | 73,084.28 | 76,598.88 | 20,826.44 | | | | |
| 16 | केरल | 20 | 36,309.60 | 39,755.52 | 14,186.92 | | | | |
| 17 | मध्य प्रदेश | 78 | 86,555.71 | 93,301.25 | 43,303.29 | | | | |

| 18 | महाराष्ट्र | 258 | 2,36,169.1 | 2,46,235.56 | 98,553.38 |
|----|--------------|-------|--------------|--------------|-------------|
| 19 | मणिपुर | 5 | 6,002.36 | 14,012.39 | 9,404.35 |
| 20 | मेघालय | 6 | 2,760.77 | 7,854.31 | 1,217.04 |
| 21 | मिजोरम | 13 | 7,757.62 | 11,189.69 | 4,763.58 |
| 22 | बहु राज्य | 130 | 3,17,331.17 | 4,24,714.5 | 1,39,175.98 |
| 23 | नगार्लेंड | 26 | 14,842.43 | 17,115.91 | 1,908.33 |
| 24 | ओडिशा | 92 | 1,06,784.06 | 1,09,220.71 | 44,064.56 |
| 25 | पंजाब | 27 | 13,539.35 | 15,038.78 | 9,195.74 |
| 26 | राजस्थान | 63 | 47,345.31 | 54,833.78 | 34,475.01 |
| 27 | सिक्किम | 9 | 3,476.73 | 6,368.17 | 1,122.03 |
| 28 | तमिलनाडु | 65 | 1,16,109.47 | 1,34,527.19 | 65,660.60 |
| 29 | तेलंगाना | 56 | 39,959.69 | 42,435.36 | 13,611.66 |
| 30 | त्रिपुरा | 7 | 1,977.29 | 2,139.55 | 1,099.34 |
| 31 | उत्तर प्रदेश | 118 | 1,44,722.96 | 1,49,516 | 66,300.70 |
| 32 | उत्तराखंड | 31 | 35,661.33 | 44,552.75 | 15,105.34 |
| 33 | पश्चिम बंगाल | 64 | 59,103.95 | 73,911.74 | 37,390.29 |
| | कुल | 1,635 | 19,47,462.67 | 23,41,784.84 | 9,96,613.94 |

वर्ष 2019-20 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएं

- 7.7 वर्ष 2019-20 (1 अक्तूबर 2019 तक) के दौरान 153 परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना दी गई । पूरी की गई परियोजनाओं की सूची अनुबंध-v में दी गई है ।
- 7.8 ओसीएमएस संबंधी (पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की समयवृद्धि का क्षेत्र-वार विश्लेषण तालिका 7.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.3

मुल अनुसूची के संदर्भ में परियोजनाओं में समयवृद्धि की सीमा ₹150 करोड़ तथा इससे अधिक लागत वाली (सभी लागत/व्यय ₹करोड में) समयवृद्धि वाली परियोजनाएं क्र. सं. क्षेत्र परियोजनाओं अनुमानित सं. अनुमानित समयवृद्धि मूल लागत लागत मूल लागत की संख्या की सीमा वृद्धि लागत लागत (महीनों में) (%) परमाणु ऊर्जा 1 67,120.00 80,348.00 19.71 4 67,120.00 80,348.00 36 -133 नागर विमानन 2 8,607.51 8,734.44 5 3,573.83 3,700.62 6 -13 1.47 21 कोयला 3 107 1,04,997.33 1,07,975.18 2.84 37 18,538.74 20,501.47 12 -144 उर्वरक 4 5 1,299.07 1,310.72 0.90 1 197.79 209.44 34 -34 5 सूचना और 3 969.43 969.43 0.00 1 204.32 204.32 9 -9 प्रसारण 7,078.62 6 खान 5 7,078.62 0.00 0 0.00 0.00 7 इस्पात 9 26,228.23 33,485.23 27.67 8 25,964.87 33,221.87 12 -62 पेट्रोलियम 8 2,45,939.08 52 150 2,53,886.39 3.23 1,13,827.55 1,18,174.58 110 9 विद्युत 76 2,85,786.68 49 2,34,057.76 3,59,673.67 25.85 1,75,240.00 5 -147 10 भारी उद्योग 1,554.00 1,554.00 0.00 0 0.00 1 0.00 11 स्वास्थ्य एवं 21 9.480.23 9.597.52 1.24 4,400.02 4,499.80 2 -10 83 परिवार कल्याण रेलवे 12 315 4,61,117.38 6,64,220.06 44.05 146 1,80,706.42 2,65,634.96 324 सडक परिवहन 13 856 5,09,942.21 5,31,171.55 4.16 225 1,39,959.97 1,47,056.07 1 - 149 एवं राजमार्ग पोत परिवहन 14 1 4.200.00 5.369.18 27.84 0 0.00 0.00 एवं पत्तन दूरसंचार 15 4 16,095.23 27,333.53 69.82 2 13,565.80 24,904.10 14 -58 16 शहरी विकास 63 1,86,663.06 1,93,294.88 3.55 24 92,109.92 93,661.70 2 -89 जल संसाधन 2 17 10,384.61 55,782.44 437.16 1 10,151.04 55,548.87 15 -15

565

8,45,560.27

10,81,723.56

20.25

19,47,462.67 23,41,784.84

1635

कुल

7.9 समयवृद्धि के कारण

(1) केन्द्रीय मंत्रालयों संबंधी मुद्दे

- (i) पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव स्वीकृतियां;
- (ii) परिसंवेदनशील जोन स्वीकृतियां;
- (iii) वृक्ष कटाई अनुमतियां;
- (iv) कार्य करने संबंधी अनुमति प्रदान करना;
- (v) निजी रेलवे साइडिंग निर्माण संबंधी अनुमोदन;
- (vi) औद्योगिक लाइसेंस अन्मति;
- (vii) पाइप लाइनों/ट्रांसिमशन लाइनों द्वारा सड़क पार करना;
- (viii) रास्ते के अधिकार संबंधी अनुमति;
- (ix) जनोपयोगी स्विधाओं का स्थानांतरण ।

(2) राज्य सरकारों संबंधी मुद्दे

- (i) भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दे;
- (ii) अतिक्रमणों को हटाना;
- (iii) राहत एवं पुनर्वास योजना;
- (iv) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनापति प्रमाण-पत्र;
- (v) विद्युत एवं जलापूर्ति;
- (vi) प्रतिष्ठान की स्थापना तथा संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति;
- (vii) सरकारी भूमि का हस्तांतरण;
- (viii) कानून और व्यवस्था संबंधी मुद्दे;
- (ix) रास्ते के अधिकार संबंधी अनुमति;
- (x) अतिक्रमण हटाना;
- (xi) वन भूमि का परिवर्तन ।

7.10 ओसीएमएस संबंधी (पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की लागतवृद्धि का क्षेत्र-वार विश्लेषण तालिका 7.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.4

| मूल अनुसूची के संदर्भ में परियोजनाओं में लागतवृद्धि की सीमा | ₹150 करोड़ रूपए और इससे अधिक लागत वाली |
|---|--|
| | (सभी लागत/व्यय ₹ करोड़ में) |

| | | | | | | · , | | | |
|----------|--------------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------|-----|--------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | | लागतवृद्धि व | ाली परियोजनाएँ | <u> </u> |
| क्र. सं. | क्षेत्र | परियोजनाओं की सं. | मूल लागत | अनुमानित लागत | लागत वृद्धि (%) | सं. | मूल लागत | अनुमानित लागत | लागत वृद्धि (%) |
| 1. | परमाणु ऊर्जा | 4 | 67,120.00 | 80,348.00 | 19.71 | 3 | 27,271.00 | 40,499.00 | 48.51 |
| 2. | नागर विमानन | 13 | 8,607.51 | 8,734.44 | 1.47 | 3 | 1,513.40 | 1,640.33 | 8.39 |
| 3. | कोयला | 107 | 1,04,997.33 | 1,07,975.18 | 2.84 | 12 | 28,387.67 | 33,223.79 | 17.04 |
| 4. | उर्वरक | 5 | 1,299.07 | 1,310.72 | 0.90 | 1 | 197.79 | 209.44 | 5.89 |
| 5. | सूचना और प्रसारण | 3 | 969.43 | 969.43 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | खान | 5 | 7,078.62 | 7,078.62 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | इस्पात | 9 | 26,228.23 | 33,485.23 | 27.67 | 1 | 15,525.00 | 23,140.00 | 49.05 |
| 8. | पेट्रोलियम | 150 | 2,45,939.08 | 2,53,886.39 | 3.23 | 27 | 43,862.64 | 54,016.41 | 23.15 |
| 9. | विद्युत | 76 | 2,85,786.68 | 3,59,673.67 | 25.85 | 30 | 1,54,828.95 | 2,29,232.99 | 48.06 |
| 10. | भारी उद्योग | 1 | 1,554.00 | 1,554.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 21 | 9,480.23 | 9,597.52 | 1.24 | 3 | 1,076.25 | 1,193.54 | 10.90 |
| 12. | रेलवे | 315 | 4,61,117.38 | 6,64,220.06 | 44.05 | 187 | 1,78,466.58 | 3,92,821.78 | 120.11 |
| 13. | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग | 856 | 5,09,942.21 | 5,31,171.55 | 4.16 | 92 | 63,969.35 | 89,108.69 | 39.30 |
| 14. | पोत परिवहन एवं पत्तन | 1 | 4,200.00 | 5,369.18 | 27.84 | 1 | 4,200.00 | 5,369.18 | 27.84 |
| 15. | दूरसंचार | 4 | 16,095.23 | 27,333.53 | 69.82 | 2 | 13,565.80 | 24,904.10 | 83.58 |
| 16. | शहरी विकास | 63 | 1,86,663.06 | 1,93,294.88 | 3.55 | 14 | 29,058.09 | 35,689.91 | 22.82 |
| 17. | जल संसाधन | 2 | 10,384.61 | 55,782.44 | 437.16 | 1 | 10,151.04 | 55,548.87 | 447.22 |
| | कुल योग | 1635 | 19,47,462.67 | 23,41,784.84 | 20.25 | 377 | 5,72,073.56 | 9,86,598.03 | 72.46 |

7.11 लागत वृद्धि के कारण

- (1) नीति संबंधी मुद्दे
 - (i) विदेशी विनिमय की दरों में बदलाव
 - (ii) सांविधिक श्लक/कर
 - (iii) सामान्य मूल्यवृद्धि/मुद्रास्फीति
- (2) अन्यः
 - (i) पर्यावरण संबंधी सुरक्षोपायों एवं पुनर्वास उपायों की अधिक लागत
 - (ii) परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव
 - (iii) स्थितियों में व्यवधान
 - (iv) मूल लागत का कम आकलन करना
 - (v) भूमि अधिग्रहण की लागत में उत्तरोत्तर वृद्धि
 - (vi) विक्रेताओं द्वारा उपस्कर संबंधी सेवाओं का एकाधिकारी मूल्य निर्धारण ।

परियोजनाओं में समय और लागतवृद्धि—रूझान विश्लेषण

7.12 पिछले 5 वर्षों की वास्तविक समय सारणी की तुलना में समयवृद्धि का विश्लेषण नीचे दिए हुए ग्राफ में देखा जा सकता है:



7.13 पिछले 5 वर्षों में मुख्य रूप से अनुमोदित लागत के संबंध में लागतवृद्धि का विश्लेषण नीचे दिए हुए ग्राफ में देखा जा सकता है:



उपचारात्मक उपाय/व्यवस्थागत सुधार

7.14 आधारी संरचना परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) द्वारा समय-समय पर परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब को कम करने के लिए व्यवस्थागत सुधार लाए गए, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (i) ₹150 करोड़ और उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के समय तथा लागत वृद्धि की नियमित निगरानी;
- (ii) त्रैमासिक आधार पर परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा;
- (iii) समय और लागत वृद्धि के लिए जवाबदेही का निर्धारण करने हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों में सरकार द्वारा अपर सचिव की अध्यक्षता में स्थाई समिति का गठन करना;
- (iv) परियोजनाओं का सख्ती से मूल्यांकन;
- (v) कम्प्यूटर नेटवर्क पर आधारित निगरानी को अपनाना; और
- (vi) सीपीएसयू के परियोजना प्रबंधन तथा इसके परियोजना प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर देना ।

(vii) प्रमुख परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन को सरल बनाने तथा रुकावटों को हटाने के लिए मुख्य सचिवों के अधीन राज्यों में केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समितियों (सीएसपीसीसी) का गठन करना ।

वर्ष के दौरान की गई पहलें

- 7.15.1 केंद्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समिति (सीएसपीसीसी): मंत्रालय राज्य सरकारों को उनके राज्यों में सीपीएसयू द्वारा सामना किए जा रहे परियोजना संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समिति (सीएसपीसीसी) गठित करने की सलाह दे चुका है । अब तक सताईस राज्य इस प्रकार की सीएसपीसीसी का गठन कर चुके हैं । सीएसपीसीसी तंत्र राज्य सरकारों से संबंधित भूमि अधिग्रहण, जन उपयोगी सुविधाओं के स्थानान्तरण और पुनर्स्थापन तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं जैसे मुद्दों को सुलझाने में बहुत प्रभावी रहा है ।
- 7.15.2 मंत्रालयों के सामने मामले उठाना/क्षेत्रों की समीक्षा: प्रधानमंत्री कार्यालय और व्यय विभाग में ओसीएमएस पोर्टल पर परियोजनाओं को अद्यतन और अपलोड करने से संबंधित बैठकें आयोजित की गई थी । संबंधित मंत्रालय/विभाग को बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में सूचित कर दिया गया है । वर्ष के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति और विलंबित परियोजनाओं से संबंधित मुख्य-मुख्य बातें रेल मंत्रालय तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाई गई थी ।
- 7.15.3 समझौता जापन/समीक्षा/ईबीआर बैठकों में सिक्रिय सहभागिता: आईपीएमडी सीपीएसई के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित एमओयू वार्ता-बैठकों में समय व लागत वृद्धि एवं परियोजना प्रबंधकों की क्षमता विकास के मुद्दों को सिक्रय रूप से उठाता रहा है । केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए लोग उद्यम विभाग द्वारा कार्यबल संचालित किए गए।
- 7.15.4 <u>परियोजना प्रबंधन पहलुओं को समर्थन</u>:- आईपीएमडी ने वर्ष के दौरान नई दिल्ली में परियोजना और कार्यक्रम प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (12पी2एम) द्वारा आयोजित **परियोजना सृजन -वर्तमान से भविष्य तक की संभवनाओं को संरेखन'** को भी समर्थन किया था।

- 7.15.5 <u>ओसीएमएस की पुनः डिजाइनिंग और पुनर्विकासः</u> मंत्रालय ओसीएमएस की पुनः डिजाइनिंग और पुनर्विकास कर रहा है। मंत्रालय के एनआईआईपी पोर्टल के माध्यम से ओसीएमएस सॉफ्टवेयर को नया रूप दिया जा रहा है।
- 7.15.6 <u>अवसंरचना कार्य निष्पादन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करनाः</u> मंत्रालय बेहतर निगरानी के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया की सहायता से अवसंरचना कार्य निष्पादन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने की प्रक्रिया में है।
- 7.15.7 <u>आईपीएमडी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अध्ययनः</u>-पीएमआई-केपीएमजी ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सहायता से "रिवेम्पिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसिज" पर एक अध्ययन का संचालन किया है और दिनांक 29 जून 2019 को रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है।

आधारी संरचना निगरानी

7.16 देश में महत्वपूर्ण आधारी संरचना क्षेत्रों की निगरानी प्रणाली निर्णय लेने वाले प्राधिकारियों के समक्ष निष्पादन की झलक एवं उपलब्धियों के संदर्भ में किसी प्रकार की कमी, यदि कोई हो, को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की गई है । यह मंत्रालय आधारी संरचना के ग्यारह प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् विद्युत, कोयला, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, सड़क, रेलवे, पत्तन, नागर विमानन और दूरसंचार के निष्पादन की निगरानी करता है । इन क्षेत्रों के निष्पादन का विश्लेषण किसी माह विशेष तथा किसी संचयी अवधि के लिए पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों एवं पिछले वर्ष के तदनुरूपी माह और संचयी अवधि के दौरान की उपलब्धियों के संदर्भ में किया जाता है ।

7.17 आधारी संरचना निष्पादन की रिपोर्ट आधारी संरचना क्षेत्र के कार्य-निष्पादन संबंधी पुनरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती है।

आधारी संरचना क्षेत्र का समग्र कार्य-निष्पादन


7.18 पिछले तीन वर्षी और 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान आधारी संरचना क्षेत्र के उत्पादन कार्य के निष्पादन का ब्यौरा अनुबंध-IV में दिया गया है।

वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान आधारी संरचना निष्पादन

7.19 वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान समग्र आधारी संरचना निष्पादन में वृद्धि के सकारात्मक रुझान सामने आए हैं। कोयला, कच्चा तेल, रिफाइनरी, प्राकृतिक गैस तथा रेलवे द्वारा ढुलाई किए जाने वाले माल यातायात, मुख्य पतनों में उपयोग किए जाने वाले कोयला, हवाई अड्डों पर निर्यात और आयात कार्गों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में ढोया गया यात्रियों की आवाजाही को छोड़कर सभी क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के निष्पादन के मुकाबले सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, अप्रैल-सितंबर, 2019 की अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में विद्युत उत्पादन, राज्य पीडबल्यूडी और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को छोड़कर अधिकतर क्षेत्र इस अवधि में उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों से पीछे रहे हैं। पिछले तीन वर्षों तथा वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान समग्र आधारी संरचना निष्पादन में बढ़ोतरी संबंधी रुझान अनुबंध-IV पर दिए गए हैं। क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है।


विद्युत

7.20 विगत पांच वर्षों के दौरान समग्र विद्युत उत्पादन परिदृश्य में लगातार वृद्धि दिखाई दी है, जैसा कि निकटवर्ती ग्राफ में दर्शाया गया है । वर्ष 2018-2019 अप्रैल-मार्च के दौरान विद्युत उत्पादन



में 1376.10 बिलियन यूनिट (बी.यू.) की वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष 2017-18 के विद्युत उत्पादन की तुलना में 5.19% अधिक है । 5.19% की यह वृद्धि गत वर्ष (2017-18) की तदनुरूपी अविध के दौरान प्राप्त 5.35% की वृद्धि की तुलना में कम थी । वर्ष 2018-19 के दौरान तापीय विद्युत स्टेशनों (टीपीएस) का अखिल भारतीय संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) 61.07% था, जो वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त 59.91% पीएलएफ की तुलना में अधिक रहा ।


7.21 वर्ष 2018-19 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान देश में विद्युत उत्पादन 737.20 बी.यू. था जो इस अवधि के लिए निर्धारित 680.31 बी.यू. के लक्ष्य से 8.35% अधिक था तथा इसमें विगत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन की तुलना में 3.96% की वृद्धि दर्ज हुई है। निकटवर्ती चार्ट लक्ष्य की तुलना में



विद्युत उत्पादन की स्थिति एवं पिछले वर्ष की उपलब्धि को दर्शाता है। तापीय विद्युत उत्पादन 534.86 बी.यू. रहा और इसमें 0.99% की वृद्धि दर्ज हुई, लेकिन यह उक्त अविध के लिए निर्धारित लक्ष्य 567.67 बी.यू. से 5.78% कम था। पीएलएफ 57.87% पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान प्राप्त 59.55% के पीएलएफ से कम था। जहां तक क्षेत्र-वार तापीय विद्युत उत्पादन का संबंध है, निजी क्षेत्र में उत्पादन अविध के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 0.40% अधिक था लेकिन राज्य और केंद्रीय क्षेत्र में उत्पादन कमशः 12.61% और 5.50% कम था। 95.99 बीयू पर जल विद्युत उत्पादन अविध के लिए निर्धारित लक्ष्यों से तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान उत्पादन क्रमशः 9.84% तथा 15.13% से अधिक रहा। परमाणु विद्युत उत्पादन 24.03 बी.यू. था जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान उत्पादन क्रमशः 11.44% तथा 26.44% से अधिक था।


कोयला

7.22 वर्ष 2018-19 के दौरान कोयला उत्पादन 730.35 मिलियन टन (मि.टन) रहा जो वर्ष 2017-18 के दौरान हुए 675.40 मि.टन के उत्पादन की तुलना में 8.14% अधिक था।



पिछले पांच वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन का रुझान संलग्न ग्राफ में दर्शाया गया है।


7.23 वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान समग्र कोयला उत्पादन 299.31 एमटी था जो इस अवधि के लक्ष्य और पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए 311.05 एमटी उत्पादन की तुलना में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के



दौरान उत्पादन की तुलना में क्रमशः 16.79% तथा 3.78% कम था। कुिकंग कोल का उत्पादन 22.48 एमटी रहा और इसमें 17.01% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई किंतु वॉष्ड कोल का उत्पादन 0.86 एमटी रहा जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 42.90% अधिक था। वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान कोयले का समग्र प्रेषण 334.84 एमटी रहा जो इस अविध के लिए 388.25 एमटी के लक्ष्य तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान हुए प्रेषण की तुलना में क्रमशः 13.76% और 3.89% कम था।

इस्पात


7.24 वर्ष 2018-19 के दौरान तैयार इस्पात का समग्र उत्पादन 131.57 एमटी था, जिसमें वर्ष 2017-18 के दौरान 126.86 एमटी उत्पादन की तुलना में 3.72% की वृद्धि दर्ज की गई ।



गत पांच वर्षों के दौरान तैयार इस्पात में उत्पादन का रुझान संलग्न ग्राफ में दर्शाया गया है। 7.25 वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान तैयार इस्पात का उत्पादन 51.82 एमटी रहा जिसमें पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान हुए 49.24 मि.टन के उत्पादन की तुलना में 5.24% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई ।

सीमेंट

7.26 वर्ष 201819 के दौरान सीमेंट का
उत्पादन 337.32 एमटी
रहा जो विगत वर्ष के
दौरान 299.12 मि.टन के
उत्पादन से 12.77%
अधिक रहा।




वर्ष 2017-18 के दौरान 6.94% की तुलना में वृद्धि दर बढ़कर 12.77% रही । पिछले पांच वर्षों के दौरान हुए सीमेंट उत्पादन का रुझान साइड चार्ट में दर्शाया गया है ।

7.27 वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान सीमेंट का उत्पादन 163.53 एमटी रहा जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान हुए 162.49 मि.टन के उत्पादन से 0.64% अधिक था।

उर्वरक


7.28 वर्ष 2018-19 के दौरान उर्वरकों (नाइट्रोजन एवं फॉस्फेट) का समग्र उत्पादन 17.94 एमटी था जो वर्ष 2017-18 के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 0.93%



अधिक था । वर्ष के दौरान, समग्र क्षमता उपयोग (नाइट्रोजन +फॉस्फेट) 91.90%था जो वर्ष 2017-18 के दौरान 92.80% के क्षमता उपयोग से कम था ।

पिछले पांच वर्षों के दौरान हुए उत्पादन रुझान को निकटवर्ती चार्ट में दर्शाया गया है।

7.29 वर्ष 2019-20 (अप्रैलसितंबर) के दौरान उर्वरक उत्पादन
8.97 मि.टन रहा जो उस अवधि के
लक्ष्य से 16.71% कम था लेकिन
पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के
दौरान प्राप्त उत्पादन की तुलना में
1.42% अधिक था । समग्र क्षमता



उपयोग 84.90% था जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान उपयोग की गई क्षमता 83.70% से अधिक था।

नाइट्रोजन का 6.62 एमटी उत्पादन इस अविध के लक्ष्य से 10.73% कम लेकिन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध की तुलना में 0.15% अधिक था। फास्फेट उर्वरक का उत्पादन 2.35 एमटी था जो इस अविध के लक्ष्य से 29.95% कम लेकिन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान लक्ष्य से 5.18% अधिक था। वर्ष 2018-19 और 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान उर्वरक (नाइट्रोजन और फॉस्फेट) का उत्पादन निकटवर्ती ग्राफ में दर्शाया गया है।

पेट्रोलियम


 7.30.1
 क च्चा

 तेल: वर्ष 2018-19 के

 दौरान, कच्चे तेल का

 उत्पादन 34.20

 मिलियन टन (एमटी)




रहा जो 37.01 एमटी के लक्ष्य तथा वर्ष 2017-18 के 35.68 एमटी के उत्पादन की तुलना में क्रमश: 7.59% और 4.15% से कम था।

पिछले पांच वर्षों के दौरान कच्चे तेल और रिफाइनरी के उत्पादन का रुझान संलग्न चार्ट में दिया गया है।

7.30.2 वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 16.37 एमटी रहा जो इस अविध के दौरान 17.15 एमटी के लक्ष्य से कम था तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान हुए 17.41 एमटी के उत्पादन की तुलना में क्रमशः 4.52% और 5.96% कम रहा।

7.31 रिफाइनरी उत्पादन: वर्ष 2018-19 के दौरान रिफाइनरी उत्पादन (क्रूड थ्रुपुट के संदर्भ में) 257.21 एमटी था जो लक्ष्य 253.90 एमटी तथा 2017-18 के दौरान उत्पादन 251.94 एमटी की तुलना में क्रमश: 1.30% और 2.09% अधिक था । वर्ष 2018-19 के दौरान समग्र क्षमता उपयोग 103.89% पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त 107.67% से कम था ।

7.31.1 वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान रिफाइनरी उत्पादन 125.73 एमटी था जो 126.65 एमटी के लक्ष्य और पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 128.66 एमटी के उत्पादन की तुलना में क्रमशः 0.73% तथा 2.28% कम था । इस अवधि के लिए समग्र क्षमता उपयोग 100.84% था जो पिछले वर्ष की तदन्रूपी



अवधि के 103.65% के क्षमता उपयोग से कम था । उपर्युक्त चार्ट कच्चे तेल तथा रिफाइनरी उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धि को दर्शाता है ।


7.32 प्राकृतिक गैस: वर्ष 2018-19 के दौरान कुल मिलाकर 32,873 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) प्राकृतिक गैस का उत्पादन हुआ जो 35,599 मिलियन क्यूबिक मीटर के लक्ष्य से 7.66% कम लेकिन वर्ष 2017-2018 के दौरान हुए 32,649 मिलियन क्यूबिक मीटर उत्पादन की तुलना में 0.69% अधिक था ।

7.32.1 वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान, प्राकृतिक गैस का उत्पादन 16,005 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) था, जो 17,032 मिलियन क्यूबिक मीटर के लक्ष्य तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान हुए 16,254 मिलियन क्यूबिक मीटर के उत्पादन से क्रमशः 6.03% तथा 1.53% कम था।

सडकें

7.33 सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा राज्य लोक निर्माण विभाग एवं सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) राजमार्गों के निर्माण एवं उन्नयन में लगे हुए हैं । एनएचएआई ने वर्ष 2018-19 के दौरान, 6000.00 कि.मी. के लक्ष्य तथा वर्ष 2017-18 के दौरान 3071.00 कि.मी. की उपलब्धि की तुलना में चार/छः/आठ लेनों के 3380.28 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण/सुदृद्दीकरण किया है । राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने 241.08 कि.मी. को चार/छः/आठ लेन का और 3856.82 कि.मी. को दो लेन का बनाया है तथा 1684.64 कि.मी. के वर्तमान कमजोर पैदल मार्गों को सुदृद्ध बनाया है । इसके अतिरिक्त, उन्होंने 1764.80 कि.मी. राजमार्ग की राइडिंग क्वालिटी में भी सुधार किया है । राजमार्गों के उन्नयन के एक भाग के रूप में, 39 पुलों का भी प्नर्स्थापन/ निर्माण किया गया ।

7.34 वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 1800.00 कि.मी. के लक्ष्य तथा गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 1363.00 कि.मी. की उपलब्धि की तुलना में, 1700.00 कि.मी. राजमार्ग को चौड़ा/सुदृढ़ बनाया । राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन का रुझान साइड ग्राफ में दिया गया है।




राज्य पीडब्ल्यूडी और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने 119.71कि.मी. को चार/छह/आठ लेन का बनाया, 2038.09 कि.मी. को दो लेन का बनाया और मौजूदा 268.20 कि.मी. कमजोर पैदल मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया । उन्होंने राजमार्गों के 276.43 कि.मी. की राइडिंग क्वालिटी में भी सुधार किया । उन्नयन के एक भाग के रूप में, इस अविध के दौरान 45 पुलों के लक्ष्य के मुकाबले 35 पुलों का सुदृढ़ीकरण/निर्माण भी किया गया।


रेलवे

7.35 वर्ष 2018-19 के दौरान रेलवे ने 1223.29 एमटी राजस्व अर्जक मालभाड़े की दुलाई की जिससे वर्ष 2017-2018 के मालभाड़ा ढुलाई की तुलना में 5.31% की वृद्धि दर्ज हुई लेकिन यह इस वर्ष के 1218.25 एमटी के लक्ष्य से भी 0.41% अधिक था। गत पांच वर्षों के दौरान माल भाड़े ढुलाई का वार्षिक रुझान चार्ट में दिया गया है।

7.36 वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान रेलवे द्वारा ढोया गया माल 586.96 एमटी था जो निर्धारित लक्ष्य 608.01 एमटी तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 589.31 एमटी माल ढुलाई से क्रमशः 3.46% तथा 0.40% कम था।




पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान प्राप्त 5.38% की तुलना में वृद्धि दर कम थी । संलग्न चार्ट इस अवधि हेतु लक्ष्य तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान उपलब्धि की तुलना में रेलवे के कार्य निष्पादन को इंगित करता है ।



पोत परिवहन एवं पत्तन

7.37 वर्ष 2018-19 के दौरान देश के प्रमुख बंदरगाहों पर 699.05 एमटी कार्गो ढोया गया जो पिछले वर्ष की उपलब्धि से 2.90% अधिक था। मुख्य बंदरगाहों पर ढोया गया कार्गो का रुझान साथ के चार्ट में इंगित किया गया है।



7.38 वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान प्रमुख बंदरगाहों पर 348.45 एमटी कार्गों ढोया गया जिससे पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान ढोये गये 343.45 एमटी कार्गों की तुलना में 1.48% की वृद्धि दर्ज हुई ।


7.39 वर्ष 2018-19 के दौरान प्रमुख बंदरगाहों पर कोयला (तापीय तथा कोकिंग) की ढुलाई 161.35 एमटी थी जो पिछले वर्ष की 145.60 एमटी ढुलाई की तुलना में 10.82% अधिक रही । वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान प्रमुख बंदरगाहों पर, कोयले की समग्र ढुलाई 74.16 एमटी थी जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान 77.11 एमटी ढुलाई की तुलना में 3.82% कम रही ।

नागर विमानन

7.40 वर्ष 2018-19 के दौरान सभी हवाई अड्डों द्वारा 12,79,875 टन निर्यात कार्गों ढोया गया जो इस अविध के लक्ष्य से 10.44% कम था तथा वर्ष 2017-2018 के दौरान ढोया गया कार्गों से 3.20% अधिक था। इस अविध के दौरान, इन हवाई अड्डों द्वारा 9,20,312 टन आयात कार्गों ढोया गया जो इस अविध के लक्ष्य लक्ष्य से 11.76% कम था तथा वर्ष 2017-2018 के दौरान ढोए गए आयात कार्गों से 1.82% अधिक था।

निकटवर्ती ग्राफ हवाई अड्डे पर कार्गो की ढुलाई संबंधी लक्ष्य तथा उपलब्धियां दर्शाता है।


7.41.1 वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान,



सभी हवाई अड्डों द्वारा 6,20,916 टन निर्यात कार्गों ढोया गया जो 6,57,722 टन के लक्ष्य से कम लेकिन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान ढोया गया 6,38,566 टन निर्यात कार्गों की तुलना में क्रमशः 5.60% तथा 2.76% कम था। इसके अतिरिक्त, इस अविध के दौरान इन हवाई अड्डों द्वारा 4,14,087 टन आयात कार्गों ढोया गया जो इस अविध के लक्ष्य 4,96,580 टन से 16.61% कम था तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान ढोया गया 4,82,115 टन कार्गों से भी 14.11% कम था।

7.41.2 वर्ष 2018-19 के दौरान सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों से 694.81 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जो लक्ष्य से 3.53% कम लेकिन 2017-2018 के दौरान यात्रा किए गए यात्रियों की तुलना में 6.12% अधिक थी। वर्ष 2018-19 के दौरान इन हवाई अड्डों के घरेलू टर्मिनलों से 2752.19 लाख यात्रियों ने यात्रा की जो लक्ष्यों से 2.47% कम था लेकिन वर्ष 2017-2018 के दौरान यात्रा किए गए यात्रियों से 13.13% अधिक था।


7.42 वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान इन हवाई अड्डों के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों से 337.26 लाख यात्रियों ने यात्रा की जो लक्ष्य से कम था तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान यात्रा किए गए



यात्रियों से क्रमशः 5.73% तथा 0.08% कम था । हवाई अड्डों के घरेलू टर्मिनलों से 1362.55 लाख यात्रियों ने यात्रा की जो इस अविध के लक्ष्यों से 9.54% कम था लेकिन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान यात्रियों की आवाजाही के लक्ष्य से 0.41% अधिक था । साइड ग्राफ से हवाई अड्डे के यात्रियों की आवाजाही के लक्ष्य और उपलब्धि का पता चलता है ।


दूरसंचार

7.43 वर्ष 2018-19 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों की स्विचिंग क्षमता में राष्ट्रीय स्तर पर 3.27 लाख लाइनें जोड़ी गई/कनेक्ट की गई और



2017-18 के दौरान भी 0.41 लाख लाइनें जोड़ी गई/कनेक्ट की गई थी । वर्ष 2018-19 के दौरान, निजी क्षेत्र ने 0.88 लाख नए नेट फिक्स्ड (वायर्ड) टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जबिक 2017-18 के दौरान 0.53 कनेक्शन लौटा दिए गए । सार्वजनिक क्षेत्र में 2018-19 के दौरान, 12.03 लाख कनेक्शन लौटा दिए गए । वर्ष 2018-19 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र ने 30.54 लाख नए (नेट) सेलफोन (मोबाइल) कनेक्शन लगाई/प्रदान किए तथा वर्ष 2017-18 के दौरान भी 110.15 लाख नए सेलफोन कनेक्शन प्रदान किए/जोड़े गए थे । जबिक निजी क्षेत्र में 303.29 कनेक्शन हटाए/डिसकनेक्ट किया गया जबिक 2017-18 के दौरान भी 73.83 लाख सेलफोन कनेक्शन प्रदान किए गए थे । वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 283.89 लाख कनेक्शन (फिक्सड+सेलफोन) सरेंडर किए गए तथा वर्ष 2017-18 के दौरान भी 168.08 लाख फोन कनेक्शन प्रदान किए गए थे । पिछले पांच वर्षों के दौरान लैंडलाइन तथा सेल फोन कनेक्शन प्रदान करने संबंधी वार्षिक रुझान उपर्युक्त चार्ट में दर्शाया गया है ।


7.44 वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर टेलीफोन एक्सचेंजों की स्विचन क्षमता में 18.53 लाख लाइनें दी गई जबिक पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान 14.16 लाख कनेशन हटाई गई। 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान, निजी क्षेत्रों ने 0.39 लाख नेट फिक्स्ड (वायर्ड)



टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जबिक पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान 0.12 लाख कनेक्शन हटाए गए । इस अविध के दौरान, सार्वजिनक क्षेत्र के 11.02 लाख कनेक्शन सरेंडर किए गए साथ ही पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान भी 6.86 लाख कनेक्शन सरेंडर किए गए थे। निकटवर्ती ग्राफ वायरलाइन (फिक्स्ड) फोन कनेक्शनों संबंधी उपलिब्धियों का रुझान को दर्शाता है।

7.45 वर्ष (अप्रैल-सितंबर) 2019-20 के दौरान, निजी क्षेत्र ने 106.80 लाख नए

(नेट) सैलफोन कनेक्शन प्रदान किए गए थे तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान भी 201.96 लाख कनेक्शन सरेंडर किए गए थे। इस अविध के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र ने 12.21 लाख सेल फोन प्रदान किए जबिक तदनुरूपी अविध के दौरान भी 7.12 लाख कनेक्शन प्रदान किए गए थे। निकटवर्ती ग्राफ वायरलेस (सेल)



फोन कनेक्शनों की उपलब्धियों का रूझान दर्शाता है।

7.46 वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान, कुल 108.38 लाख टेलीफोन कनेक्शन (फिक्स्ड+सेल+फोनस) कनेक्शन प्रदान किए गए जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अविध के दौरान 201.82 लाख कनेक्शन सरेंडर किए गए थे।

अध्याय VIII

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैंडस) भारत सरकार द्वारा 23 दिसंबर, 1993 में शुरू की गई थी ताकि स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करने एवं उनके निर्वाचन क्षेत्रों/राज्यों में शुरू किए जाने के लिए स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामुदायिक अवसंरचना सिहत बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान किया जा सके । शुरूआत में, एमपीलैंड्स ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रण में थी। एमपीलैंड्स से संबंधित विषय को अक्तूबर, 1994 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। योजना, दिशानिर्देशों के एक सेट द्वारा संचालित की जाती है जिन्हें समयसमय पर व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। वर्तमान दिशानिर्देश जून, 2016 में जारी किए गए थे।

8.1 एमपीलैंड योजना की मुख्य विशेषताएं:

- (क) एमपीलैंड्स एक केन्द्रीय योजना है जो भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित की जाती है जिसके अंतर्गत निधियां प्रत्यक्ष रूप से जिला प्राधिकारियों को सहायता अनुदान के रूप में जारी की जाती हैं।
- (ख) योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियां अव्यपगत हैं अर्थात किसी वर्ष विशेष में जारी नहीं की गई निधियों को पात्रता के अध्यधीन आगामी वर्षों में ले जाया जाता है । वर्तमान में. प्रति संसद सदस्य/निर्वाचन क्षेत्र वार्षिक पात्रता ₹5 करोड है ।
- (ग) एमपीलैड्स के अंतर्गत, संसद सदस्य की भूमिका कार्यों को सिफारिश करने तक सीमित है। तत्पश्चात, संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए कार्यों को निर्धारित समयाविध के भीतर स्वीकृत, क्रियान्वित और पूर्ण करने का दायित्व जिला प्राधिकारी का है।
- (घ) निर्वाचित लोक सभा सदस्य कार्यों की सिफारिश अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कर सकते हैं । राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य अपने निर्वाचन वाले राज्य में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं । लोक सभा और राज्य सभा के

- मनोनीत सदस्य देशभर में कहीं भी कार्यों के क्रियान्वयन की सिफारिश कर सकते हैं।
- (ङ) सरकारी कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में कोई सीमा नहीं है । तथापि, न्यासों/सोसाइटियों के लिए किए जाने वाले कार्यों के मामले में प्रत्येक न्यास/सोसाइटी के जीवनकाल के लिए ₹50 लाख की सीमा है । एक संसद सदस्य न्यासों/सोसाइटियों से संबंधित कार्यों के लिए एमपीलैंड्स निधियों में से एक वित्तीय वर्ष में केवल ₹100 लाख तक की निधियों की सिफारिश कर सकता है ।
- (च) बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, बर्फीले तूफान, बादल फटने, कीटों के आक्रमण, भूस्खलन, रेतीले तूफान, भूकंप, अकाल, सुनामी, आग और जैविक, रासायनिक, विकिरणीय संकटों आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में एमपीलैड्स कार्यों का क्रियान्वयन किया जा सकता है । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के गैर-प्रभावित क्षेत्रों के संसद सदस्य भी उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के प्रभावित क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए ₹25 लाख की अधिकतम सीमा तक अनुमत्य कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं ।
- (छ) देश के किसी भी भाग में गहन प्राकृतिक आपदा (जो भारत सरकार द्वारा निर्णीत और घोषित की गई है) के मामले में एक संसद सदस्य प्रभावित जिले के लिए अधिकाधिक ₹1 करोड़ तक के कार्यों की सिफारिश कर सकता है । इस मामले में निधियां संबंधित संसद सदस्य के नोडल जिला प्राधिकारी द्वारा प्रभावित जिले के प्राधिकारी को अनुमत्य कार्यों के निष्पादन के लिए जारी की जाएंगी ।
- (ज) अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की बसावट वाले क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दिए जाने के उद्देश्य से एमपीलैंड्स निधियों का 15% अनु.जाति आबादी वाले क्षेत्रों तथा 7.5% अनु. जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाना है।
- (झ) यदि एक निर्वाचित संसद सदस्य अपने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बाहर अथवा राज्य में निर्वाचन क्षेत्र के बाहर अथवा दोनों हेतु एमपीलैड्स निधियों का योगदान देने के आवश्यकता महसूस करता है तो सांसद इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में पात्र कार्यों के लिए अधिकाधिक ₹25 लाख तक की सिफारिश कर सकता है। संसद सदस्य का यह कृत्य लोगों में राष्ट्रीय एकता, सौहार्द तथा भाईचारे की भावना को निचले स्तर तक बढावा देगा।

- (ञ) संसद सदस्य तिपिहया साइिकल (मोटर चालित तिपिहिया साइिकल सिहत) बैटरी से चलने वाली मोटर चालित पिहिएदार कुर्सी तथा कृत्रिम अंगों और दृष्टि एवं श्रवणबािधत व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों की खरीद के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सहायतार्थ प्रतिवर्ष अधिकतम ₹20 लाख तक सिफारिश कर सकता है।
- (ट) संसद सदस्य सहायता-प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए अपनी एमपीलैड्स निधियों की अनुशंसा कर सकते हैं जो राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हों और स्कूलों के मामले में जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से तथा कॉलेजों के मामले में जो राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हों और छात्रों से व्यावसायिक शुल्क की वसूली नहीं कर रहे हों । इस प्रकार की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सभी अनुमत्य मदों के लिए बिना किसी उच्चतम सीमा के एमपीलैड्स निधियां प्राप्त करने के पात्र हैं । सहायता-प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान जो किसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं और न्यासों/सोसाइटियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, दिशानिर्देशों के तहत अनुमत्य सभी मदों के लिए एमपीलैड्स निधियां प्राप्त करने के पात्र हैं; संबंधित शिक्षण संस्थान का संचालन करने वाले न्यास/सोसाइटी विशेष पर दिशानिर्देशों के तहत न्यासों/सोसाइटियों पर लगाई गई अधिकतम सीमा अर्थात ₹50 लाख की शर्त लागू होगी।
- (ठ) ऊर्जा किफायती सामुदायिक गोबर गैस सयंत्रों, शवदाहगृहों और कब्रिस्तानों/शवदाह भूमियों पर निर्माणों तथा सामुदायिक प्रयोग के लिए गैर-पारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों को भी अन्य बातों के साथ-साथ दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है।
- (ड) संसद सदस्य 'स्वच्छ भारत अभियान' जैसी योजना जिसमें व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का प्रावधान है, के लिए निधियों में बढ़ोतरी के उद्देश्य से एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अध्यधीन एमपीलैड्स निधियों की सिफारिश कर सकते हैं।
- (ढ) संसद सदस्य शैक्षणिक संस्थानों, गांवों और चुनिंदा स्थलों पर वाई-फाई प्रणाली की संस्थापना के लिए एमपीलैंड्स निधियों की सिफारिश कर सकते हैं।
- (ण) एमपीलैंड योजना के उद्देश्य से प्रत्येक सांसद के मामले में भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियां जिला प्रशासनों द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंकों (आईडीबीआई बैंकों

- सिहत)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (ग्रामीण बैंकों) जो उनके प्रायोजक के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कोर बैंकिंग प्लेटफार्म पर हैं, में जमा कराई जाती हैं।
- (त) एमपीलैंड योजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकारियों और क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों की भूमिका एमपीलैंड संबंधी दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है।

8.2 प्रभाव

योजना ने प्रारंभ से ही स्थानीय लोगों को उनकी विभिन्न विकासात्मक प्रकृति की आवश्यकताओं को पूरा करके जैसे पेयजल सुविधा, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सिंचाई, गैर परंपरागत ऊर्जा, सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक पुस्तकालय, बस स्टैंड/स्टाप, सड़कें, फुटपाथ और पुल, खेल इत्यादि से लाभान्वित किया है। इन कार्यों को एमपीलैड्स के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत, क्रियान्वित और मॉनीटर किया जाता है।

8.3 योजना का निष्पादन

- 8.3.1 वास्तविक निष्पादन (30 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार) योजना की शुरूआत से, जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के संकलन के अनुसार:-
 - योजना की शुरूआत से लेकर 23,78,884 कार्य अनुशंसित किए गए ।
 - योजना की शुरूआत से लेकर 21,10,710 कार्य स्वीकृत किए गए।
 - योजना की शुरूआत से लेकर 18,92,298 कार्य पूरे किए गए ।
 - योजना की शुरूआत से स्वीकृत कार्यों की तुलना में पूरे किए गए कार्यों का प्रतिशत 89.65 है।
 - वर्तमान वित्त वर्ष में 31,428 कार्यों की अनुशंसा की गई, 33,559 कार्य स्वीकृत किए गए (पिछले वर्षों के दौरान अनुशंसित किए गए कार्यों सहित) और 42,070 कार्य पूरे किए गए (पिछले वर्षों के दौरान स्वीकृत किए गए कार्यों सहित)।
- 8.3.2 वितीय निष्पादन (30 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार)
 - योजना की शुरूआत से ₹52,904.75 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।
 - योजना की श्रूरुआत से ₹50,604.12 करोड़ का व्यय हुआ है ।
 - योजना की शुरूआत से लेकर 30 नवंबर 2019 तक जारी निधि की तुलना में व्यय का प्रतिशत 95.65% है।

- वर्ष 2019-20 में ₹3950 करोड़ की आवंटित निधि की तुलना में ₹1607.05 करोड़ का व्यय किया गया है (इसमें पिछले वर्षों में खर्च न की जा सकी अग्रेनीत राशि शामिल है) ।
- 8.3.3 योजना की शुरूआत से इसके अंतर्गत वर्ष-वार जारी की गई निधि नीचे दी गई है:

| वर्ष | जारी की गई निधियां | जारी संचयी निधि | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------|--|--|
| | (₹करोड़ में) | (₹करोड़ में) | | |
| 1993-1994 | 37.80 | 37.80 | | |
| 1994-1995 | 771.00 | 808.80 | | |
| 1995-1996 | 763.00 | 15 <i>7</i> 1.80 | | |
| 1996-1997 | 778.00 | 2349.80 | | |
| 1997-1998 | 488.00 | 2837.80 | | |
| 1998-1999 | 789.50 | 3627.30 | | |
| 1999-2000 | 1390.50 | 5017.80 | | |
| 2000-2001 | 2080.00 | 7097.80 | | |
| 2001-2002 | 1800.00 | 8897.80 | | |
| 2002-2003 | 1600.00 | 10497.80 | | |
| 2003-2004 | 1682.00 | 12179.80 | | |
| 2004-2005 | 1310.00 | 13489.80 | | |
| 2005-2006 | 1433.90 | 14923.70 | | |
| 2006-2007 | 1451.50 | 16375.20 | | |
| 2007-2008 | 1470.55 | 17845.75 | | |
| 2008-2009 | 1580.00 | 19425.75 | | |
| 2009-2010 | 1531.50 | 20957.25 | | |
| 2010-2011 | 1533.32 | 22490.57 | | |
| 2011-2012 | 2507.68 | 24998.25 | | |
| 2012-2013 | 3722.00 | 28720.25 | | |
| 2013-2014 | 3937.00 | 32657.25 | | |
| 2014-2015 | 3350.00 | 36007.25 | | |
| 2015-2016 | 3502.00 | 39509.25 | | |
| 2016-2017 | 3499.50 | 43008.75 | | |
| 2017-2018 | 3504.00 | 46512.75 | | |
| 2018-19 | 3949.50 | 50462.25 | | |
| 2019-20 (30.11.2019 | 2442.50 | 52904.75 | | |
| की स्थिति के अनुसार) | | | | |

8.3.4 योजना का तुलनात्मक निष्पादन:

विभिन्न समयाविधयों पर तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है:-

| वर्ष | 2017-18 | 2018-19 | 2019 (30.11.2019 की | | |
|--|---------|---------|-----------------------------|--|--|
| | | | स्थिति के अनुसार) | | |
| अवधि के दौरान जारी निधि (₹करोड़ में) | 3504.00 | 3949.50 | 2442.50 | | |
| अवधि के दौरान व्यय की गई निधि (₹करोड़ में) | 4076.29 | 5012.13 | 1607.05 | | |
| जारी निधि की तुलना में निधि का उपयोग (% में) | 116.33 | 126.90 | 95.65 | | |
| कार्यों की स्वीकृति (संख्या में) | 101281 | 127740 | 33559 | | |
| कार्यों का समापन (संख्या में) | 94288 | 105167 | 42070 | | |

8.4 एमपीलैंड योजना संबंधी एकीकृत सॉफ्टवेयर

एकीकृत एमपीलैंड्स वेबसाइट अंतः निर्मित सुरक्षा उपायों के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर विकसित की गई है। यह नई वेबसाइट राज्य और जिला अधिकारियों को एमपीलैंड्स योजना की प्रभावी और कुशल निगरानी तथा पर्यवेक्षण में सहायता प्रदान करेगी।

नया एकीकृत एमपीलैड्स पोर्टल योजना के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही पर भी बल देता है तथा ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देता है । एमपीलैड्स वेबसाइट www.mplads.gov.in निम्नलिखित रिपोर्टें/सुविधाएं प्रदान करती हैं:

- निधियों की निर्मुक्ति संबंधी विवरण (ब्यौरा एवं सार)
- मंत्रालय व्यय रिपोर्ट (ब्यौरा एवं सार)
- प्राथमिकता क्षेत्र रिपोर्टें
- राज्य और जिला प्रोफाइल
- नागरिक सुझाव
- एमपीलैड्स दिशानिर्देश एवं परिपत्र
- कार्य निगरानी प्रणाली (डब्ल्यूएमएस) रिपोर्ट
- वार्षिक रिपोर्टें
- ई-बुक

• समाचार एवं घटनाएं



नया एकीकृत एमपीलैड्स पोर्टल निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान करता रहा है:

- अंतः सरकारी जी2जी समाधान राज्य सभा और लोक सभा पोर्टल से सदस्यों के विवरण को स्वतः शामिल करने सिहत जिला स्तर पर निधियों के यथासमय उपयोग के लिए लघु/बृहत (कार्यों, निर्मुक्ति और व्यय) स्तर पर रिपोर्टिंग और निगरानी सुनिश्चित करता है ।
- नागरिक केन्द्रित सी2जी समाधान लोक सुझावों का संसद सदस्यों की ऑनलाइन सिफारिशों में रुपांतरण उपलब्ध कराता है तथा सदस्यों और जिला प्राधिकारियों के बीच मैसेजिंग/ब्लॉक, ऑफलाइन संचार भी प्रदान करवाएगा ।
- सभी स्टेकहोल्डरों- संसद सदस्यों, जिलों, राज्यों, मंत्रालय और आम जनता के लिए एकल संदर्भ बिंद् ।

- नोडल जिलों और कार्यान्वयनकर्ता जिलों में उपलब्ध कुल शेष धनराशि का पता लगाता है, इस प्रकार जिलों में उपलब्ध उपयोग न की जा सकी निधियों की यथासमय निगरानी सुनिश्चित करता है।
- िकसी परियोजना की समस्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों जैसेकि परियोजना स्वीकृति,
 िनिधयों की निर्मुक्ति आदि के संबंध में ई-मेल की सहायता से आवश्यक सचेतक/सूचना प्रदान करता है।

इस पोर्टल के माध्यम से जिलों (नोडल प्राधिकारियों) में कार्य प्रवाह प्रणाली स्थापित की गई है तथा इसे भारत सरकार की निर्मुक्ति प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है । वास्तविक समय आधार पर नियमित रूप से अद्यतन किए जाने पर स्वीकृति आदेश और एमपीआर स्वचालित रूप से तैयार की जा सकती है । इसके अतिरिक्त, एमपीआर की ऑनलाइन उपलब्धता ने अन्य अपेक्षित पात्र दस्तावेजों की उपलब्धता के अध्यधीन निधियों की यथासमय निर्मुक्ति को सुसाध्य बनाया है ।

8.5 निगरानी

- राज्यों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई गहन समीक्षा तथा दौरों के फलस्वरूप एमपीलैंड्स के कार्यान्वयन में सुधार हुआ है ।
- राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन का जायजा लेने तथा निधियों की निर्मुक्ति की निगरानी के संबंध में राज्य नोडल विभागों के सचिवों के साथ नियमित तौर पर वार्षिक पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
- राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है ताकि योजना के बेहतर कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाने के लिए जिला अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें । मंत्रालय नई विकसित एकीकृत एमपीलैड्स वेबसाइटों को क्रियाशील बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है ।

बाह्य एजेंसियों द्वारा वास्तविक निगरानी से योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों में सहायता मिली है । एमपीलैंड योजना के क्रियान्वयन में समग्र सुधार का श्रेय वर्षों के दौरान प्राप्त सामंजस्य तथा प्रचालनात्मक अनुभव, सामुदायिक सहभागिता तथा निगरानी को जाता है ।

अध्याय-IX

राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

9.1 संघ की राजभाषा नीति के अनुसार और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसरण में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अपने प्रभागों/अनुभागों तथा सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार और प्रसार करने के लिए निरंतर और ठोस प्रयास कर रहा है। मंत्रालय का राजभाषा अनुभाग राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 में यथा निर्धारित सांविधिक उपबंधों एवं नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी और देख-रेख के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय के प्रशासन प्रभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30.11.2019 तक की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैं या हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं। सभी 07 आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि/टंकण में प्रशिक्षित हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

9.2 संयुक्त सचिव (प्रशासन), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुपालन और हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की तिमाही समीक्षा करती है । प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, इस समिति की बैठकें नियमित अंतरालों पर आयोजित की गईं । मंत्रालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही और वार्षिक रिपोर्टें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को नियमित रूप से प्रेषित की जाती हैं ।

निरीक्षण

9.3 मंत्रालय के अधिकारी हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और उनमें पाई गई किमयों को दूर करने हेतु आवश्यक निर्देश देते हैं।

इस वर्ष मंत्रालय के निम्नलिखित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया:

- 1. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, उदयपुर
- 2. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, अजमेर
- 3. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, भुवनेश्वर

पुरस्कार एवं प्रोत्साहन

9.4 पिछले वर्षों की तरह हिन्दी में मूल टिप्पण/आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना इस वर्ष भी जारी रही । सितम्बर, 2019 माह के दौरान मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी माह/पखवाड़े का आयोजन किया गया । मंत्रालय में दिनांक 16 सितंबर 2019 से 30 सितंबर 2019 की अवधि तक "हिन्दी पखवाड़ा" मनाया गया । इस पखवाड़े के दौरान मंत्रालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर अपनी भागीदारी दर्ज की । इन प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन के मूल्यांकन के पश्चात, मंत्रालय के कुल 37 विजेता प्रतिभागियों को विभिन्न श्रेणियों में नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए ।

मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ-साथ डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए अलग से प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा 18 विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार दिए गए ।

हिन्दी प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं

9.5 मंत्रालय में सभी आशुलिपिक/सहायक अनुभाग अधिकारी हिंदी आशुलिपि/टंकण में प्रशिक्षित हैं। हाल ही में मंत्रालय के राजभाषा अनुभाग से तीन अधिकारियों को हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित किया गया है।

गृह पत्रिका "परिदृश्य" का प्रकाशन

9.6 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, मंत्रालय की गृह पत्रिका "परिदृश्य" के 10वें अंक के लिए एक परिपत्र के माध्यम से मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों से हिंदी में लेख, स्व-रचित कविताएं, आदि आमंत्रित किए गए हैं।

अध्याय-x

अन्य कार्यकलाप

- 10.1 मंत्रालय का सतर्कता प्रकोष्ठ, संयुक्त सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी की देख-रेख में निम्नलिखित कार्यों को संभालता है:-
 - ग्रुप 'क','ख' और 'ग' अधिकारियों के संबंध में सतर्कता मामले जैसे भ्रष्टाचार, कदाचार तथा सत्यिनष्ठा की कमी संबंधी मामले;
 - विविध उद्देश्यों के लिए विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों की सतर्कता निकासी पर काम करना/जारी करना;
 - केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1964 का कार्यान्वयन;
 - सतर्कता मामलों की मासिक रिपोर्ट प्रोबिटी पोर्टल पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तुत करना;
- 10.2 सतर्कता प्रकोष्ठ निम्नलिखित कार्यकलापों को भी देखता है:-
 - प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा इसे सुव्यवस्थित बनाना जिसमें भ्रष्टाचार या कदाचार से निपटने के प्रावधान शामिल हों तथा भ्रष्टाचार एवं अन्य प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए अन्य उपाय खोजना एवं मंत्रालय तथा इसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के भ्रष्ट पदाधिकारियों को दण्डित करना;
 - "संदिग्ध सत्यिनष्ठा" (ओडीआई) वाले अधिकारियों की सूची तैयार करना/सहमित सूची तैयार करना तथा असंवेदनशील क्षेत्रों में उनकी तैनाती करना;
 - संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति करना ।
- 10.3 व्यक्तियों तथा अन्य संगठनों यथा सीबीआई/सीवीसी/प्रधानमंत्री कार्यालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/संघ लोक सेवा आयोग आदि से प्राप्त शिकायतों की जांच संबंधित प्रशासनिक प्रभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। आरंभिक जांच-पड़ताल शिकायतों के गुण-दोष का पता लगाने के लिए की जाती है। शिकायतों का यदि कोई आधार पाया जाता है तो उन पर नियमित विभागीय कार्रवाई की जाती है।

- 10.4 वर्ष 2018-19 (अप्रैल 2019 नवंबर 2019) के दौरान उन्नीस (19) नई शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उपयुक्त कार्रवाई हेतु जांच की गई । पूर्वोक्त अविध के दौरान सतर्कता प्रभाग में पन्द्रह (15) अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी मामलों पर कार्रवाई की गई जो जांच/छानबीन के विभिन्न स्तरों पर हैं ।
- 10.5 अवधि (अप्रैल 2019 –नवंबर 2019) के दौरान, कोई बड़ी अथवा छोटी शास्ति चार्जशीट जारी नहीं की गई है ।
- 10.6 उपर्युक्त के अतिरिक्त, संघ लोक सेवा आयोग/सीवीसी से परामर्श कर एक (1) अनुशासनात्मक मामले में छोटी शास्ति लगाई गई है ।
- 10.7 वर्ष 2019-20 के दौरान, 1668 से अधिक सतर्कता निकासी मामलों पर कार्रवाई की गई/इन्हें जारी किया गया तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 18 आरटीआई अभ्यावेदन प्रथम अपील प्राप्त हुई थी और इनका निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटान किया गया।
- 10.8 28 अक्तूबर 2019 से 02 नवंबर 2019 की अवधि के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच जागरूकता लाने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया । यह शपथ ग्रहण समारोह के साथ आरंभ हुआ । इस साल के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय "इंटेग्रिटी—ए वे ऑफ लाइफ" ("ईमानदारी—जीवन शैली") था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने से संबंधित बैनर मंत्रालय में प्रमुख जगहों पर लगाए गए।

लोक शिकायत निवारण

- 10.9 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का जनसाधारण से संपर्क नगण्य है। तथापि, इस मंत्रालय में नोडल अधिकारी (लोक शिकायत) के पर्यवेक्षण में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग तत्वावधान के अंतर्गत ऑनलाइन पीजी पोर्टल के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र कार्य कर रहा है।
- 10.10 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सेवारत तथा सेवानिवृत्त व्यक्तियों/ सिहत जनसामान्य की सुविधाओं के लिए सरदार पटेल भवन के स्वागत कार्यालय में नोडल अधिकारी के ब्यौरे प्रदर्शित किए गए हैं। शिकायतें मंत्रालय के जन शिकायत पोर्टल या विभिन्न नोडल एजेंसियों जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ),

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) आदि से प्राप्त होती हैं । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पीजी पोर्टल की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यानरवयन मंत्रालय के नोडल अधिकारी द्वारा नियमित तौर पर निगरानी की जाती है । 01 अप्रैल 2019 की स्थित के अनुसार 27 आपितयां लंबित थीं । वर्ष 2019 (1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर 2019 तक) के दौरान कुल 327 आपितयां प्राप्त की गईं और 318 आपितयों का निपटान किया गया । सभी पूर्वोक्त मामलों के संबंध में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों/प्रभागों को शीघ्र निपटान के लिए अनुस्मारक के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

10.11 न्यायालय संबंधी मामले

वर्ष 2019 के दौरान विभिन्न न्यायालयों में लंबित न्यायालय संबंधी मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

| माह | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितंबर | अक्तूबर | नवंबर |
|--------|--------|------|------|-------|-------|--------|---------|-------|
| | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| संख्या | 239 | 254 | 265 | 256 | 265 | 277 | 240 | 238 |

10.12 मंत्रालय के पीआईजीआर प्रकोष्ठ ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल/पीजी पोर्टल के प्रचालन के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के अंतर्गत विशेषकर आंचिलक/क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों में सामान्य कर्मचारियों और सीपीआईओ/एफएए के लिए विशेष प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराने की पहल की है । इससे मंत्रालय के सुशासन के दो अत्यंत महत्वपूर्ण साधनों नामतः "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" और 'लोक शिकायत निवारण तंत्र' को मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रभावी और कुशल तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी । तदनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल/पीजी पोर्टल संबंधी आवधिक कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं । श्री संजय, अवर सचिव (समन्वय) की देखरेख में मंत्रालय के संसाधन कर्मियों जिन्हें उपयुक्त ऑनलाइन पोर्टलों के प्रचालन/रखरखाव की तकनीकी जानकारी है, को कार्यशालाएं/प्रशिक्षण सत्रों के आयोजन के लिए तैनात किया गया था । वर्ष 2019 के दौरान पीआईजीआर प्रकोष्ठ ने एफओडी के जयपुर तथा लखनऊ स्थित आंचलिक कार्यालयों में आरटीआई पोर्टल तथा पीजी पोर्टल पर 2 दिवसीय कार्यशालाओं/प्रशिक्षण सत्रों का सफलतापूर्वक आयोजन किया ।

सूचना का अधिकार संबंधी मामले

10.13 सूचना का अधिकार संबंधी सभी आवेदन/अपील सामान्यतः मंत्रालय के पीआईजीआर अनुभाग के आरटीआई प्रकोष्ठ में प्राप्त किए जाते हैं और तब इन्हें निपटान हेतु संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों(सीपीआईओ)/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को भेजा जाता है। मंत्रालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 37 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा उपसचिव स्तर के एक अधिकारी को आरटीआई नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है। मंत्रालय ने 79 अधिकारियों को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के विभिन्न प्रभागों/अनुभागों के लिए नामित किया है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक स्वायत निकाय भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) के लिए एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा एक सीपीआईओ नामित किया है। आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत 1 जनवरी 2019 से 30 नवंबर 2019 तक 11 माह की अविध में प्राप्त अनुरोधों और अपीलों की संख्या इस प्रकार हैं:

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत 1 जनवरी 2019 से लेकर 30 नवंबर 2019 तक के दौरान प्राप्त अनुरोध/अपील/सीआईसी के नोटिसों की संख्या


| क्रम | माह का नाम | अनुरोध/आवेदन | | | अपील | | | | |
|------|------------|--------------|---------|--------|-------|------|---------|--------|-------|
| सं. | | सीएफ | प्राप्त | निपटान | लंबित | सीएफ | प्राप्त | निपटान | लंबित |
| 1 | जनवरी-19 | 51 | 182 | 156 | 77 | 71 | 16 | 9 | 78 |
| 2 | फरवरी-19 | 77 | 150 | 135 | 92 | 78 | 10 | 16 | 72 |
| 3 | मार्च-19 | 92 | 140 | 180 | 52 | 72 | 24 | 8 | 88 |
| 4 | अप्रैल-19 | 52 | 143 | 175 | 20 | 88 | 11 | 23 | 76 |
| 5 | मई-19 | 20 | 283 | 201 | 102 | 76 | 13 | 12 | 77 |
| 6 | जून-19 | 102 | 149 | 191 | 60 | 77 | 11 | 19 | 69 |
| 7 | जुलाई-19 | 60 | 172 | 187 | 45 | 69 | 10 | 25 | 54 |
| 8 | अगस्त-१९ | 45 | 126 | 143 | 28 | 54 | 16 | 7 | 63 |
| 9 | सितंबर-19 | 28 | 186 | 148 | 66 | 63 | 16 | 16 | 63 |
| 10 | अक्तूबर-19 | 66 | 104 | 153 | 17 | 63 | 12 | 17 | 58 |
| 11 | नवंबर-19 | 17 | 154 | 148 | 23 | 58 | 11 | 10 | 59 |
| | कुल | 51* | 1789 | 1817 | 23** | 71* | 150 | 162 | 59** |

सीएफ= पिछले माह के लंबित से अग्रेणित (कैरी फारवार्ड)


प्राप्त=माह के दौरान प्राप्त निपटान=माह के दौरान निपटाए गए

- * = 01 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार अग्रेणित लंबित
- ** = 30 नवंबर, 2019 को लंबित
- 10.14 स्वच्छ भारत मिशन:- स्वच्छ भारत मिशन के सफल कार्यान्वयन और स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय समग्र प्रयास कर रहा है तथा समय-समय पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाता रहता है।
- 10.15 **ई-अधिप्रापण:-** निविदा की ई-अधिप्रापण और ई-प्रकाशन विधि मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पूर्ण रूप से प्रचलन में है ।
- 10.16 सरकारी ई-मार्किट प्लेस:- जीईएम के तहत उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के प्रापण हेतु सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को जीईएम पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है । उत्पादों और सेवाओं का प्रापण पूर्ण रूप से प्रचलन में हैं तथा जीईएम पर उपलब्ध सभी उत्पादों एवं सेवाओं का प्रापण जीईएम के माध्यम से किया जा रहा है ।
- 10.17 **ई-ऑफिस परियोजना:-** सरकारी प्रकिया और सेवा प्रदान करने के तंत्र की तत्परता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत मिशन मॉड परियोजना में ई-ऑफिस परियोजना शामिल है । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जून 2019 माह तक फिजिकल फाइलों का 60-70% तक डिजीटलीकरण कर लिया है और मार्च 2020 तक 80% लक्ष्य प्राप्त किया जाना परिकल्पित है ।

अंनुबंध-<u>। क</u> संगठनात्मक चार्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय



संगठनात्मक चार्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग



एनएससी: राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग

सीएसआई: भारत के मुख्य सांख्यिकीविद

संक्षिप्तियाँ

एएस व एफ़ए अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकर

एडीजी अपर महानिदेशक

एएसआई औदयोगिक वार्षिक सर्वेक्षण

 असि. डायरे.
 सहायक निदेशक

 सी और ए
 समन्वय और प्रशासन

 सीएपी
 समन्वय और प्रकाशन

सीएपीआई कंप्यूटर सहायता प्राप्त कार्मिकों का साक्षात्कार

कोर्डि. समन्वय

सीपीडी समन्वय और प्रकाशन प्रभाग सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीएसआई भारत के मुख्य सांख्यिकीविद

सीएसओं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (मई 2019 से एनएसओ में समन्वित)

डीडीजी उप महानिदेशक डीजी महानिदेशक

डीआईआईडी डेटा सूचना और नवाचार प्रभाग (प्रतिष्ठित डीएसडीडी/कंप्यूटर केंद्र)

डायरे. निदेशक

डीपीडी समंक विधान प्रभाग

डीक्यूएडी डेटा गुणवत्ता और प्रभाग

डीएस उप सचिव

ईएसडी आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग
एफ़ओडी क्षेत्र संकार्य प्रभाग
जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद
एचओ कार्यालय प्रमुख
एचओडी विभागाध्यक्ष

आईसीटी अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और प्रशिक्षण आईआईपी औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक

आईपीएमडी अवसंरचना और परियोजना निगरानी प्रभाग

जेडी संयुक्त निदेशक

एमडीजीपी सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य

एमपीलैंडस संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

एनएडी राष्ट्रीय लेखा प्रभाग एनएससी राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग

एनएसएसओ राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (मई 2019 से एनएसओ में समन्वित)

ओसीएमएस ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली

ओएल राजभाषा

पीएओ भुगतान और लेखा कार्यालय पीसीएल मूल्य और जीवनयापन लागत

पीजी लोक शिकायत

पीएलएफ़एस आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

आरटीआई सूचना का अधिकार

एससी/एसटी अनुस्चित जाति/अनुस्चित जनजाति

एससीडी सर्वेक्षण समन्वय प्रभाग एसडीजी सतत विकास लक्षय एसडीपी राज्य घरेलू उत्पाद

एसडीआरडी सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग एसआईएपी एशिया और प्रशांत के लिए सांख्यिकीय संस्थान

एसएसडी सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग एसएसडी अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा

 टीआरजी
 प्रशिक्षण

 यूएस
 अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को आबंटित कार्य

I. सांख्यिकी स्कंध

- 1. देश में सांख्यिकीय प्रणाली के समेकित विकास की योजना बनाने के लिए एक नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है।
- 2. भारत सरकार के विभागों और राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो (एसएसबी) के संबंध में सांख्यिकीय कार्य का समन्वयन करना ताकि आंकड़ा अन्तरालों तथा सांख्यिकीय कार्य में दोहरीकरण की पहचान की जा सके और आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाना।
- 3. सांख्यिकी के क्षेत्र में मापदण्ड और मानक बनाना और उनका अनुरक्षण, आंकड़ा संग्रहण की अवधारणाएं, परिभाषाएं और कार्यप्रणाली विकसित करना, आंकड़ों का संसाधन और परिणामों का प्रचार-प्रसार ।
- सांख्यिकीय कार्यप्रणाली तथा आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषणों पर भारत सरकार के विभागों को सलाह देना ।
- 5. राष्ट्रीय लेखा तैयार करना तथा राष्ट्रीय आय, सकल/निवल घरेलू उत्पाद, सरकारी और निजी अन्तिम उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण, बचतों, पूंजी स्टॉक तथा स्थिर पूंजी उपभोग, उपभोग, सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही अनुमान तैयार करना एवं उन्हें प्रकाशित करना, राष्ट्रीय इनपुट-आउटपुट लेन-देन तालिका, घरेलू उत्पाद एवं अधि-क्षे-त्रीय क्षेत्रों के स्थाई पूंजी निर्माण के राज्य स्तरीय अनुमान तैयार करना, प्रचलित मूल्यों पर राज्य घरेलू उत्पाद के तुलनीय अनुमान तैयार करना।
- 6. त्वरित अनुमानों के रूप में प्रत्येक माह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का संकलन एवं उन्हें जारी करना, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) का आयोजन तथा सांख्यिकीय सूचना

- प्रदान करना ताकि संगठित विनिर्माणकारी (कारखाना) क्षेत्र के विकास, गठन एवं संरचना में परिवर्तनों का आकलन और मूल्यांकन हो सके ।
- 7. पर्यावरण सांख्यिकी का विकास, कार्यप्रणाली और अवधारणाओं का विकास तथा भारत का राष्ट्रीय संसाधन लेखा तैयार करना ।
- 8. अखिल भारतीय आर्थिक गणना तथा अनुवर्ती प्रतिदर्श सर्वेक्षण का आवधिक आयोजन व संचालन।
- 9. रोजगार, उपभोक्ता व्यय, आवास स्थिति, ऋण एवं निवेश, भूमि एवं पशुधन होल्डिंग, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, असंगठित विनिर्माणकारी एवं सेवाओं आदि जैसे विभिन्न समाजार्थिक पहलुओं पर राष्ट्रव्यापी प्रतिदर्श सर्वेक्षणों का आयोजन तािक विकास, अनुसंधान, नीित-निर्माण एवं आर्थिक आयोजना हेत् अपेक्षित आंकड़ा आधार प्रदान किया जा सके।
- 10. तकनीकी संवीक्षा एवं प्रतिदर्श जांचों के माध्यम से सांख्यिकीय सर्वेक्षणों और डाटा सेटों की गुणवत्ता जांच एवं लेखा परीक्षा का आयोजन तथा यदि आवश्यक हो तो, शुद्धि कारक और वैकल्पिक अनुमान तैयार करना ।
- 11. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय तथा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों और आर्थिक गणना का अनुवर्ती सर्वेक्षण एवं वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के माध्यम से संग्रहित सर्वेक्षण-आंकडों का संसाधन करना।
- 12. अनेक नियमित अथवा तदर्थ प्रकाशनों के माध्यम से सरकारी, अर्ध-सरकारी अथवा निजी आंकड़ा प्रयोक्ताओं/अभिकरणों को सांख्यिकीय सूचना का प्रचार-प्रसार तथा संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों जैसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग, एशिया एवं प्रशान्त आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अन्य संगत अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों को अनुरोध पर आंकड़ों का प्रचार-प्रसार करना।
- 13. पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों और प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं को विशेष अध्ययन अथवा सर्वेक्षण करने, सांख्यिकीय रिपोर्टों के मुद्रण हेतु सहायता अनुदान देना तथा सरकारी सांख्यिकी के विभिन्न विषय क्षेत्रों से संबंधित संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का वित्तपोषण करना।

- 14. प्रशिक्षण, कैरियर नियोजन तथा जनशक्ति नियोजन से संबंधित सभी मामलों सहित भारतीय सांख्यिकीय सेवा के प्रबन्धन के सभी पहलुओं पर कार्य करना और संवर्ग नियन्त्रक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना ।
- 15. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959(1959 का 57) के उपबंधों के अनुसार भारतीय सांख्यिकी संस्थान का कार्यपालन सुनिश्चित करना ।
- 16. शहरी गैर-श्रम कर्मचारियों के लिए मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन और प्रकाशन करना ।
- 17. लघु क्षेत्र-अनुमानों सहित बेहतर प्रतिचयन तकनीकें और आकलन प्रक्रियाएं विकसित करने के लिए कार्य प्रणालीगत अध्ययन और प्रायोगिक सर्वेक्षण करना ।
- 18. बीस सूत्री कार्यक्रम पर निगरानी रखना ।
- 19. 150 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक धनराशि की परियोजनाओं पर निगरानी रखना।
- 20. अवसंरचना क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखना ।
- 21. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैडस) ।

<u>अनुबंध-III-क</u>

बजट अनुमान (एसबीई) का विवरण-वार्षिक योजना 2019-20 मंत्रालय/विभाग: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(रू. करोड़ में)

| क्र.सं. | स्कीम | वार्षिक योजन | ना 2019-20 (बीई | (j) | पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित |
|---------|---|--------------|-------------------------|-----------------|--|
| | | सकल बजट | आंतरिक एवं बाह्य बजट | कुल | परिव्यय |
| | | सहायता | संचालन | | 2019-20 (बीई) |
| | | (जीबीएस) | (आईईबीआर) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (क) के | न्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें (सीएस) | | | | |
| 1 | क्षमता विकास | 528.83 | 0 | 528.83 | 27.00 |
| 2 | भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान | 298.94 | 0 | 298.94 | 22.42 |
| | कुल (क) | 827.77 | 0 | 827.77 | 49.42 |
| (ख) ভ | लॉक अनुदान | | | | |
| 1 | संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना | 3960.00 | 0 | 3960.00 | 0 |
| | कुल (क+ख) | 4787.77 | 0 | 4787.77 | 49.42 |

<u>अनुबंध-III-ख</u>

क. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए वर्ष 2018-19 (बीई और आरई) हेतु कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)

रू. लाख में

| | <u>2018-19</u> के | दौरान उत्त | र पूर्व क्षेत्र के लिए | उत्तर पूर्वी | व्यय |
|--|-------------------|------------|------------------------|--------------|--------|
| योजना स्कीम का नाम | | प्रावधान | राज्य | | |
| | बीई | आरई | वास्तविक व्यय | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. क्षमता विकास (कुल) | 2080.00 | 2080.00 | 1944.09 | | |
| | | | | अरूणाचल | 368.38 |
| (क) क्षमता विकास (एनएसएसओ | | | | प्रदेश | |
| का क्षमता विकास - उत्तर पूर्व क्षेत्र | | | | मणिपुर | 258.88 |
| में केंद्रीय एनएसएस प्रतिदर्श कार्य | 2080.00 | 2080.00 | 1039.09 | मिजोरम | 80.97 |
| के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को सहायता अन्दान) | | | | सिक्किम | 40.23 |
| (सहायता अनुपान) | | | | सिविका | 40.23 |
| | | | | त्रिपुरा | 290.63 |
| (ख) सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण हेतु | _ | _ | 905.00 | असम | 632.00 |
| सहायता | _ | _ | 903.00 | मेघालय | 273.00 |
| 2. आईएसआई, कोलकाता को सहायता अनुदान, कोलकाता | 410.00 | 410.00 | 1063.49 | | |
| कुल योग | 2490.00 | 2490.00 | 3007.58 | | |

<u>अनुबंध-III-ग</u>

ख. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 2019-20 (बीई और आरई) हेतु कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीवीएस)

रु. लाख में

| | <u>2019-20</u> के | दौरान उत्तर पूर्व | उत्तर पूर्वी | व्यय | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|
| योजना स्कीम का नाम | बीई | आरई | वास्तविक व्यय (30.11.2019 तक) | राज्य | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. क्षमता विकास (कुल) | 2700.00 | 2700.00 | 867.06 | | |
| (क) क्षमता विकास (एनएसएसओ का | | | | अरूणाचल प्रदेश | 317.67 |
| क्षमता विकास - उत्तर पूर्व क्षेत्र में | | | | मणिपुर | 181.27 |
| केंद्रीय एनएसएस प्रतिदर्श कार्य के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को सहायता | 2200.00 | 2200 | 867.06 | मिजोरम | 56.33 |
| अनुदान) | | | | सिक्किम | 90.79 |
| | | | | त्रिपुरा | 221.00 |
| (ख) सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता | 500.00 | 500 | - | | |
| 2. आईएसआई कोलकाता को सहायता अनुदान | 2242.00 | 2242.00 | 534.54 | | |
| कुल योग | 4942.00 | 4942.00 | 1401.60 | | |

<u>अनुबंध- IV</u>

अधिसंरचनात्मक क्षेत्र निष्पादन मुख्य-मुख्य बातें अप्रैल – सितंबर 2019

और गत तीन वर्षों (अप्रैल-सितंबर) की अवधि के दौरान प्राप्त वृद्धि

| Ī | | उपलब्धि | | | | वृद्धि प्रतिशत | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | अप्रैल - | अप्रैल - | अप्रैल - | अप्रैल - | अप्रैल - | अप्रैल | अप्रैल | अप्रैल - | अप्रैल |
| | सितंबर | सितंबर | सितंबर | सितंबर | सितंबर | - | - | सितंबर | - |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | सितंबर | सितंबर | 2018 | सितंबर |
| | | | | | | 2016 | 2017 | | 2019 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| विद्युत (बीयु) | 593.677 | 631.749 | 667.864 | 709.141 | 737.199 | 6.41 | 5.72 | 6.18 | 3.96 |
| कोयला (एमटी) | 275.804 | 278.111 | 281.305 | 311.049 | 299.306 | 0.84 | 1.15 | 10.57 | -3.78 |
| इस्पात (तैयार | | | | | | | | | |
| इस्पात) (एमटी) | 50.933 | 56.319 | 61.332 | 49.242 | 51.821 | 10.57 | 8.90 | -19.71 | 5.24 |
| सीमेंट (एमटी) | 137.64 | 143.79 | 148.33 | 162.49 | 163.53 | 4.47 | 3.16 | 9.55 | 0.64 |
| उर्वरक (एमटी) | 8.592 | 8.957 | 8.870 | 8.846 | 8.972 | 4.24 | -0.97 | -0.27 | 1.42 |
| पेट्रोलियम | | | | | | | | | |
| i) कच्चा तेल | | | | | | | | | |
| (एमटी) | 18.680 | 18.064 | 18.025 | 17.409 | 16.372 | -3.30 | -0.22 | -3.42 | -5.96 |
| ii) रिफाइनरी | | | | | | | | | |
| (एमटी) | 112.601 | 121.503 | 122.497 | 128.658 | 125.728 | 7.91 | 0.82 | 5.03 | -2.28 |
| iii) प्राकृतिक गैस | | | | | | | | | |
| (एमसीएम) | 16449 | 15724 | 16413 | 16254 | 16005 | -4.41 | 4.38 | -0.97 | -1.53 |
| सड़कें # | | | | | | | | | |
| राजमार्गों को चौड़ा | | | | | | | | | |
| करना एवं | | | | | | | | | |
| सुदृढीकरण | | | | | | | | | |
| i) एनएचएआई | | | | | | | | | |
| (कि.मी) | 899.00 | 985.00 | 1110.00 | 1363.00 | 1700.00 | 9.57 | 12.69 | 22.79 | 24.72 |
| • | | | | | | | | | |
| तथा | | | | | | | | | |
| बीआरओ(कि.मी) | | | | | | | | | |
| | 545.52 | 1012.79 | 1502.94 | 2276.14 | 2426.00 | 85.66 | 48.40 | 51.45 | 6.58 |
| F F F G G G G G G G | वेद्युत (बीयु) कोयला (एमटी) इस्पात (तैयार इस्पात) (एमटी) छर्वरक (एमटी) छर्वरक (एमटी) और्ट्रोलियम) कच्चा तेल (एमटी) ii) रिफाइनरी (एमटी) iii) प्राकृतिक गैस (एमसीएम) सड़कें # राजमार्गों को चौड़ा करना एवं सुदृढीकरण) एनएचएआई कि.मी) i) राज्य पीडब्ल्यूडी | विद्युत (बीयु) 593.677 कोयला (एमटी) 275.804 इस्पात (तैयार इस्पात) (एमटी) 50.933 सीमेंट (एमटी) 137.64 उर्वरक (एमटी) 8.592 नेट्रोलियम) कच्चा तेल (एमटी) 18.680 हो रिफाइनरी (एमटी) 112.601 हो प्राकृतिक गैस (एमसीएम) 16449 सड़कें # साजमार्गों को चौड़ा करना एवं सुद्दिकरण) एनएचएआई कि.मी) 899.00 हो राज्य पीडब्ल्यूडी तथा | विद्युत (बीयु) 593.677 631.749 कोयला (एमटी) 275.804 278.111 इस्पात (तैयार इस्पात) (एमटी) 50.933 56.319 सीमेंट (एमटी) 137.64 143.79 उर्वरक (एमटी) 8.592 8.957 वेट्रोलियम) कच्चा तेल (एमटी) 18.680 18.064 हिंदिन हों | विद्युत (बीयु) 593.677 631.749 667.864 कोयला (एमटी) 275.804 278.111 281.305 इस्पात (तैयार इस्पात) (एमटी) 50.933 56.319 61.332 सीमेंट (एमटी) 137.64 143.79 148.33 उर्वरक (एमटी) 8.592 8.957 8.870 विट्रोलियम (एमटी) 18.680 18.064 18.025 हिंदीलियम (एमटी) 112.601 121.503 122.497 हिंदीलियम (एमटी) 112.601 121.503 122.497 हिंदीलियम (एमटी) 16449 15724 16413 सड़कें # (एमसीएम) 16449 15724 16413 सड़कें # (एमपटी) 15724 16413 हिंदीलरण (एमटी) 15724 16413 हिंदीलर | विद्युत (बीयु) 593.677 631.749 667.864 709.141 कोयला (एमटी) 275.804 278.111 281.305 311.049 इस्पात (तैयार इस्पात) (एमटी) 50.933 56.319 61.332 49.242 सीमेंट (एमटी) 137.64 143.79 148.33 162.49 उर्वरक (एमटी) 8.592 8.957 8.870 8.846 वेट्रोलियम) कच्चा तेल एपमटी) 18.680 18.064 18.025 17.409 वं एपमटी) 112.601 121.503 122.497 128.658 वं एपमटी) 112.601 121.503 122.497 128.658 वं एपमटी) 16449 15724 16413 16254 सइकें # एपमटीएमी वं वं एपमटीएमी वं वं वं एपमटीएमी वं वं वं एपमटीएमी वं वं वं एपमटीएमी वं वं वं वं एपमटीएमी वं वं वं प्रमुख वं प्रमुख वं वं प्रमुख वं | विद्युत (बीयु) 593.677 631.749 667.864 709.141 737.199 कीयला (एमटी) 275.804 278.111 281.305 311.049 299.306 इस्पात (तैयार इस्पात) (एमटी) 50.933 56.319 61.332 49.242 51.821 सीमेंट (एमटी) 137.64 143.79 148.33 162.49 163.53 उर्वरक (एमटी) 8.592 8.957 8.870 8.846 8.972 विट्रोलियम) कच्चा तेल एमटी) 18.680 18.064 18.025 17.409 16.372 (एमटी) 112.601 121.503 122.497 128.658 125.728 (एमटी) 112.601 15724 16413 16254 16005 सइकें # (एमसीएम) 16449 15724 16413 16254 16005 सइकें # (एमचएचएआई कि.मी) 899.00 985.00 1110.00 1363.00 1700.00 (i) राज्य पीडब्ल्यूडी तथा वीआरओ(कि.मी) | विद्युत (बीयु) 593.677 631.749 667.864 709.141 737.199 6.41 को सला (एमटी) 275.804 278.111 281.305 311.049 299.306 0.84 इस्पात (तैयार इस्पात (तैयार इस्पात) (एमटी) 50.933 56.319 61.332 49.242 51.821 10.57 विर्मिट (एमटी) 137.64 143.79 148.33 162.49 163.53 4.47 विर्मिट (एमटी) 8.592 8.957 8.870 8.846 8.972 4.24 विर्मिट (एमटी) 18.680 18.064 18.025 17.409 16.372 -3.30 विर्मिट (एमटी) 112.601 121.503 122.497 128.658 125.728 7.91 विरम्भ (एमटी) 16449 15724 16413 16254 16005 -4.41 विरम्भ (एमटीएम) 16449 15724 16413 16254 16005 -4.41 विरम्भ (एमटीएम) 16449 15724 16413 16254 16005 -4.41 विरम्भ (एमटीएम) 16449 15724 16413 16254 16005 -4.50 विरम्भ (एमटीएम) 16449 15724 16413 16254 16005 -4.50 विरम्भ (एमटीएम) 16449 15724 16413 16254 16005 -4.50 विरम्भ (एमटीएम) 16524 16005 -4.50 विरम्भ (एमटीएम) 16524 1653 16005 -4.50 विरम्भ (एमटीएम) 1653 1653 1653 1653 1653 1653 1653 1653 | विद्युत (बीयु) 593.677 631.749 667.864 709.141 737.199 6.41 5.72 कोयला (एमटी) 275.804 278.111 281.305 311.049 299.306 0.84 1.15 इस्पात (तैयार इस्पात) (एमटी) 50.933 56.319 61.332 49.242 51.821 10.57 8.90 कीमेंट (एमटी) 137.64 143.79 148.33 162.49 163.53 4.47 3.16 उर्वरक (एमटी) 8.592 8.957 8.870 8.846 8.972 4.24 -0.97 वेट्रोलियम विद्युत्त किया विद्युत विद्युत्त किया विद्युत विद्युत्त किया विद्युत विद्युत्त किया विद्युत्त किया विद्युत्त किया विद्युत विद | विदयुत (बीयु) 593.677 631.749 667.864 709.141 737.199 6.41 5.72 6.18 कीयता (एमटी) 275.804 278.111 281.305 311.049 299.306 0.84 1.15 10.57 इस्पात (तैयार इस्पात) (एमटी) 50.933 56.319 61.332 49.242 51.821 10.57 8.90 -19.71 वीमेंट (एमटी) 137.64 143.79 148.33 162.49 163.53 4.47 3.16 9.55 उर्वरक (एमटी) 8.592 8.957 8.870 8.846 8.972 4.24 -0.97 -0.27 वेट्रोलियम) कच्चा तेल (एमटी) 18.680 18.064 18.025 17.409 16.372 -3.30 -0.22 -3.42 (एमटी) 112.601 121.503 122.497 128.658 125.728 7.91 0.82 5.03 (एमटी) 112.601 15724 16413 16254 16005 -4.41 4.38 -0.97 सड़कें # (एमटी) 15724 16413 16254 16005 -4.41 4.38 -0.97 (एमटी) एमटिएक्टीकरण) एमटिएक्टीकरण 110.00 1363.00 1700.00 9.57 12.69 22.79 110.00 पीडब्ल्यूडी तथा वीआरओ(कि.मी) |

| 8 | अर्जित रेलवे राजस्व | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-------|--------|----------|-------|
| _ | माल भाड़ा | | | | | | | | | |
| | आवाजाही (एमटी) | 540.99 | 532.32 | 559.23 | 589.31 | 586.96 | -1.60 | 5.06 | 5.38 | -0.40 |
| | पोत परिवहन एवं | 040.00 | 002.02 | 000.20 | 000.01 | 000.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 |
| 9 | पत्तन | | | | | | | | | |
| 9 | i) प्रमुख पत्तनों पर | | | | | | | | | |
| | ा) प्रमुख पत्तना पर संचालित कार्गी | | | | | | | | | |
| | (एमटी) | 299.954 | 316.142 | 326.535 | 343.378 | 348.445 | 5.40 | 3.29 | 5.16 | 1.48 |
| | | 299.904 | 310.142 | 320.333 | 343.376 | 346.443 | 5.40 | 3.29 | 5.10 | 1.40 |
| | ii) प्रमुख पत्त्नों पर संचालित कोयला | | | | | | | | | |
| | | 75 000 | 70.000 | 0F 700 | 77 440 | 74 400 | 0.00 | 10.40 | 47.00 | 2.00 |
| 40 | (एमटी) | 75.920 | 73.393 | 65.739 | 77.112 | 74.163 | -3.33 | 10.43 | 17.30 | -3.82 |
| 10 | नागर विमानन | | | | | | | | | |
| | i) प्रमुख विमान | | | | | | | | | |
| | पत्तन पर संचालित | | | | | | | | | |
| | निर्यात कार्गो (टन) | 493220 | 541933 | 629821 | 638566 | 620916 | 9.88 | 16.22 | 1.39 | -2.76 |
| | ii प्रमुख विमान | | | | | | | | | |
| | पत्तन पर | | | | | | | | | |
| | (टन)संचालित | | | | | | | | | - |
| | आयात कार्गी | 338887 | 358123 | 441535 | 482115 | 414087 | 5.68 | 23.29 | 9.19 | 14.11 |
| | iii) अंतर्राष्ट्रीय | | | | | | | | | |
| | टर्मिनल पर यात्रियों | | | | | | | | | |
| | की आवाजाही (लाख) | 262.492 | 287.365 | 313.973 | 337.513 | 337.257 | 9.48 | 9.26 | 7.50 | -0.08 |
| | iv अंतर्राज्यीय | | | | | | | | | |
| | टर्मिनल परयात्रियों | | | | | | | | | |
| | की आवाजाही (लाख) | 797.001 | 981.117 | 1138.775 | 1357.050 | 1362.547 | 23.10 | 16.07 | 19.17 | 0.41 |
| 11 | दूरसंचार | | | | | | | | | |
| | i) स्विचिंग क्षमता | | | | | | | | | |
| | में वृद्धि(फिक्सड | | | | | | | | | |
| | प्लस | | | | | | | | | |
| | वॉयरलेस=जीएसएम) | 2580.645 | 2039.822 | -759.687 | -1415.538 | 1852.943 | - | - | - | - |
| | ii) न्यू नेट | | | | | | | | | |
| | फिक्सड/वायरलाइन | | | | | | | | | |
| | कनेक्शन ('000 नं.) | -640.498 | -701.304 | -730.200 | -697.961 | -1062.655 | - | _ | - | - |
| | iii) न्यू नेट सेलफोन | | | | | | | | | |
| | (वायरलेस+जीएसएस) | | | | | | | | | |
| | कनेक्शन ('000 नं.) | 26026.856 | 27560.257 | 129.591 | -19483.565 | 11901.112 | 5.89 | -99.53 | 15134.66 | _ |
| | ` ` ` ` | 1 | | | ~ ^ | I | | 1 | l . | |

बीयु : बिलियन यूनिट एमसीएम : मिलियन क्यूबिक मीटर

एमटी: मिलियन टन कि.मी. : किलोमीटर

: इसमें केवल चार/छठ/आठ लेन और दो लेन बनाकर चौड़ा करना तथा मौजूदा कमजोर मार्गों का सुदृढ़ीकरण शामिल है।

| 2 | 019-20 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत व | ाली पूरी की ग | ई परियोजनाओं की ग | गाह-वार सूची |
|-----------|--|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| क्र. सं. | परियोजना का नाम | <i>मूल लागत</i> (₹ करोड़) | शुरू करने की मूल तारीख | संचयी व्यय (₹ करोड़) |
| | अप्रैल 2019 | | | |
| कोयला | | | | |
| | निगाही ओसी विस्तार परियोजना 10 एमटीवाई से | | | |
| 1 | 15 एमटीवाई, सिंगरूली (नॉर्थन कोल फील्ड्स | 259.40 | 03/2012 | 266.38 |
| | लिमिटेड)-[एन6000033] | | | |
| | खादिया विस्तार ओपनकास्ट परियोजना (4 से 10 | | | |
| 2 | एमटीपीए, 6 एमटीपीए संवर्द्धित) (नॉर्थन कोल | 1,131.28 | 03/2018 | 796.85 |
| | फील्ड्स लिमिटेड)- [एन6000091] | | | |
| पेट्रोलिय | | | | |
| 3 | हलदिया रिफ़ाइनेरी में डिस्टिलेट यील्ड सुधार परियोजना (कोकर) (इंडियन ऑइल कॉरप्रेशन लिमिटेड) - [एन16000175)] | 3,076.00 | 09/2017 | 3,450.30 |
| विद्युत | | | | |
| 4 | बोंगाईगाँव ताप विद्युत परियोजना (नेशनल थर्मल पावर कॉरप्रेशन) - [एन18000041] | 4,375.35 | 10/2011 | 7,000.00 |
| 5 | त्रिपुरा गैस आधारित विद्युत परियोजना (नॉर्थ ईस्ट इलक्ट्रिक पावर कॉरप्रेशन) - [एन18000071] | 421.01 | 07/2013 | 963.23 |
| रेलवे | | | | |
| 6 | जयपुर –रींगस –चुरू और सीकर –लोहारु गेज रूपान्तरण (एनडबल्यूआर) (उत्तर पश्चिमी रेलवे) [एन22000113] | 653.19 | 03/2014 | 862.17 |
| सड़क पा | रेवहन तथा राजमार्ग | | | |
| 7 | पीएस के साथ दो/चार लाइन के लिए एनएच-15 के फलोदी–जैसलमेर अनुभाग (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)– [एन24000357] | 567.51 | 03/2018 | 421.60 |
| | मई 2019 | | | |
| कोयला | | | | |
| 8 | मकरधोकरा I ओसी (वेस्टेन कॉल फील्ड्स लिमिटेड) [एन 16000119] | 266.23 | 03/2021 | 144.38 |
| पेट्रोलिय | म | | | |
| 9 | 12 अपतटीय आपूर्ति जलपोतों का निर्माण (ओएसवी) (ऑइल और नैचुरल गैस कोर्पोशन लिमिटेड) [एन16000290] | 736.65 | 09/2011 | 331.47 |

| 10 | मुक्ता पेय केंद्रीय क्षेत्रीय परियोजनाओं के उपयोग करने के लिए एनडबल्यू बी -173 ए विकास (ऑइल और नैचुरल गैस कोर्पोशन लिमिटेड) [एन16000290] | 474.15 | 05/2019 | 348.64 |
|---------|---|-----------|---------|-----------|
| विद्युत | | | | |
| 11 | पश्चिमी क्षेत्रीय सुदृढ़ीकरण योजना–v (पावर ग्रिड कोर्पोशन ऑफ इंडिया] [एन18000035] | 477.69 | 09/2010 | 691.96 |
| 12 | कुड्गी एसटीपीपी चरण 1(नेशनल थर्मल पावर कोर्पोरेशन –(एन180000131) | 15,166.19 | 01/2017 | 15,364.00 |
| 13 | सोलापूर एसटीपीपी (नेशनल थर्मल पावर कोर्पोरेशन) [एन18000133] | 9,395.18 | 01/2017 | 8,617.00 |
| 14 | उत्तरी क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXX(पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) [एन18000158] | 539.82 | 06/2016 | 434.33 |
| 15 | एफ़जीयूटीपीपी ऊंचाहार चरण–IV(1x500एमडबल्यू) (नेशनल थर्मल पावर कोर्पोरेशन) [एन18000174] | 3,363.12 | 12/2016 | 2,244.00 |
| 16 | नबीनगर–॥ टीआईपीएस के लिए संबंधित पारेषण प्रणाली (पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया) [एन18000222] | 790.13 | 06/2019 | 575.24 |
| सड़क प | रिवहन और राजमार्ग | | | |
| 17 | कुडप्पा–मैदुकुर–कुरनूल 167.750 किमी -356.502 किमी पीपीपी (बीओटी) [एन 24000145] | 1,585.00 | 05/2013 | 2,023.33 |
| 18 | जोरबत–बरपनी पीपीपी (अन्न्युटी) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधीकरण)[एन24000180] | 536.00 | 01/2014 | 845.41 |
| 19 | राष्ट्रीय राजमार्ग-365 के पुनर्वास और उन्नयन 72.600 किमी से 121.00 किमी (थनमछेरला से जमंदलपल्ली ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग)[एन24000241] | 177.18 | 03/2016 | 40.51 |
| 20 | राष्ट्रीय राजमार्ग-365 के पुनर्वास और उन्नयन 154.00 किमी से 187.00 किमी(मंगलवारपेट से मल्लापिलली अनुभाग ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) एन240000242] | 158.65 | 03/2016 | 103.50 |
| 21 | राष्ट्रीय राजमार्ग-222 के यान से निर्मल पुनर्वास और उन्नयन (कलक्षन)टीडबल्यू ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन240000243] | 244.08 | 03/2016 | 38.32 |
| 22 | राष्ट्रीय राजमार्ग-765 पुनर्वास और उन्नयन 23 किमी से 108 किमी (हैदराबाद से डिंडी अनुभाग टीडबल्यू ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन240000244] | 340.00 | 03/2016 | 2.00 |
| 23 | राष्ट्रीय राजमार्ग-221 के पुनर्वास और उन्नयन 71/2 से 121/0 तक (विजयवाड़ा–जगदलपूर टीडबल्यू ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन240000246] | 244.30 | 12/2016 | 2.00 |

| | _ | | | |
|----|--|--------|---------|--------|
| 24 | राष्ट्रीय राजमार्ग -202 पर अप्रोच रोड सहित वेंकटपुरम के पास गोदावरी नदी पल के निर्माण (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन240000249] | 218.31 | 12/2015 | 208.28 |
| 25 | राष्ट्रीय राजमार्ग-222 (61) के पुनर्वास और उन्नयन 284 से 337 तक (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना [एन240000250] | 260.39 | 11/2016 | 188.00 |
| 26 | राष्ट्रीय राजमार्ग-222 (61) के पुनर्वास और उन्नयन 161.570 किमी से 211.00 तक ईपीसी (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना [एन240000255] | 220.72 | 11/2016 | 155.30 |
| 27 | राष्ट्रीय राजमार्ग -47 पर कोल्लम बाईपास पेव्ड शोल्डर्स के साथ 13.0 किमी 2 लाइन का निर्माण (नई एनएच-66)486/50 ईपीसी से (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन240000261] | 267.16 | 11/2017 | 308.33 |
| 28 | राष्ट्रीय राजमार्ग-221(राष्ट्रीय राजमार्ग-30) के पुनर्वास और उन्नयन 32.735 किमी से 71.200 (चंद्रगुदेम से ईपीसी (सड़क राजमार्ग तथा राजमार्ग विभाग)[एन24000262] | 201.12 | 02/2015 | 150.19 |
| 29 | राष्ट्रीय राजमार्ग-67 के पुनर्वास और उन्नयन 589/0 से 641/0(मैदुकूर से दोरनाला टी जेंक्शन (राज्य लोक निर्माण विभाग)[एन240000263] | 241.61 | 02/2017 | 178.94 |
| 30 | राष्ट्रीय राजमार्ग-67 के पुनर्वास और उन्नयन 695.000 किमी से 741.950 (अत्मकूर-नेल्लूर सेक्शन) ईपीसी में राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन240000265] | 297.78 | 02/2017 | 284.89 |
| 31 | राष्ट्रीय राजमार्ग-565 के पुनर्वास और उन्नयन 425.400 किमी से 509.400 पेंचालकोना से येरपेडु (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन240000266] | 361.30 | 07/2014 | 203.29 |
| 32 | राष्ट्रीय राजमार्ग-565 के पुनर्वास और उन्नयन 294.00 किमी से 361.327 (वेगमपल्ले –दोर्नाला टी जंक्शन (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन240000267] | 258.99 | 07/2014 | 200.44 |
| 33 | राष्ट्रीय राजमार्ग-67 के पुनर्वास और उन्नयन 641.000 किमी से 695.000 (दोर्नाला टी जंक्शन से अत्मकूर सेक्शन ईपीसी(राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन240000268] | 251.55 | 02/2015 | 172.65 |
| 34 | राष्ट्रीय राजमार्ग-18 के पुनर्वास और उन्नयन 57/0 किमी से 108/850 पिलेरू से रायचोटी सेक्शन ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन240000269] | 175.03 | - | 152.53 |
| 35 | राष्ट्रीय राजमार्ग 42 के पुनर्वास और उन्नयन 134.000 किमी से 202/050 (मुदिगुब्बा से अनंथप ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन240000272] | 266.00 | - | 182.13 |
| 36 | राष्ट्रीय राजमार्ग-221 (नई एनएच-30) के पुनर्वास और उन्नयन 0.00 किमी से 32.735 (इब्रहीमपट्टनम से चंद्र ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन24000273] | 314.43 | - | 216.96 |

| | | | 1 | |
|----|---|--------|---------|--------|
| 37 | सिरोंचा मद दर के बीच में मिसिंग लिंक के लिए गोदावरी नदी और इसके आसपास एलएच पुल का निर्माण (सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय) - [एन24000277] | 185.82 | - | 142.23 |
| 38 | राष्ट्रीय राजमार्ग-43 का पुनर्वास और उन्नयन धमतरी–कंकेर सेक्शन 81.500-किमी 130.00 किमी(राज्य लोक निर्माण विभाग) - [एन24000278] | 213.47 | 03/2015 | 182.91 |
| 39 | राष्ट्रीय राजमार्ग-43 का एनएचडीपी -IV के तहत(बेदमा –दहिकोंडा) पुनर्वास और उन्नयन 180.00 किमी से 241.00 ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन240000279] | 298.34 | 03/2015 | 269.93 |
| 40 | राष्ट्रीय राजमार्ग-43 का पुनर्वास और उन्नयन 241.000 किमी से 298.000 किमी(दहीकोंडा से जगदलपुर) एनएचडीपी-1 के अंतर्गत ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) - [एन24000280] | 262.54 | 03/2015 | 215.11 |
| 41 | राष्ट्रीय राजमार्ग-63 (पुराना एनएच- मद दर)का 28700-292.00, 322.00-342.00 और 352.00- 400.00 किमी तक 2 लाइन का निर्माण - (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन24000283] | 169.26 | 12/2012 | 280.72 |
| 42 | राष्ट्रीय राजमार्ग-565 के पुनर्वास और उन्नयन 154.900 किमी से 198.694 दवुलापल्ली से ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) - [एन24000284] | 170.21 | 11/2014 | 140.09 |
| 43 | राष्ट्रीय राजमार्ग-12 क के पुनर्वास और उन्नयन 246.849 किमी से 317.406 6 कवर्धा –सिंगा जंक्शन ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन240000286] | 394.20 | - | 332.62 |
| 44 | राष्ट्रीय राजमार्ग-64 के पुनर्वास और उन्नयन 0.00 किमी से 28.110 (जिरकपूर से पटियाला सेक्शन ईपीसी (सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय) - [एन24000288] | 422.34 | - | 406.40 |
| 45 | राष्ट्रीय राजमार्ग- 64 के पुनर्वास और उन्नयन 28.110 किमी से 50.000 (जिरकपूर से पटियाला सेक्शन ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन240000289] | 435.90 | - | 380.41 |
| 46 | राष्ट्रीय राजमार्ग-6 के पुनर्वास और चौढ़ीकरण 50/0 किमी से 69/280 मौजूदा पटियाला बाईपास से ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन24000290] | 279.68 | - | 286.96 |

| 47 | राष्ट्रीय राजमार्ग-71(नई एनएच -52) के संगरूर से दोगलकलन पेव्ड शोल्डर्स के साथ 4 लाइनिंग 181.805 किमी से ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन24000291] | 463.65 | - | 536.84 |
|----|---|--------|---------|--------|
| 48 | राष्ट्रीय राजमार्ग-71(नया एनएच -52) के पेव्ड शोल्डर्स के साथ 4 लाइनिंग दोगल कलाँ से पंजाब /हरियाणा सीमा ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन240000292] | 573.96 | - | 557.08 |
| 49 | राष्ट्रीय राजमार्ग-214(नए राष्ट्रीय राजमार्ग -216) के पुनर्वास और उन्नयन 26.150 किमी (कत्तीपुड़ी से शुरू ईपीसी (सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय) [एन24000293] | 480.21 | - | 372.37 |
| 50 | मौजूद राष्ट्रीय राजमार्ग-167 के पुनर्वास और उन्नयन 70/000 किमी से 125-150 ईपीसी (राज्य के लोक निर्माण विभाग) [एन24000299] | 224.83 | 05/2015 | 189.85 |
| 51 | राष्ट्रीय राजमार्ग -42 के पुनर्वास और उन्नयन 4 किमी से 75 तक 350से 600 तक पेव्ड शोल्डर्स के साथ दो लाइन ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) [2424000300] | 309.01 | 09/2015 | 391.89 |
| 52 | राष्ट्रीय राजमार्ग -565 के पुनर्वास और उन्नयन एच - 198 / 694 से 294/0 तक (मरकापुरम से वेगगमपल्ले सेक्शन ईपीसी) (राज्य लोक निर्माण विभाग) - [एन24000303] | 417.61 | 06/2014 | 261.29 |
| 53 | मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग -78 कतनी से उमरिया सेक्शन 0 से 68/4 ईपीसी (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना) - [एन24000310] | 377.83 | 07/2017 | 318.66 |
| 54 | उदयपुर –सबरूम सेक्शन के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लाइनिंग के लिए सुधार /चौडीकरण 55.00 किमी से ईपीसी (राष्ट्रीय राजमार्गों और अवसंरचनात्मक विकास निगम लिमिटेड) - [एन24000329] | 497.89 | 04/2017 | 735.92 |
| 55 | राष्ट्रीय राजमार्ग -56 (231) के बबतपूर –वराणसी सेक्शन 263.00 से 280.25 (ईपीसी मोड) ईपीसी (सड़क परिवहन और राजमार्गों का मंत्रालय) - [एन24000330] | 629.74 | - | 721.04 |
| 56 | राष्ट्रीय राजमार्ग -96 के पेव्ड शोल्डर्स के साथ केएम में प्रशस्त शूल के प्रसार के साथ मजबूत। का 330.4 से 46.470 (330) ईपीसी मोड ईपीसी (सड़क परिवहन और राजमार्ग का मंत्रालय) - [एन24000336] | 227.74 | 10/2016 | 187.85 |

| 57 | प्रतापगढ़-पाड़ी के पेव्ड़ शोल्डर्स के विन्यास के साथ 2 लाइनों /2 लाइन के पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्गों के मंत्रालय) [एन24000369] | 269.26 | 10/2016 | 212.72 |
|----|---|----------|---------|----------|
| | , , , , , | | | |
| 58 | राष्ट्रीय राजमार्ग -64 (नई -07)के संगुर बाइपास से तापा के अंतिम भाग तक पेव्ड़ साइड शोल्डर्स के साथ 4 ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन24000370] | 483.38 | - | 470.16 |
| 59 | राष्ट्रीय राजमार्ग -64 (नई एनएच -07) के तापा से बाटिन्डा ले लिए पेव्ड शोल्डर्स के साथ 4 लाइन मौजूदा 168 / 0 किमी ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) - [एन24000372] | 616.36 | - | 554.68 |
| 60 | राष्ट्रीय राजमार्ग -64 के संगरूर बाइपास सेक्शन के शुरूवाद से पटियाला बाइपास के अंत तक पेव्ड साइड शोल्डर्स के साथ 4 लाइन ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) - [एन24000374] | 486.74 | 1 | 415.58 |
| 61 | उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग -28 सी बाहराइच बाईपास से रुपाईधा सेक्शन 99 किमी से 150 किमी ईपीसी(राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना) - [एन24000377] | 397.04 | 10/2016 | 368.49 |
| 62 | उत्तर प्रदेश बीओटी में राष्ट्रीय राजमार्ग -12 के बोरा – राजस्थान सीमा (2एल) (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना) - [एन24000381] | 257.80 | 02/2016 | 59.30 |
| 63 | राष्ट्रीय राजमार्ग -15 के हरिके बाईपास के पेव्ड शोल्डर्स के साथ 4 लाइन का निर्माण -158.350 किमी से 166.925 किमी - (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना) [एन24000383] | 312.79 | - | 258.86 |
| 64 | संगरूर बाईपास (मौजूदा 106.170 किमी से 116.950 किमी तक) और दानौला बाइपास ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) - [एन 24000384] | 319.80 | - | 289.40 |
| 65 | अरुणाचल प्रदेश में चरण- कमद दर के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग -52 ए के इटानगर –होलोंगी सेक्शन के चार लाइनिंग (19.26 किमी) - [एन24000387] | 264.16 | - | 533.18 |
| 66 | राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के शिल्लोंग नोंगस्टोइन सेक्शन और एसए मद दर के चरण क के अंतर्गत नोंगस्टोइन तूरा के दो लाइनिंग (राज्य लोक निर्माण विभाग) - [एन24000390] | 1,494.48 | 02/2011 | 2,158.50 |

| | | | | Г |
|----|--|--------|---------|--------|
| 67 | उत्तर प्रदेश ईपीसी में राष्ट्रीय राजमार्ग -27 के इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश / मध्य प्रदेश सीमा अनुभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना) - [एन24000393] | 774.57 | 03/2018 | 613.58 |
| 68 | मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग -78 के शाहदोल से अनुपपुर-मध्यप्रदेश /छत्तीसगढ़ सीमा सेक्शन 142/200 किमी से 245/0 ईपीसी (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना) - [एन24000394] | 532.49 | 05/2017 | 386.02 |
| 69 | उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग -28 सी जरवाल सेक्शन के निकट 13 एमडीआर के साथ बाराबंकी से जंक्शन ईपीसी (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना) – [एन 24000399] | 317.76 | 03/2017 | 344.30 |
| 70 | उत्तर प्रदेश में एनएच -28 सी जारवाल से बहराइच सेक्शन के निकट एमडीआर-13 के साथ जंक्शन (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना) - (एन24000403] | 283.45 | 10/2016 | 285.18 |
| 71 | राष्ट्रीय राजमार्ग-71 केई तल्लेवाल –बर्नाला सेक्शन के पेव्ड शोल्डर्स के साथ चार लाइन के विकास ,मौजूदा केएम ईपीसी (राज्य लोक निर्माण विभाग) - [एन 24000404] | 578.38 | - | 481.30 |
| 72 | अमृतसर ईपीसी के पेव्ड़ शोल्डर्स के साथ चार लाइन के लिए मौजूदा दो लाइन कारेजवेय के चौडीकरण और सुदृढ़ीकरण (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन24000405] | 789.83 | - | 608.55 |
| 73 | ललसोट –करौली मद दर के विन्यास के साथ पेव्ड शोल्डर्स के साथ 2 लाइनों /2 लाइन के पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्गों के मंत्रालय) [एन24000406] | 208.87 | 05/2016 | 206.78 |
| 74 | मद दर से पुलों के पुनर्वास और उन्नयन सहित पेव्ड शोल्डर्स के सुदृढ़ीकरण और निर्माण (राज्य के लोक निर्माण विभाग)- [एन24000409] | 176.22 | 02/2018 | 0.10 |
| 75 | मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग -12क के मंडला –चिल्पी सेक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग -12क के 89/6 से 192/4 किमी ईपीसी के क्षेत्र में (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना - [एन24000410] | 641.02 | 12/2017 | 449.66 |
| 76 | राष्ट्रीय राजमार्ग -167 के पुनर्वास और उन्नयन 70 किमी से ईएसआई (राज्य लोक निर्माण विभाग) - [एन24000416] | 224.83 | 04/2015 | 189.85 |

| 77 | उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-29ई के सोनौली से गोरखपुर सेक्शन 80 किमी ईपीसी (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना) - [एन24000418] | 493.94 | 03/2017 | 503.25 |
|----|---|--------|---------|--------|
| 78 | अरुणाचल प्रदेश के तहत अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 229 (19.06िकमी) के होज पोटीन सेक्शन के दो लाइनिंग मद दर (राज्य के लोक निर्माण विभाग) - [एन24000419] | 165.00 | 09/2010 | 174.57 |
| 79 | मद दर के अरुणाचल प्रदेश पैकेज के तहत अरुणाचल प्रदेश में यूपिया –होज सेक्शन (20.40किमी) के दो लाइनिंग (राज्य के लोक निर्माण विभाग)- [एन24000420] | 104.00 | 09/2010 | 218.29 |
| 80 | राष्ट्रीय राजमार्ग -229 के पसीघट से पैनगिन अनुभाग के लिए 2 लेनिंग ईपीसी (राष्ट्रीय राजमार्ग और विकास निगम लिमिटेड) 28 किमी - [एन24000421] | 235.08 | 05/2018 | 235.08 |
| 81 | मध्यप्रदेश बीओटी(टोल) में राष्ट्रीय राजमार्ग -7 के बेला (रीवा)-मध्य प्रदेश /उत्तर प्रदेश सीमा (4एल) (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना) - [एन24000447] | 670.82 | 02/2015 | 590.00 |
| 82 | मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग -12 क केजबलपूर – बरेला सेक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग -7 के 477/6 किमी और राष्ट्रीय राजमार्ग -12 क के 22/8 (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना) - [एन24000474] | 327.32 | 05/2017 | 301.41 |
| 83 | राष्ट्रीय राजमार्ग -1 अतिरिक्त ढांचा और सर्विस रोड के निर्माण द्वारा अमृतसर बाईपास का विस्तार (भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000476] | 273.06 | - | 199.72 |
| 84 | राष्ट्रीय राजमार्ग -730 (ईपीसी मोड) ईपीसी (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) 505.00 किमी से 538.00 किमी तक की चौडीकरण और सुदृढ़ीकरण - [एन24000512] | 207.88 | - | 179.58 |
| 85 | फ़रीदकोट –केओ के पेव्ड साइड शोल्डर्स के साथ चार लाइन के लिए मौजूदा दो लाइन कारेजवेय का सुदृढ़ चौडीकरण (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन24000526] | 899.21 | - | 748.74 |
| 86 | राष्ट्रीय राजमार्ग -730 505.00 किमी से 538.00 किमी तक की चौडीकरण और सुदृढ़ीकरण - (ईपीसी मोड) ईपीसी (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) - [एन24000529] | 207.88 | - | 179.58 |

| 87 | अनीश के विन्यास और सुदृढ़ीकरण के लिए पेव्ड़ शोल्डर्स के साथ 2 लाइन के लिए पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) - [24000536] | 377.64 | 03/2014 | 755.28 |
|-------|---|--------|---------|--------|
| 88 | ईपीसी मोड पर एनएचडीपी –IV के तहत राष्ट्री प्राधिकरण -222 101.00 किमी से 161.570 किमी तक की पुनर्वास और उन्नयन (राज्य के लोक निर्माण विभाग) - [एन24000538] | 292.98 | 11/2014 | 160.96 |
| 89 | एनएस-60 नागपूर-हैदराबाद सेक्शन के 94.000 किमी से 123.000 किमी तक चार लाइनिंग के शेष कार्य (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000561] | 244.00 | 07/2018 | 231.90 |
| 90 | अनीसाबाद –औरंग के पेव्ड शोल्डर्स विन्यास के साथ 2 लाइनों /2 लाइन पुनर्वास और उन्नयन (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) - [एन24000573] | 322.01 | 08/2014 | 267.00 |
| 91 | राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग -52 ख के चंगलांग जिला सीमा –खोंसा (42.844किमी) के दो लाइनिंग (राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड) - [एन24000615] | 334.22 | 06/2016 | 334.22 |
| 92 | पेव्ड शोल्डर्स के साथ मौजूदा दो लाइन कारेजवेय का सुदृढीकरण और चौडीकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)256.8 किमी [एन24000647] | 162.51 | 05/2016 | 136.31 |
| 93 | राष्ट्रीय राजमार्ग -86 पर पेव्ह शोल्डर्स के साथ 2 लाइन का चौडीकरण और 88 किमी से 130 किमी तक सुदृढ़ीकरण - (राज्य लोक निर्माण विभाग) [एन24000856] | 170.00 | 02/2015 | 115.57 |
| 94 | राष्ट्रीय राजमार्ग -730 से 2 किमी 82.00 किमी से 38.00 किमी पूरनपुर –खुटर के पुनर्वास और उन्नयन - (राज्य लोक निर्माण विभाग) - [24001142] | 225.96 | 06/2018 | 174.63 |
| | जून 2019 | | | |
| रेलवे | | | | |
| 95 | गुणा –इटावा वाया शिवपुरी –ग्वालियर –भिंड एनएल (एनसीआर) (उत्तरी मध्य रेलवे) - [एन220100007] | 158.77 | 03/1994 | 682.34 |
| 96 | अमरावती –नारखेर एनएल (सीआर) (केंद्रीय रेलवे) - [एन220100118] | 663.01 | 06/1999 | 726.33 |
| 97 | कालिकट-मंगलौर (डीएल) (एसआर) (दक्षिण रेलवे)- [220100151] | 240.00 | - | 0.01 |

| 98 | मंदार हिल-डूमका-रामपुराट (एनएल), ईआर (पूर्वी रेलवे)- [220100168] | 1,125.89 | 03/2016 | 1,180.08 |
|-----|---|----------|---------|----------|
| 99 | करूर-सेलम (एनएल), एसआर (दक्षिण रेलवे) - [220100191] | 155.55 | - | 863.54 |
| 100 | आगरा-इटावा वाया फतेहाबाद और बाह (एनएल) एनसीआर (उत्तर रेलवे) - [220100243] | 108.00 | 12/2009 | 455.39 |
| 101 | कटिहार - जोगबनी (जीसी) (एनईएफ़आर) (उत्तरी पूर्वीय तट रेलवे) - [220100247] | 792.46 | 12/2010 | 944.80 |
| 102 | कप्तान गंज-थावे-सीवान-छपरा यूजीसी (नेट) (उत्तर पूर्वी रेलवे) - [220100256] | 744.71 | - | 917.49 |
| 103 | कोल्लम –तिरुनलवेली -तेंकसी-विरुद्धनगर (एसआर) (जीसी) (दक्षिण रेलवे) - [220100263] | 280.00 | - | 942.28 |
| 104 | जिंड-सोनीपत (एनएल), एनआर (उत्तरी रेलवे) - [220100280] | 238.56 | 03/2012 | 785.75 |
| 105 | कोडरमा गिरीद (एनएल), ईसीआर (पूर्व केंद्रीय रेलवे) - [220100306] | 768.87 | - | 988.38 |
| 106 | महाराजगंज-मसराख (एनएल) - एनईआर (उत्तर पूर्वी रेलवे) - [220100316] | 218.19 | 06/2018 | 380.50 |
| 107 | ओबुलावरिपल्ले कृष्णपट्टनम (आरवीएनएल) (रेल विकास निगम लिमिटेड) - [एन22000049] | 732.81 | 03/2008 | 2,191.46 |
| 108 | डिंडीगुल –पोल्लाची -पालक्काड़-पोल्लाची और कोयंबतूर (दक्षिण रेलवे) - [एन22000080] | 343.17 | - | 1,110.44 |
| 109 | उत्रटिया-जफ़बाद, एनआर (लाइन दोहरीकरण) (उत्तरी रेलवे) - [एन22000088] | 369.90 | 03/2010 | 891.24 |
| 110 | अगरतला सरबोम, एनएल, एनईएफटी (उत्तर पूर्वी तट रेल्वे) - [एन22000099] | 1,142.00 | 03/2014 | 3,354.18 |
| 111 | दक्षिण-बारासाल-लक्ष्मीकान्तपुर (पूर्वी रेलवे) - [एन22000116] | 259.51 | 02/2012 | 148.37 |
| 112 | घुटियाशरीफ -काननिंग (ईआर) (पूर्वी रेलवे) - [एन22000117] | 193.08 | 12/2011 | 154.30 |
| 113 | पंडबेस्वर –चिनपाइ दोहरीकरण (ईआर) (पश्चिमी रेलवे) - [एन22000118] | 293.74 | 12/2010 | 128.78 |
| 114 | भोजीपूर तनङ्क्पूर वाया पिलिभिट (उत्तर पूर्वी रेलवे) - [एन22000132] | 195.64 | - | 450.62 |
| 115 | औनिहार मांडूडीह (उत्तर पूर्वी रेलवे) - [एन22000133] | 199.75 | 08/2018 | 287.33 |

| | दंगोपोसी –राजखरस्वान तीसरी लाइनिंग (दक्षिण | | | | |
|------|--|---------|-----------|----------|--|
| 116 | पूर्वी रेलवे) - [एन22000164] | 309.44 | 12/2015 | 529.27 | |
| 4.47 | चेन्नई बीछ –तंबरम –चेंगलपेटटू –सबअर्बन जीसी | 074.04 | | 100.50 | |
| 117 | (दक्षिणी रेलवे) - [एन22000188] | 271.24 | - | 468.58 | |
| 118 | कुमारघाट-आगरा (उत्तरी पूर्वी तट रेल्वे) से एनएल का निर्माण - [एन22000194] | 895.00 | 03/2007 | 1,566.57 | |
| 119 | चेंगन्नूर-चिंगवणम (दक्षिण रेलवे) - [एन22000203] | 191.72 | - | 447.03 | |
| 120 | लूमडिंग –होजाई पाच दोहरीकरण परियोजना | 246.07 | 03/2019 | 490.29 | |
| 120 | (उत्तर पूर्वी तट रेल्वे) - [एन22000211] | 240.07 | 03/2019 | 490.29 | |
| 121 | मीरट –मुजफरनगर पाच डीएल (उत्तरी रेलवे) - | 377.44 | | 430.12 | |
| 121 | [एन22000267] | 377.44 | - | 430.12 | |
| 122 | अंबाला कैंट-धापर पीएच -1, नईम-चंडिगढ़ (उत्तरी | 338.54 | | 384.61 | |
| 122 | रेलवे) के नए एमएम के साथ - [एन22000290] | 330.34 | - | 364.01 | |
| 123 | एसपीआर सेक्शन पर जाखल –मनसा (उत्तरी रेल्वे) - | 162.96 | | 160.25 | |
| 123 | [एन22000291] | 102.90 | _ | 160.25 | |
| 124 | कोल्लम –तिरुनेलवेली –तिरिचेंदूर ।तेंकाशी (दक्षिणी | 460.94 | 01/1999 | 0.01 | |
| 124 | रेलवे) - [एन22000303] | 400.94 | 01/1999 | 0.01 | |
| 125 | मदुरै –रामेश्वरम (161 किमी)गेज रूपान्तरण | 458.63 | 03/2015 | 367.71 | |
| 123 | (दक्षिणी रेलवे) - [एन22000439] | 400.00 | 03/2013 | 307.71 | |
| 126 | त्रिची - मनमदुरै (150 किमी)गेज रूपान्तरण | 200.84 | 03/2014 | 394.51 | |
| 120 | (दक्षिणी रेलवे) - [एन22000440] | 200.04 | | | |
| 127 | विल्लुपुरम - काटपाडी (161 किमी) गेज परिवर्तन | 600.00 | 03/2010 | 673.80 | |
| 127 | (दक्षिण रेल) - [एन22000446] | 000.00 | 03/2010 | | |
| | मदुरै –डिंडुगुल (अंबाड़दुराई कोड़ाईकनाल रोड सहित) | | | | |
| 128 | (62.05 किमी) दोहरीकरण (दक्षिण रेलवे) - | 199.55 | 03/2009 | 238.61 | |
| | [एन22000450] | | | | |
| 129 | मनमदुरै - विरुद्धनगर (66.55 किमी) गेज परिवर्तन | 208.00 | 03/2012 | 206.20 | |
| 129 | (दक्षिण रेलवे) - [एन22000453] | 200.00 | 03/2012 | 200.20 | |
| 130 | मुलंतुरुत्ती – कुरुप्पमतरा (24 किमी) दोहरीकरण | 241.00 | 03/2014 | 293.37 | |
| 130 | (दक्षिण रेलवे) - [एन22000454] | 241.00 | 03/2014 | 293.37 | |
| 131 | गोंडा - बहराइच (60 किलोमीटर) गोंडा-बहराइच- | 233.00 | 04/1999 | 349.37 | |
| 131 | सीतापुर-लखनऊ (उत्तर पूर्वी रेल) - [एन22000455] | 233.00 | 04/1999 | 349.37 | |
| 132 | मंधाना - ब्राह्मवर्ट नई लाइन परियोजना (उत्तर पूर्वी | 609.04 | 04/1999 | 1,806.84 | |
| 102 | रेलवे) - [एन22000458] | | 3 77 1333 | 1,000.04 | |
| | पटना और हाजीपूर(रेल सह रोड सहित) लिंकिंग | | | | |
| 133 | लाइन के साथ पटना गंगा पुल (पूर्वी मध्य रेलवे) - | 624.47 | 02/2016 | 3,376.08 | |
| | [एन22000474] | | | | |

| | जुलाई 2019 | | | |
|-----------|--|----------|---------|----------|
| कोयला | 5 | | | |
| 134 | उत्तर उरिमरी(3.0 एमटीवाई) (केंद्रीय कोयला क्षेत्र लिमिटेड) - [एन06000084] | 179.87 | 03/2012 | 163.23 |
| इस्पात | | | | |
| 135 | अतिरिक्त जल भंडारण संरक्षण (केबीआर-II) (राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड) - [एन12000120] | 465.85 | 07/2018 | 390.25 |
| पेट्रोलिय | <u></u> ਸ | | | |
| 136 | फुलपूर –हलदिया पाइप लाइन परियोजना l (भारत लिमिटेड की गैस प्राधिकरण) - [एन16000072] | 3,957.00 | 12/2018 | 2,707.26 |
| 137 | पारादीप-राईपूर –रांची पाइपलाइन (इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) - [एन16000088] | 1,793.00 | 12/2016 | 1,788.86 |
| 138 | टाटा नागर और रांची डिपो से कुन्ती (झारखंड) तक रिसाइटमेंट (इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) - [एन16000187] | 191.96 | 05/2015 | 76.28 |
| 139 | केएसपीएल केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं के केवी अनुभाग का प्रतिस्थापन (भारतीय तेल निगम लिमिटेड) - [एन16000287] | 279.00 | 08/2018 | 200.05 |
| विद्युत | | | | |
| 140 | सुरेन्द्रनगर (गुजरात)जिला में सादला में पवन विद्युत परियोजना (सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड) - [एन18000235] | 330.00 | 11/2017 | 331.46 |
| सडक प | िवहन और राजमार्ग | | | |
| 141 | मध्य प्रदेश बीओटी (टोल) में राष्ट्रीय राजमार्ग-12 के भोपाल –बियोरा (4 लाइननिंग) (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना) - [एन24000380] | 704.26 | 05/2015 | 5.21 |
| दूरसंचा | ζ | | | |
| 142 | मध्य प्रदेश आसेस (एलओटी1) सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट्स (भारत संचार निगम लिमिटेड) - [एन26000110] | 215.30 | 05/2018 | 33.46 |
| | अगस्त 2019 | | | |
| कोयला | | | | |
| 143 | अमलाई ओसी विस्तार क्षेत्र बी (1.50 एमटीवाई) (साउथ –ईस्टेर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड) - [एन06000082] | 198.59 | 03/2016 | 169.15 |
| 144 | गोकुल (वेस्टेर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड) - [एन06000120] | 267.67 | 03/2018 | 209.47 |

| सड़क प | रिवहन और राजमार्ग | | | |
|-----------|--|--------|---------|--------|
| 145 | 0/0 से 68/0 ईपीसी सुधार (राज्य के लोक निर्माण विभाग) - [एन24000413] | 319.80 | 10/2016 | 268.01 |
| 146 | पेव्ड़ साइड शोल्डर्स के साथ दो लाइन कारेजवेय का चौडीकरण और सुदृढ़ीकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) 162.010 से 224.900 किलोमीटर - [एन24000642] | 226.31 | 10/2017 | 137.43 |
| 147 | 0 किमी से 68.0 किमी (कांकटोरा से झारसुगुड़ा खंड के लिए) सुधार, पेव्ड़ साइड शोल्डर्स के साथ दो लाइन कारेजवेय (सड़क परिवहन और राजमार्गों के मंत्रालय) - [एन24000643] | 319.80 | 05/2016 | 268.27 |
| 148 | ओडिशा में एनएचआईपी के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग - 200 (सड़क परिवहन और राजमार्गों मंत्रालय) - 131/0 से 192/0 (भोजपूर से छटाबार) तक 2लाइननिंग / 2 एलपीएस [एन24000918] | 251.92 | 10/2015 | 225.98 |
| 149 | ओडिशा में एनएचआईपी के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग - 201 के (नबरंगपूर से कोकसारा) (सड़क परिवहन और राजमार्गों मंत्रालय) 25/0 से 80/0 तक 2लाइननिंग / 2 एलपीएस - [एन24000919] | 265.35 | 10/2015 | 247.56 |
| 150 | ओडिशा में वीआरसी के तहत वीआर रूट के 228/70 और 286/70 से 327/70 का चौडीकरण (सड़क परिवहन और राजमार्गों मंत्रालय) [एन24000924] | 229.29 | 11/2015 | 163.40 |
| 151 | ईपुरुपालेम –ओंगोल सेक्शन के पुनर्वास और उन्नयन 195.000 किमी से 254.500 - (सड़क परिवहन और राजमार्गों मंत्रालय) [एन24000971] | 574.19 | 07/2017 | 456.98 |
| | सितंबर 2019 | | | |
| पेट्रोलिय | | | | |
| 152 | उरान चाकन शिक्रपुर एलपीजी पाइप लाइन (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) - [एन16000155] | 309.81 | 10/2014 | 712.26 |
| 153 | वीवीएसपीएल क्षमता विस्तार और ओएसटीटी - एसएस जेटी सब समुद्र पाइप लाइन परियोजना (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) - [एन16000237] | 407.00 | 09/2019 | 391.85 |

सीएसओ/एनएसओ के विभिन्न प्रभागों द्वारा जारी किए जा रहे प्रकाशनों की सूची

क. ।. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

| 1 | भारत में सेवा क्षेत्र उद्यमों पर आधारित तकनीकी रिपोर्ट, एनएसएस का 74वां दौर अप्रैल 2019 पर जारी |
|---|---|
| | किया गया |
| 2 | मई 2019 पर जारी की गई पीएलएफ़एस (2017-18) की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट |
| 3 | मई 2019 पर जारी किया गया, पीएलएफ़एस का प्रथम तिमाही बुलेटीन, अक्तूबर –दिसंबर 2019 |
| | नवंबर 2019 पर जारी किया गया, पीएलएफ़एस का दूसरी तिमाही बुलेटीन, जनवरी –मार्च 2019 |
| 4 | भारत में घरेलू सामाजिक उपभोग पर आधारित मुख्य संकेतक; स्वास्थ्य, एनएसएस का 75वां दौर नवंबर |
| | 2019 पर जारी किया गया । |
| 5 | भारत में शिक्षा पर आधारित घरेलू सामाजिक उपभोग के मुख्य संकेतक; एनएसएस का 75वां दौर नवंबर |
| | 2019 पर जारी किया गया । |
| 6 | भारत में दिवयांग लोग:एनएसएस रिपोर्ट सं 583, एनएसएस का 76वां दौर नवंबर 2019 पर जारी किया |
| | गया । |
| 7 | भारत में पेयजल,स्वच्छता,साफ सफाई और आवासीय स्थिति: एनएसएस रिपोर्ट सं 584, एनएसएस का 76वां |
| | दौर नवंबर 2019 पर जारी किया गया । |
| 8 | उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनंतिम परिणाम 2017-18, सितंबर 2019 में जारी किए गए । |

॥. सर्वेक्षण

- 'सर्वेक्षण' का 106वां और 107वां अंक जारी किया गया था और मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।
- III. पूलिंग केंद्रीय और राज्य प्रतिदर्श आंकड़ों से संबंधित सभी कार्यविधिक पहलुओं को कवर करने वाला मैनुअल जारी कर दिया गया है।
- IV. अप्रैल-जून 2019, तिमाही तक का आरपीसी बुलेटिन (ग्रामीण भारत में मूल्य और मजदूरी) पहले से ही प्रकाशित हो चुका है और जुलाई-सितंबर, 2019 तिमाही के बुलेटिन का आंकड़ा प्रसंस्करण कार्य दिसंबर 2019 में प्रकाशित होना है।

ख. वर्ष 2019-20 में एसएसडी के प्रकाशनों की सूची

| 1. | भारत के पर्यावरण सांख्यिकी | वार्षिक | मार्च | पर्यावरण संबंधी सांख्यिकी । |
|----|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| | 2019; खंड.1 पर्यावरण | | 2019 | |
| | सांख्यिकी | | | |
| 2. | भारत में स्त्री और पुरुष 2018 | वार्षिक | मार्च | स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था में भागीदारी, |
| | | | 2019 | निर्णय लेना, महिला सशक्तिकरण में |
| | | | | सामाजिक बाधाएं इत्यादि सहित विभिन्न |
| | | | | सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर जेंडर के |
| | | | | अनुसार समेकित किए गए आंकड़े । |
| 3. | सार्क सामाजिक चार्टर | द्विवार्षिक | मार्च | सार्क सामाजिक चार्टर सार्क देशों द्वारा अपने |
| | | | 2019 | नागरिकों के सामाजिक क्षेत्र के विकास पर |
| | | | | ध्यान देते हुए उनके जीवन की गुणवत्ता संबंधी लक्ष्य को दोहराता है। |
| 4. | सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय | वार्षिक | जून 2019 | यह रिपोर्ट राष्ट्रीय संकेतकों पर आधारित है |
| 4. | संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) | ,,,,,, | , =0.0 | और बाद के वर्षों में विभिन्न विकासात्मक |
| | बेसलाइन रिपोर्ट 2015-16 | | | पहलुओं पर की गई प्रगति को मापने के लिए |
| | | | | एवं संदर्भ बिंदु का कार्य करेगी । बेस लाईन |
| | | | | रिपोर्ट में तीन खंड-अध्याय, आंकड़ा-सारणी |
| | | | | तथा मेटाडाटा शामिल हैं। |
| 5. | राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क | वार्षिक | जून | इस हैंडबुक में एसडीजी के उद्देश्य, लक्ष्य और |
| | (एनआईएफ़) पर आधारित हैंडबुक | | 2019 | राष्ट्रीय संकेतकों की सूची निहित हैं । |
| 6. | सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय | वार्षिक | जून | यह स्नैपशॉट आंकड़ा स्रोत मंत्रालय के साथ |
| | संकेतक फ्रेमवर्क बेसलाइन रिपोर्ट | | 2019 | राष्ट्रीय संकेतकों के राष्ट्रीय स्तर के मूल्यों पर |
| | 2015-16 पर आंकड़ा स्नैपशॉट | | | आधारित है। |
| 7. | खाद्य और पोषण सुरक्षा | | जून 2019 | यह प्रकाशन भारत में खाद्य सामग्री की |
| | विश्लेषण, भारत 2019 | | 2019 | उपलब्धता, सुलभता, उपयोग की मौजूदा |
| _ | 0 3 .0 -: | वार्षिक | सितंबर | स्थितियों पर प्रकाश डालता है । पर्यावरण सांख्यिकी । |
| 8. | , | वा।षक | ासतबर 2019 | पयावरण सााख्यका । |
| | खंड-।।पर्यावरण सांख्यिकी | | 2018 | |

ग. अनुसंधान एवं प्रकाशन एकक

अनुसंधान और प्रकाशन एकक नियमित तौर पर निम्नलिखित प्रकाशन निकालता है:

- (i) सांख्यिकीय वार्षिक पुस्तिका, भारत– वार्षिक
- (ii) आंकड़ों में भारत- एक सुलभ संदर्भ—वार्षिक

घ. राष्ट्रीय लेखा प्रभाग

| क्र.सं. | प्रकाशन/जारी आंकड़े/रिपोर्ट का विवरण | जारी करने का तरीका |
|---------|--|--------------------|
| 1. | वार्षिक राष्ट्रीय आय 2018-19 के अनंतिम अनुमान और 2018-19 | प्रेस नोट |
| | की चौथी तिमाही (क्यू4) के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के | |
| | तिमाही अनुमान | |
| 2. | नए आधार वर्ष 2011-2012 (2011-12 से 2016-17), के साथ | ई-प्रकाशन |
| | कृषि और सहयोगी क्षेत्रों से उत्पादन मूल्य के राज्यवार और मदवार | |
| | अनुमान | |
| 3. | राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी – 2019 | ई-प्रकाशन |
| 4. | वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए सकल घरेलू | प्रेस नोट |
| | उत्पाद के अनुमान | |
| 5. | वर्ष 2019-20 की द्वितीय तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए सकल | प्रेस नोट |
| | घरेलू उत्पाद के अनुमान | |
| 6. | भारत में पे-रोल रिपोर्टिंग: एक रोजगार परिदृश्य (मासिक) प्रेस नोट | प्रेस नोट |
| 7 | आधार वर्ष 2011-12 के राष्ट्रीय लेखा के बैक सीरीज़ | ई-प्रकाशन |
| 7. | , and the second | |
| 8. | वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए आपूर्ति उपयोग | ई-प्रकाशन |
| | सारणी | |

<u>अनुबंध-**VII**</u>

वर्ष 2018-19 के लिए की गई कार्रवाई नोट (एटीएन) की स्थिति

| • | वर्ष | पैरा/पीए रिपोर्टों की | पैरा/पीए रिपोर्टी | के ब्यौरे जिन पर ए | रटीएन लंबित हैं |
|------------|---|---|-------------------|---|----------------------------|
| क्रं. · | | सं. जिन पर एटीएन | एटीएन की | उन एटीएन की | उन एटीएन की |
| सं. | | को लेखा परीक्षा की | संख्या जो | | संख्या जिनकी |
| | | जांच के बाद लोक | मंत्रालय द्वारा | गए थे किंतु | लेखा परीक्षक |
| | | लेखा समिति (पीएसी) | पहली बार भी | | द्वारा अंतिम |
| | | को प्रस्तुत किया | नहीं भेजे गए | | रूप से जांच |
| | | गया। | हैं । | गए तथा जिन्हें | * |
| | | | | मंत्रालय द्वारा | • |
| | | | | पुनः प्रस्तुत करने | |
| | | | | के बाद उसकी | लेखा समिति |
| | | | | संपरीक्षा होनी है। | (पीएसी) को नहीं भेजे गए |
| | | | | | नहा नज गर हैं। |
| 1 | सी &एजी रिपोर्ट संख्या 2017 की 12 (एक पैरा शामिल करते ह्ए) | दोनों पैरा पर अंतिम रूप से की गई कार्रवाई (एटीएन) को दिनांक 21.08.2019. को अपलोड कर दिया | शून्य | 5 फरवरी 2019 को पुनः प्रस्तुत किया गया। | शून्य |
| 2 | सी & एजी रिपोर्ट संख्या 2018 का 4 (एक पैरा शामिल करते हुए) | गया। दिनांक 30.08.2019 को महा लेखा नियंत्रक द्वारा दोनों पैरा का समाधान कर दिया गया है। | शून्य | शून्य | शून्य |
| 3 | एमपीलैंड्स संबंधी पीएसी रिपोर्ट संख्या 31 (12 पैरा शामिल करते हुए) | कोई नहीं | शून्य | महानिदेशक लेखा परीक्षक की पुनरीक्षण टिप्पणियों को शामिल कर दिया गया है । | शून्य |



भारत सरकार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-१९०००१

www.mospi.gov.in





